

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष 1927 (शo) पटना, बुधवार, 18 जनवरी, 2006

## ग्रामीण विकास विभाग

(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक/पार्षद योजना तथा कोशी क्रान्ति योजना का कार्य)

## अधिसूचना

18 जनवरी, 2006

जी0 एस0 आर0 253, दिनांक 18 जनवरी, 2006 – बिहार पंचायत राज अध्यादेश,2006 (बिहार अध्यादेश 01, 2006) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, निम्नलिखित बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 बनाते हैं।

#### अध्याय-1

- 1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ -** (1) यह नियमावली बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 कही जायेगी। (2.) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
- 2. परिभाषाएँ जब तक सन्दर्भ अथवा प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें-
  - (क) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अध्यादेश,2006;
  - (ख) "धारा" से अभिप्रेत है अध्यादेश की धारा ;
  - (ग) "निर्वाचन" से अभिप्रेत है अध्यादेश के अध्यधीन ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के पदधारकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन;
  - (घ) "उप-निर्वाचन" से अभिप्रेत है आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिये किया जाने वाला निर्वाचन ;
  - (ङ) "आयोग " से अभिप्रेत है अध्यादेश की धारा 123 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग ;
  - (च) "जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) '' (इसके आगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) से अभिप्रेत है पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन का संचालन करने के लिये आयोग द्वारा पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी ;
  - (छ) "जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)'' (इसके आगे जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) से अभिप्रेत है इस नियमावली के अन्तर्गत पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट वैसे पदाधिकारी ;
  - (ज) "निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)'' (इसके आगे निर्वाची पदाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) से अभिप्रेत है इस नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त वैसे पदाधिकारी;
  - (झ) "सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)''(इसके आगे सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) से अभिप्रेत है इस नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त वैसे पदाधिकारी;
  - (ञ) "जिला पंचायत राज पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी;
  - (ट) "पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत)''(इसके आगे पीठासीन पदाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) से अभिप्रेत है इस नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त वैसे पदाधिकारी;
  - (ठ) "निर्वाचक'' या " मतदाता'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका नाम ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिये होने वाले निर्वाचन के प्रयोजनार्थ मतदाता सूची में दर्ज हो;
  - (ड) "मतदाता सूची" से अभिप्रेत है अध्यादेश की धारा 126 के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली,

- (ढ) "मतदाता सूची की चिह्नित प्रति '' से अभिप्रेत है मतदाता सूची की वह प्रति जो किसी निर्वाचन में मतपत्र दिये जाने पर मतदाता के नामों को चिह्नित करने के प्रयोजन के लिये अलग रखी जाती हो;
- (ण) "प्रतिपर्ण'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन मुद्रित मतपत्र के साथ संलग्न प्रतिपर्ण;
- (त) "निर्वाचन क्षेत्र'' से अभिप्रेत है ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र जिसमें उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भी सम्मिलित हैं:
- (थ) "प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र '' से अभिप्रेत है ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र;
- (द) "मतदान केन्द्र '' से अभिप्रेत है पंचायत के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ मतदान के लिये नियत स्थान;
- (ध) "मतपेटी'' से अभिप्रेत है कोई पेटी, थैला या अन्य पात्र जो निर्वाचन के प्रयोजनार्थ मतदाता द्वारा मत डालने के काम में लाया जाता हो;
- (न) "परिसर'' से अभिप्रेत है कोई भूमि, भवन या भवन का कोई भाग और जिसमें झोंपड़ी या अन्य संरचना या उसका कोई भाग शामिल है ;
- (प) "यान (गाड़ी)'' से अभिप्रेत है निर्वाचन के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाए जाने योग्य यान (गाड़ी) चाहे वह यांत्रिक शक्ति द्वारा या अन्यथा चलाया जाता है ;
- (फ) "भ्रष्ट आचरण'' से अभिप्रेत है अध्यादेश की धारा 141 में वर्णित आचरण ;
- (ब) "अनुसूची'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची;
- (भ) "प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र; परन्तु आयोग द्वारा परिस्थिति विशेष तथा व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए किसी भी प्रपत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

उन शब्दों तथा पदों का, जिनका इस नियमावली में व्यवहार किया गया है, किन्तु जो इसमें परिभाषित नहीं किये गये हैं, वही अर्थ होगा जो अध्यादेश में उनके लिए दिया गया है।

#### अध्याय-2 निर्वाचन क्षेत्रों का गठन एवं संख्यांकन

- 3. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन के लिये विचारार्थ लिए जाने वाले विषय—(1) ग्राम पंचायत, पंचायत सिमित्त, जिला परिषद् तथा ग्राम कचहरी में निर्वाचन कराने के निमित्त उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला दंडाधिकारी द्वारा क्रमशः अध्यादेश की धारा 12, धारा 37, धारा 64 एवं धारा 90 के अधीन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों मे विभक्त किया जायेगा।
- (2) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सटे हुए इलाके रहेंगे तथा इसे इस प्रकार गठित किया जायेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी यथासाध्य सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में एक ही हो, और प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की चौहदी प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तुओं के जिरये एक दूसरे से साफ-साफ अलग की रहेगी; परन्तु यह कि
  - (क) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पांच सौ (500) अथवा यथाशक्य उसके निकटतम होगी :
  - (ख) पंचायत समिति के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पांच हजार (5,000) अथवा यथाशक्य उसके निकटतम होगी।
  - (ग) जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पचास हजार(50,000) अथवा यथाशक्य उसके निकटतम होगी,

परन्तु यह और कि यदि उपर्युक्त वर्णित मापदंड के अनुसार या अन्य आपवादिक परिस्थिति में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण में कठिनाई हो,तो जिला दंडाधिकारी ऐसे मामलों में आयोग से दिशा-निर्देश प्राप्त कर निर्णय लेगा।

- 4. ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन इस प्रकार किया जायेगा कि ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संबंधित ग्राम पंचायत के अन्तर्गत हों।
- 5. **पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन** पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन इस प्रकार किया जायेगा कि-
  - (i) पंचायत समिति के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत हों;
  - (ii) पंचायत समिति का प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्दिष्ट ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत हो, तथा
  - (iii) पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन में ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र किसी भी स्थिति में विभाजित नहीं हो।
- 6. जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन इस प्रकार किया जायेगा कि-
  - (i) जिला परिषद् के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संबंधित जिला परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत हों;
  - (ii) जिला परिषद का प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्दिष्ट पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत हो तथा
  - (iii) जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन में पंचायत समिति का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र किसी भी स्थिति में विभाजित नहीं हो।
- 7. **निर्वाचन क्षेत्रों के संख्यांकन की प्रक्रिया** निर्वाचन क्षेत्रों को निम्न रूप से संख्यांकित किया जायगा, यथा -

- (1) पंचायत समिति के उत्तर-पश्चिम से आरम्भ कर पंचायत समिति के दक्षिण-पूर्व तक प्रत्येक ग्राम पंचायत को क्रमशः संख्यांकित किया जायेगा। सर्वप्रथम जिला का नाम, तत्पश्चात् स्ट्रोक, तत्पश्चात् ग्राम पंचायत को आवंटित संख्या और ग्राम पंचायत का नाम अंकित किया जायेगा, यथा, पटना/ 1-मगरपाल ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र।
- (2) ग्राम पंचायत के उत्तर-पश्चिम से आरम्भ कर ग्राम पंचायत के दक्षिण-पूर्व तक उस ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को क्रमशः संख्यांकित किया जायेगा। सर्वप्रथम जिला का नाम, तत्पश्चात् स्ट्रोक, तत्पश्चात् ग्राम पंचायत को आवंटित संख्या और नाम, तत्पश्चात् स्ट्रोक और तत्पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित संख्या अंकित की जायेगी, यथा- पटना/ 1-मगरपाल ग्राम पंचायत/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1
- (3) जिला के उत्तर-पश्चिम से आरम्भ कर जिला के दक्षिण-पूर्व तक प्रत्येक पंचायत समिति को क्रमशः संख्यांकित किया जायेगा। सर्वप्रथम जिला का नाम, तत्पश्चात् स्ट्रोक, तत्पश्चात् पंचायत समिति को आवंटित संख्या और पंचायत समिति का नाम अंकित किया जायेगा, यथा-पटना/ 1- मनेर पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र।
- (4) पंचायत समिति के उत्तर-पश्चिम से आरम्भ कर पंचायत समिति के दक्षिण पूर्व तक उस पंचायत समिति के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को क्रमशः संख्यांकित किया जायेगा। सर्वप्रथम जिला का नाम, तत्पश्चात् स्ट्रोक, तत्पश्चात् पंचायत समिति की संख्या और नाम, तत्पश्चात् स्ट्रोक और तत्पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित संख्या अंकित की जायेगी, यथा -पटना/ 1-मनेर पंचायत समिति /प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 1
- (5) जिला परिषद् के उत्तर-पश्चिम से आरम्भ कर जिला परिषद के दक्षिण-पूर्व तक उस जिला परिषद् के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को क्रमशः संख्यांकित किया जायेगा। सर्वप्रथम जिला परिषद का नाम, तत्पश्चात स्ट्रोक और तत्पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित संख्या अंकित की जायेगी, यथा-पटना जिला परिषद्/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1
- 8. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन—(1) जिला दंडाधिकारी द्वारा इस नियम के अध्यधीन बनाए गये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रपत्र—1 में, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में एवं प्रखंड कार्यालय में तथा जिला परिषद् के मामले में संबंधित प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रकाशित सूची में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में कोई आपित्त, सूची प्रकाशित किये जाने की तिथि से **चौदह** दिनों के अन्दर जिला दंडाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित दी जा सकेगी।
- (3) उप-नियम (2) के अधीन आपित्त प्राप्त होने पर जिला दंडाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी आवश्यक जांचोपरांत अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा जो अंतिम होगा।
- (4) विनिश्चित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सूची प्रपत्र-1 में तैयार कर जिला दंडाधिकारी ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में तथा जिला परिषद के मामले में संबंधित प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में तथा जिला गजट में प्रकाशित करायेगा जिसकी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग तथा निदेशक, पंचायत राज को भेजेगा।

#### अध्याय-3 निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण/आवंटन

- 9. **निर्वाचन क्षेत्रों के लिये आरक्षित स्थानों को अवधारित किया जाना** –(1) ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, जिला परिषद् सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच तथा सरपंच के निर्वाचन हेतु क्रमशः अध्यादेश की धारा 13, 15, 38, 40, 65, 91 एवं 93 के अध्यधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों एवं इन वर्गों की महिलाओं के लिये जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित एवं आवंटित किये जायेंगे।
- (2) जिला परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु अध्यादेश की धारा 67 के अध्यधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों एवं इन वर्गों की महिलाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित एवं आवंटित किये जायेंगे।
- (3) उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिए सीटों के आरक्षण एवं आवंटन के पश्चात शेष निर्वाचन क्षेत्रों में से कुल सीटों के यथाशक्य बीस प्रतिशत के निकटतम किन्तु उससे अनिधक स्थान, किन्तु सभी कोिटयों के लिए कुल मिलाकर पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिसीमा के अधीन, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों तथा इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरिक्षत किए जायेंगे एवं इनका आवंटन उन शेष निर्वाचन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

जिला परिषद् के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु अध्यादेश की धारा 67 के अधीन पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों एवं इस वर्ग की महिलाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समरूप आधार पर (शेष निर्वाचन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में) भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित एवं आवंटित किए जायेंगे।

परन्तु यह कि निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में समान जनसंख्या रहने पर संबंधित कोटि के लिए वह निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किया जायेगा जो संख्यांकन क्रम में पहले आता हो।

- 10. **आरक्षण के लिए पदों की संख्या की गणना करने की रीति** आरक्षण हेतु पंचायत के पदों की संख्या की गणना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथाविहित रीति से की जायेगी।
- 11.(1) पंचायतो में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कोटि के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन—विभिन्न कोटियों को अनुमान्य संख्या में चक्रानुक्रम में यथासंभव वही निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे जिनमें जिला दंडाधिकारी द्वारा अवरोही क्रम में उस कोटि की निकाली गई जनसंख्या अन्य कोटियों की जनसंख्या से अपेक्षाकृत अधिक पाई जाए, परन्तु पिछड़ा वर्ग कोटि को अनुमान्य संख्या में चक्रानुक्रम में नियम (9) के उप-नियम (3) में विहित शेष निर्वाचन क्षेत्रों से यथासंभव वे निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे जो उनकी (शेष निर्वाचन क्षेत्रों की) कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आते हों।

परन्तु यह कि प्रथम निर्वाचन में विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे तथा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने के लिये इसी क्रम की पुनरावृति की जायेगी;

परन्तु यह कि द्वितीय निर्वाचन में विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य एवं अनुसूचित जाति के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे तथा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने के लिये इसी क्रम की पुनरावृति की जायेगी;

परन्तु यह और भी कि तृतीय निर्वाचन में विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु पिछड़ा वर्ग, अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे तथा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने के लिये इसी क्रम की पुनरावृत्ति की जायेगी;

बाद के चुनावों में निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने के लिये इसी क्रम की पुनरावृत्ति की जायेगी।

- (2) ग्राम कचहरी में निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन उपनियम (1) में उल्लिखित चक्रानुक्रम आवंटन की प्रणाली मात्र ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के लिए लागू होगी। ग्राम कचहरी के मामले में प्रथम चुनाव इस अध्यादेश के अधीन कराये गये प्रथम चुनाव से माना जायेगा। ग्राम कचहरी के प्रथम निर्वाचन में विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के क्रम में; द्वितीय निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य एवं अनुसूचित जाति के क्रम में तथा तृतीय निर्वाचन में पिछड़ा वर्ग, अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए जायेंगे तथा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने के लिए इसी क्रम की पुनरावृत्ति की जायेगी।
  - (3) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र उसी कोटि के लिए अगले निर्वाचन में आरक्षित नहीं होगा।

परन्तु यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी कोटि विशेष में महिला के लिए आरक्षित था तो अगले निर्वाचन में उस कोटि से भिन्न कोटि में महिला के लिए आरक्षित किया जा सकेगा।

परन्तु यह भी कि यदि अन्य (अनारक्षित) कोटि में कोई निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित था तो अगले निर्वाचन में वह अन्य (अनारक्षित) कोटि में महिला के लिए आरक्षित नहीं हो सकेगा।

परन्तु यदि अन्य विकल्प नहीं हो तब पूर्ववर्ती निर्वाचन में किसी कोटि विशेष के लिये आवंटित निर्वाचन क्षेत्र उसी कोटि के लिये पश्चात्वर्ती निर्वाचन में पुनः आवंटित किया जा सकेगा।

- 12. **महिलाओं के लिये पचास प्रतिशत पद का आरक्षण** आरक्षित एवं अनारक्षित कोटि के सभी पदों में उस कोटि की महिलाओं के लिये यथाशक्य पचास प्रतिशत के निकटतम, किन्तु इससे अनिधक, स्थान आरक्षित होंगे तथा उक्त पदों की संख्या निर्धारित करने के लिए गणना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथाविहित रीति से की जायेगी।
- 13. **प्रथम चुनाव में महिला हेतु आरक्षण** यदि कोटि विशेष के लिये एक ही पद उपलब्ध हो तो प्रथम चुनाव में वह निर्वाचन क्षेत्र उस कोटि विशेष की महिला के लिये आरक्षित होगा। यदि अगले चुनाव में भी कोटि विशेष के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हो, तो वह निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं होगा।
- 14. **महिलाओं के लिये निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन**—प्रत्येक कोटि के लिये आरक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों में, जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को उस कोटि की महिलाओं को अनुमान्य संख्या में सर्वप्रथम आवंटित किया जायेगा।

15. **निर्वाचन क्षेत्रवार आरक्षण संबंधी पंजियों का संधारण**—निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने के संबंध में जनसंख्या से संबंधित पंजियाँ निर्वाचन क्षेत्रवार /प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार प्रपत्र-2 में निम्नलिखित स्तरों पर आयोग द्वारा तैयार करायी जायेंगी, यथा—

(ক)	ग्राम पंचायत के सदस्य/पंच – प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र	त्रवार ।	प्रखंड स्तर पर जिला
(ख)	पंचायत समिति के सदस्य-प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार		दंडाधिकारी के माध्यम से।
(ग)	मुखिया/ सरपंच – निर्वाचन क्षेत्रवार		
(ঘ)	जिला परिषद के सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार	—	जिला स्तर पर जिला
(ङ)	पंचायत समिति के प्रमुख-निर्वाचन क्षेत्रवार		दंडाधिकारी के माध्यम से।
(च)	जिला परिषद् के अध्यक्ष-निर्वाचन क्षेत्रवार		राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन
			आयोग द्वारा

परन्तु यह कि प्रखंड एवं जिला स्तर पर तैयार की गयी पंजियों की एक-एक प्रति जिला दंडाधिकारी द्वारा आयोग को भेजी जायेगी तथा एक-एक प्रति प्रखंड एवं जिला कार्यालयों में सुरक्षित रखी जायेगी।

- 16. जिला दंडाधिकारी द्वारा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन जिला दंडाधिकारी द्वारा आरक्षित/ अनारक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रपत्र-3 में ग्राम पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी तथा एक-एक प्रति प्रखंड एवं जिला कार्यालयों में सुरक्षित रखी जायेगी।
- 17. **आयोग द्वारा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन**—आयोग स्तर पर आरक्षित/अनारिक्षत किये गये निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रपत्र-3 में आयोग कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी।
- 18. **आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का राजपत्र में प्रकाशन** नियम 16 एवं 17 के अधीन प्रकाशित की गयी आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, यथास्थिति, जिला गजट/बिहार राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी।

### अध्याय-4 मतदाता सूची

- 19. **मतदाता सूची की तैयारी** अध्यादेश एवं इस नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाताओं की सूची तैयार की जायेगी।
- 20. जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पदाधिकारी/कर्मचारी की सहायता लेना जिला निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची की तैयारी हेतु जिलान्तर्गत पदस्थापित तथा अन्य स्थानों से उपलब्ध कराये गये ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता ले सकेगा जो राज्य सरकार के कार्यालयों, राज्य के लोक उपक्रमों तथा राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों में पदस्थापित हों।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी इस हेतु केन्द्र सरकार के कार्यालयों या केन्द्रीय लोक उपक्रमों या केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाले संस्थानों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता भी वैसे कार्यालयों / उपक्रमों / संस्थानों के सक्षम पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर ले सकेगा।

- 21. **मतदाता सूची का प्ररूप**-(1) अध्यादेश की धारा 126 के अध्यधीन ग्राम पंचायत की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची प्रपत्र 4 में तैयार की जायेगी। इस तरह बनी मतदाता सूचियों के योग से ही, जैसा संदर्भ हो, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची बनेगी।
- 22. **मतदाता सूची का प्रकाशन-**राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एवं निर्वाचन क्षेत्र एवं क्षेत्रों की तैयार की गयी मतदाता सूची को निम्नलिखित स्थानों पर चौदह दिनों तक प्रकाशित किया जायेगा, यथा–

ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र-सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में। ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र- सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में। पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र- सम्बन्धित प्रखंड कार्यालय में। जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र- सम्बन्धित प्रखंड कार्यालय एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में।

- 23. **मतदाता सूची में संशोधन**-नियम 21 के अधीन बनाई गई और नियम 22 के अधीन प्रकाशित की गई मतदाता सूची में जिला निर्वाचन पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में, नियम 22 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर लिखित आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, किसी त्रुटि का निवारण कर सकेगा और तदनुरूप मतदाता सूची संशोधित की जा सकेगी।
- 24. **मतदाता सूची की प्राप्ति**-आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति जिला दण्डाधिकारी अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकेगा।
- 25. **मतदाता सूची का संरक्षण** जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की प्रति अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जायेगी।

## अध्याय - 5 मतदान केन्द्र

- 26. **मतदान केन्द्र का चयन** जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से मतदान केन्द्र का चयन करेगा।
- 27. **मतदान केन्द्र की सूची का प्रकाशन** जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियम 8 के उप-नियम (1) में विहित रीति से मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशित करेगा;

परन्तु यह कि मतदान केन्द्रों की सूची के अन्तिम प्रकाशन के पूर्व सूची पर आयोग का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाएगा ;

परन्तु यह भी कि राज्य निर्वाचन आयोग युक्तियुक्त कारणों से आवश्यक समझे जाने पर, अंतिम प्रकाशन के बाद भी, मतदान केन्द्रों की सूची में परिवर्तन करने का आदेश दे सकेगा। किसी भी परिस्थिति में आयोग द्वारा अनुमोदित सूची में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बिना आयोग की अनुमित के या आयोग के अनुमोदन की प्रत्याशा में , परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

#### अध्याय - 6

#### निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र

- 28. **कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की सेवायें उपलब्ध कराया जाना** राज्य सरकार, जब वैसी अपेक्षा की जाय, आयोग को पंचायतों का निर्वाचन कराने के निमित्त आवश्यक संख्या में कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध कराएगी।
- 29. जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट किया जाना पंचायतों के निर्वाचन के संचालन के लिए आयोग प्रत्येक जिला के लिए जिला पदाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट करेगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी की सहायता के लिए एक या अधिक जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा जो जिला पंचायत राज पदाधिकारी हो अथवा उसके समकक्ष स्तर का कोई उप-समाहर्त्ता होगा;

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन के संबंध में सभी कार्य का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

- 30. **निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति** राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत में निर्वाचन के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा जो प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/उप-समाहर्त्ता से अन्यून स्तर का हो।
- 31. **सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति** राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी को उसके कृत्यों के अनुपालन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा, जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा।
- 32. **पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी की नियुक्ति** जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पीठासीन पदाधिकारी की सहायता करने के लिए उतने मतदान पदाधिकारी या पदाधिकारियों को, जितना कि वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति, जो सरकार या सरकारी निकाय या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि किसी मतदान पदाधिकारी के मतदान केन्द्र से अनुपस्थित होने पर पीठासीन पदाधिकारी उपर्युक्त के अधीन ऐसे व्यक्ति को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है जो निर्वाचन में या उसके संबंध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है, या उसके लिये कोई अन्य कार्य कर रहा है, मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसकी सूचना देगा:

परन्तु यह और भी कि मतदान पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अध्यधीन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, अध्यादेश तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन पीठासीन पदाधिकारी के सभी या किन्ही भी कृत्यों का पालन करेगा।

- 33. **अपरिहार्य कारण से पीठासीन पदाधिकारी के कृत्यों का पालन किया जाना** यदि पीठासीन पदाधिकारी रूग्णता या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जो ऐसी अनुपस्थित के दौरान ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।
- 34. **पीठासीन पदाधिकारी का कर्त्तव्य** किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन पदाधिकारी का यह सामान्य कर्त्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाये रखे और देखे कि मतदान उचित रूप से हो रहा है।
- 35. **मतदान पदाधिकारी का कर्त्तव्य** मतदान केन्द्र में मतदान पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी को उनके कृत्यों के पालन में सहायता करे।

### अध्याय - 7 निर्वाचन का संचालन

- 36. **निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों का नियत किया जाना** आयोग द्वारा विहित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रपन्न-5 में सूचना द्वारा –
- (क) नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करेगा जो ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से सातवाँ दिन होगा, अथवा यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश न हो,
- (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा के लिए तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करेगा जो नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख के बाद तीन दिनों से अधिक नहीं होगा।

परन्तु संवीक्षा की तिथि एक या एक से अधिक लगातार तिथियों को निर्धारित की जा सकेगी तथा यदि संवीक्षा की अन्तिम तिथि सार्वजनिक अवकाश हो तो संवीक्षा की अन्तिम तिथि आगामी दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश न हो।

- (ग) अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जो नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख के बाद अधिकतम दो दिनों तक होगा, या यदि वापसी का अंतिम दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश न हो:
  - (घ) वह तारीख और समय जिसके दौरान, यदि आवश्यक हो, मतदान होगा, विनिर्दिष्ट करेगा; और
  - (ङ) मतगणना के लिए तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करेगा।
- 37. नियम 36 के अधीन सूचना के प्रकाशन की शिति नियम 36 के अधीन सूचना का प्रकाशन मतदान के लिए नियत तारीख से कम-से-कम बीस (20) दिन पूर्व किया जायेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति संबंधित जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्यालय में भी प्रकाशित की जायेगी।
- 38. **अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जाना** (1) किसी स्थान की पूर्ति हेतु कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेगा यदि वह अध्यादेश के उपबंधों के अधीन उस स्थान पर निर्वाचित किये जाने के लिए अर्हित है एवं अध्यादेश की धारा 136 के अधीन अयोग्य नहीं है।
  - (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र प्रपत्र-6 में होगा।
- 39. **नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जाना** (1) नियम 36 के खण्ड (क) के अधीन नियत तारीख के भीतर प्रत्येक अभ्यर्थी **द्वारा स्वयं** नियम 36 के अधीन दी गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर तथा स्थान पर निर्वाची पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी को सम्यक रूप से प्रपत्र-6 में भरा गया, और अभ्यर्थी एवं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षरित, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेगा;

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन मतदाता के रूप में किसी निरर्हता के अध्यधीन है,

प्रस्तावक के रूप में किसी नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने का पात्र नहीं होगा।

- (क) कोई व्यक्ति, जिसका नाम संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है और जो अध्यादेश की धारा 136 की उप-धारा (1) के अध्यधीन अनर्हित नहीं है, नाम निर्देशन का प्रस्तावक हो सकेगा।
- (ख) किसी पद विशेष के लिए कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं हो सकेगा।
- (ग) कोई व्यक्ति जो स्वयं किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष का अभ्यर्थी है उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं हो सकेगा।
- (घ) किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष के अभ्यर्थी के प्रस्तावक स्वयं उस निर्वाचन क्षेत्र विशेष के लिए अभ्यर्थी नहीं हो सकेंगे।
- (ङ) किसी प्रस्तावक द्वारा नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे वापस लेने की अनुमित नहीं दी जा संकेगी।
- (च) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किसी भी अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा यदि उसके साथ निम्नांकित कागजात संलग्न नहीं हो :-
- (i) विहित प्रपत्र में मतदाता सूची में अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक के नाम दर्ज होने की घोषणा;
- (ii) विहित प्रपत्र में सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किये जाने या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित रहने संबंधी घोषणा:
- (iii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित पद तथा नाम निर्देशन शुल्क संबंधी लाभ प्राप्त करने को इच्छुक अभ्यर्थियों के मामले में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग के सदस्य होने का जाति प्रमाण-पत्र, मूल में, जो जिला दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो;
- (iv) सरकारी कोषागार में जमा किया गया नाम निर्देशन शुल्क चालान या नाजीर रसीद;
- (v) आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में अभ्यर्थी के बारे में आवश्यक सूचनाएँ।
- (छ) कोई नाम निर्देशन पत्र नाम निर्देशन के लिए प्रपत्र-5 की अनुसूची के स्तम्भ 8 में निर्धारित अंतिम तिथि को विहित समय के अन्दर नहीं देने पर उसे प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा विहित समय के बाद भूलवश प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (ज) नाम निर्देशन प्राप्त होने पर निर्वाची पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि अभ्यर्थी एवं उसके प्रस्तावक का नाम नामनिर्देशन पत्र में अंकित नाम एवं मतदाता सूची का क्रमांक तथा मतदाता सूची में अंकित नाम एवं क्रमांक एक समान है; परन्तु निर्वाची पदाधिकारी
  - (i) नाम निर्देशन पत्र में नाम अथवा क्रमांक संबंधी लिपिकीय भूल को शुद्ध कर मतदाता सूची में अंकित नाम एवं क्रमांक के सदृश करने की अनुमित दे सकेगा;
  - (ii) जहाँ आवश्यक हो, उपर्युक्त प्रविष्टियों से संबंधित मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मुद्रण भूल को नजरअंदाज करने का निदेश दे सकेगा।
- (झ) उप नियम (1) के अधीन नाम निर्देशन प्राप्ति उपरान्त निर्वाची पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक/ को विहित प्रपत्र में नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान की सूचना देगा तथा नाम निर्देशन पत्र पर उसका क्रमांक अंकित करेगा एवं नाम

निर्देशन पत्र प्राप्ति की तिथि एवं समय अंकित करते हुए तत्संबंधी प्रमाण-पत्र भी अंकित करेगा तथा प्रत्येक दिन नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के निर्धारित समय के पश्चात् अपने कार्यालय के सूचना पट पर अभ्यर्थी एवं , प्रस्तावक से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित करेगा।

- (2) कोई अभ्यर्थी किसी पद के लिए दो से अधिक नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा।
- (3) नाम निर्देशन पत्रों की सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी को नाम निर्देशन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को भेज दी जायेगी तथा इसकी प्रति निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी।
- 40. **नाम निर्देशन शुल्क** (1) किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के लिये सम्यक रूपेण नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया नहीं समझा जायेगा यदि उसने –
- (क) ग्राम पंचायत / ग्राम कचहरी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य/ पंच के मामले में दो सौ पचास रूपये की और जहाँ अभ्यर्थी महिला/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो, वहाँ एक सौ पच्चीस रूपये की;
- (ख) ग्राम पंचायत के मुखिया/ग्राम कचहरी के सरपंच /पंचायत समिति के सदस्य के मामले में एक हजार रूपये की और जहाँ अभ्यर्थी महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो, वहाँ पाँच सौ रूपये की:
- (ग) जिला परिषद् के सदस्य के मामले में दो हजार रूपये और जहाँ अभ्यर्थी महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो, वहाँ एक हजार रूपये की;

धनराशि नाम निर्देशन शुल्क के रूप में निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा न कर दी हो;

परन्तु यह कि यदि अभ्यर्थी किसी एक पद के लिए एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र दाखिल करता है तो एक से अधिक नाम निर्देशन शुल्क जमा करना अपेक्षित नहीं होगा।

- (2) नाम निर्देशन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- 41. **नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा** (1) अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्तावक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत तिथि, समय तथा स्थान पर उपस्थित हो सकेगा।
  - (2) निर्वाची पदाधिकारी नाम निर्देशन पत्रों का परीक्षण करेगा और निम्नलिखित कारणों से उन्हें अस्वीकृत कर सकेगा :-
  - (क) अभ्यर्थी अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन किसी स्थान पर निर्वाचित किये जाने के लिए निरर्हित है;
  - (ख) प्रस्तावक नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए निरर्हित है;
  - (ग) नियम 38, 39 या 40 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया है;
  - (घ) नाम निर्देशन पत्र पर अभ्यर्थी और प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं है या हस्ताक्षर उनका नहीं है;
  - (ङ) अभ्यर्थी द्वारा ऐसे स्थान के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है जो महिला/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है तथा वह उस कोटि का अभ्यर्थी नहीं है;
  - (च) नाम निर्देशन पत्र के साथ नियम 39 के उप नियम (1) के खण्ड (च) में उल्लिखित कागजात नहीं दाखिल किये गयें हों।
- (3) कोई नाम निर्देशन पत्र किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी भूल या किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा जो सारभूत न हो।

- (4) निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने संबंधी अपना विनिश्चय अंकित करेगा और यदि नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो संक्षेप में उसका कारण अंकित करेगा।
- (5) इस नियमावली के प्रयोजन के लिए सुसंगत निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में की गई किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि का पेश करना उस प्रविष्टि में नामित किसी मतदाता के निर्वाचन में खड़े होने के अधिकार के संबंध में निश्चयात्मक साक्ष्य होगा, जब तक कि यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता है कि अभ्यर्थी निरर्हित है।
- (6) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के बाद निर्वाची पदाधिकारी उन अभ्यर्थियों, जिनके नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत कर लिए गए हैं, की सूची प्रपत्र-7 में तैयार करेगा तथा उसे अपने कार्यालय में प्रकाशित करेगा और उसकी प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेगा।
- 42. **अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना** नियम 36 के खण्ड (ग) के अधीन नियत तारीख तथा समय तक निर्वाची पदाधिकारी को प्रपत्र 8 में सूचना देकर अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा।
- 43. **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना** (1) निर्वाची पदाधिकारी ऐसी कालावधि, जिसके भीतर नियम 36 के अधीन अभ्यर्थिता वापस ली जा सकती हो, के समाप्त होने के ठीक बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र-9 में तैयार कर अपने कार्यालय में प्रकाशित करेगा और उसकी प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेगा।
- (2) उक्त सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में नाम के प्रथम अक्षर के वर्णक्रमानुसार नाम पता सहित अन्तर्विष्ट होगा परन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का प्रथम नाम एक ही हो तो नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के क्रम संख्यानुसार उनका वर्णानुक्रम तय करते हुए अलग-अलग पहचान के लिए उनके नाम के समक्ष कोष्टक में क्रमशः (1), (2), (3) आदि अंकित किया जायेगा जिसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित रीति से दी जायेगी।
- 44. निर्वाचन प्रतीक जहाँ मतदान आवश्यक हो वहाँ निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रतीकों में से एक प्रतीक आयोग द्वारा विहित रीति से आवंटित करेगा तथा उसकी सूचना आयोग द्वारा विहित रीति से देते हुए आवंटित निर्वाचन प्रतीक की अनुकृति संबंधित अभ्यर्थी को देगा।

### अध्याय - 8 अभ्यर्थी तथा उसका अभिकर्त्ता

- 45. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति तथा ऐसी नियुक्ति का प्रतिसंहरण या निर्वाचन अभिकर्ता की मृत्यु (1) यदि अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहे तो उप-नियम (2) तथा (3) के उपबंधों के अध्यधीन प्रपत्र-10 में मतदान के पूर्व किसी भी समय वह ऐसी नियुक्ति कर सकेगा।
- (2) निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति का अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय अपनी हस्ताक्षरित लिखित घोषणा की प्रस्तुति कर प्रतिसंहरण किया जा सकेगा तथा ऐसे प्रतिसंहरण अथवा निर्वाचन अभिकर्त्ता की निर्वाचन के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में अभ्यर्थी नया निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेगा।
- (3) ऐसे किसी व्यक्ति को जो पंचायत के किसी निर्वाचन में मतदान करने या निर्वाचित होने के लिए अध्यादेश के अधीन तत्समय निरर्हित हो, निर्वाचन अभिकर्त्ता के रूप में तबतक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि निरर्हता बनी रहती है।
- 46. **मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति** (1) ऐसे किसी निर्वाचन के समय, जिसमें मतदान किया जाना हो, निर्वाचन लड़ने वाला कोई भी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए अधिकतम दो अभिकर्त्ताओं को नियुक्त कर सकेगा तथा ऐसी नियुक्ति प्रपत्र 11 में, दो प्रतियों में, की जाएगी।
- (2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति मतदान अभिकर्त्ता को देगा जो उसे मतदान के लिए नियत तारीख को पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन पदाधिकारी प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा।
- (3) मतदान के समय एक समय में किसी अभ्यर्थी का एक ही अभिकर्त्ता मतदान केन्द्र पर उपस्थित रह सकेगा।
- 47. **मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मतदान अभिकर्ता की मृत्यु** (1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहरित की जा सकेगी।।
  - (2) ऐसी घोषणा पीठासीन पदाधिकारी को प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (3) जहाँ किसी मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति उप-नियम (1) के अधीन प्रतिसंहरित की गई हो या जहाँ मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मतदान अभिकर्त्ता की मृत्यु हो जाय वहाँ अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता मतदान समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय नियम 46 के उप-नियम (1) के अधीन नया मतदान अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेगा।
- 48. **गणन अभिकर्ता की नियुक्ति** (1) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता, अभ्यर्थी का एक गणन अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेगा। गणन अभिकर्ता की नियुक्ति प्रपत्र 12 में की जायेगी।

- (2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्ति-पत्र (प्रपत्र 12) की दो प्रतियाँ गणन अभिकर्त्ता को देगा जिनमें एक वह अपने पास रखेगा तथा मतगणना के लिए नियत की गई तारीख को दूसरी प्रति निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें अंतर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा तथा वह पदाधिकारी उस दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा।
- 49. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या गणन अभिकर्ता की मृत्यु (1) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहरित की जा सकेगी तथा ऐसी घोषणा निर्वाची पदाधिकारी या ऐसे अन्य पदाधिकारी को, जो उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, प्रस्तुत की जायेगी।
- (2) मतगणना पूरी होने के पूर्व यदि अभ्यर्थी के गणन अभिकर्त्ता की मृत्यु हो जाय तब अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता नियम 48 के उप-नियम (1) के अधीन नए गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति कर सकेगा।
- 50. **मतदान का प्रत्यादिष्ट होना** यदि नियम 43 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में से किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मतदान के **नियत समय के** प्रारम्भ होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हो जाती है तब उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य का समाधान हो जाने पर, निर्वाची पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और इस तथ्य की सूचना आयोग को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से देगा। आयोग से निदेश प्राप्त होने पर निर्वाचन की प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी।
- 51. **निर्विरोध निर्वाचन** (1) यदि किसी स्थान के लिए अभ्यर्थिता वापस किये जाने के लिये नियत तारीख तथा समय के पश्चात केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता है तब निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को उस स्थान के लिए, प्रपत्र 13 में सम्यक-रूपेण निर्वाचित घोषित करेगा तथा उसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देगा।
- (2) यदि किसी स्थान को भरने के लिए नाम निर्देशन-पत्र नहीं भरा गया है या किसी भी अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र को सम्यक्-रूपेण स्वीकृत नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी इस तथ्य की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से आयोग को भेजेगा जो अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार उस स्थान के लिए निर्वाचन कराने के निमित्त आगे की कार्रवाई करेगा।
- **52. सविरोध निर्वाचन –** नियम 51 के अधीन आने वाले मामलों को छोड़ कर अन्य मामलों में मतदान कराया जायेगा।

#### अध्याय - 9

#### निर्वाचन के लिए मतदान

- 53. **निर्वाचन में मतदान की रीति –** प्रत्येक निर्वाचन में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति से मतपत्र द्वारा मत दिये जायेंगे।
- 54. **मतपेटी** प्रत्येक मतपेटी, राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अध्यधीन रहते हुए ऐसे परिकल्प की होगी जिसमें मतपत्र डाले तो जा सकें किन्तु व्यवहृत पेपर सील को फाड़े बिना और मतपेटी को खोले बिना इन्हें निकाला न जा सके।
  - 55. मतपत्र (1) प्रत्येक मतपत्र और उसका प्रतिपर्ण ऐसे परिकल्प का होगा जो आयोग निर्धारित करे।
- (2) मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण की पीठ पर मतदान केन्द्र का प्रभेदक चिन्ह लगाया जायेगा जिसमें जिला/ प्रखंड का नाम एवं मतदान केन्द्र की संख्या अंकित रहेगी। साथ ही, मतपत्र की पीठ पर पीठासीन पदाधिकारी पूर्ण हस्ताक्षर करेगा।
- 56. **मतदान केन्द्र की व्यवस्था** मतदान केन्द्र में एक या अधिक पृथक् मतदान कोष्ठ की व्यवस्था की जायेगी जिसमें मतदाता एक के बाद एक जाकर गुप्त रूप में अपना मत दे सकेंगे और किसी भी मतदाता को मतदान कोष्ठ में तबतक प्रवेश नहीं करने दिया जायगा, जबतक अपना मतदान करने के प्रयोजन से कोई अन्य मतदाता उसके अंदर हो।
- 57. **मतदान केन्द्र पर सूचनाएं** प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित सूचनाएं प्रदर्शित की जायेंगी:-
  - (क) मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या,
  - (ख) मतदान केन्द्र की मतदाता सूची,
- (ग) देवनागरी लिपि में प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम एवं उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक, जो उसी क्रम में होगा जैसा नियम 43 में इंगित है।
- 58. **मतदान केन्द्र में प्रवेश** पीठासीन पदाधिकारी मतदाताओं की ऐसी संख्या को विनियमित करेगा जिसमें वे मतदान केन्द्र के अन्दर किसी एक समय प्रवेश कर सकेंगे , और
  - (क) मतदान पदाधिकारियों,
  - (ख) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यरूढ़ लोक सेवकों,
  - (ग) आयोग , जिला निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों ,
  - (घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं और इस नियमावली के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी के एक-एक मतदान अभिकर्त्ता,
  - (ङ) मतदाता के साथ गोद वाला शिशु,
  - (च) दृष्टिहीन/नि:शक्त मतदाता, जो सहायता के बिना चल-फिर नहीं सकता, के साथ वाला व्यक्ति , और

- (छ) ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी मतदाताओं की पहचान के लिए नियोजित करे, के सिवाय सभी अन्य व्यक्तियों को वहां से हटा देगा।
- 59. **मतदान प्रारंभ होने के पूर्व मतपेटियों को बन्द करना तथा उनपर सील लगाना** —(1) पीठासीन पदाधिकारी मतदान प्रारंभ होने के ठीक पहले अभ्यर्थियों को, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं को तथा उनके मतदान अभिकर्त्ताओं को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों; मतदान के काम में लाई जाने वाली मतपेटी को निरीक्षण करने देगा और उन्हें दिखायेगा कि वह खाली है।
  - (2) तत्पश्चात् प्रयुक्त हो रही मतपेटी पर भीतर और बाहर निम्नांकित लेबुल लगाया जायेगा :-
  - (क) ग्राम पंचायत का नाम,
  - (ख) मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या,
  - (ग) मुखिया / सरपंच या ग्राम पंचायत का सदस्य / पंच या पंचायत समिति/ जिला परिषद् का सदस्य (जैसी स्थिति हो ) का निर्वाचन,
  - (घ) मतपेटी का क्रमांक (जो मतदान समाप्ति पर बाहरी लेबुल पर ही अंकित रहेगा) , और
  - (ङ) मतदान की तिथि
- (3) तत्पश्चात्, पीठासीन पदाधिकारी मतपेटी पर अपना हस्ताक्षरित पेपर सील, जिसपर उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान अभिकर्त्ता यदि वे चाहें, भी हस्ताक्षर कर सकेंगे, लगायेगा तथा मतपेटी को मतदान कराने की अवस्था में लायेगा।
- 60. **मतदाताओं की पहचान** (1) पीठासीन पदाधिकारी आयोग द्वारा यथानिर्देशित अभिलेखों, कागजात/प्रमाण पत्रों के आधार पर किसी मतदाता की पहचान विनिश्चित करायेगा।
- (2) पीठासीन पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं की पहचान करने में मदद करने या मतदान में अपनी सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।
- (3) मतदाता के मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर पीठासीन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान पदाधिकारी मतदाता का नाम और अन्य विशिष्टियों को मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि से मिलायेगा और मतदाता का अनुक्रमांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढकर सुनायेगा।
- (4) मतदाता को मतपत्र प्राप्त करने के अधिकार का विनिश्चय करने में पीठासीन पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि में लेखन या मुद्रण संबंधी किसी अशुद्धि की उपेक्षा करेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह प्रविष्टि उस मतदाता से ही संबंधित है।
- 61. **मतदाता की पहचान पर अभ्याक्षेप** (1) कोई अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता किसी मतदाता की अनन्यता के संबंध में पीठासीन पदाधिकारी को नगद दस रूपये जमा कर अभ्याक्षेप कर सकेगा।
  - (2) ऐसी राशि जमा करने पर पीठासीन पदाधिकारी :-
  - (क) अभ्याक्षेपित व्यक्ति को , छद्मधारी सिद्ध होने की अवस्था में दंडित किये जाने की चेतावनी देगा,
- (ख) मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि को पढकर सुनायेगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है, और

- (ग) प्रपत्र 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा तथा उस पर उसका हस्ताक्षर लेगा।
- (3) तत्पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी, आक्षेपकर्त्ता एवं अभ्याक्षेपित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देगा एवं अन्य सुसंगत जांच कर, जो वह आवश्यक समझे, यह विनिश्चय करेगा कि अभ्याक्षेप सिद्ध हो सका है या नहीं। तत्पश्चात्, यथास्थिति वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मतदान करने देगा या मतदान करने से वंचित करेगा।
  - (4) ऐसा अभ्याक्षेप सिद्ध नहीं होने की दशा में उप-नियम (1) के अधीन जमा राशि जब्त की जायेगी।
- 62. **मतपत्र जारी करना** (1) मतदान प्रारंभ होने के नियत समय से पहले मतदाता को मतपत्र नहीं दिया जायेगा।
- (2) मतदान बन्द होने के नियत समय के बाद मतदाता को मतपत्र नहीं दिया जायेगा ; परन्तु यह कि वे मतदाता, जो मतदान बन्द होने के नियत समय तक मतदान केन्द्र में उपस्थित हों, नियत समय समाप्त हो जाने पर भी मतपत्र प्राप्त करने के अधिकारी होंगे एवं मतदान कर सकेंगे।
- (3) (i) प्रथम मतदान पदाधिकारी मतदाता की पहचान, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उसका नाम तथा क्रमांक रेखांकित करेगा एवं महिला मतदाता के मामले में उपर्युक्त रेखांकन करते हुए महिला मतदाता के नाम की बांयी ओर टिक  $(\checkmark)$  चिन्ह अंकित करेगा। प्रथम मतदान पदाधिकारी मुखिया तथा सरपंच के निर्वाचन निमित्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों पर मतदाता का हस्ताक्षर I अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा एवं उनपर उस मतदाता से संबंधित मतदाता सूची का क्रमांक अंकित करेगा। तत्पश्चात् उस मतदाता की बाँयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा। उसके बाद वह ग्राम पंचायत के मुखिया तथा सरपंच निमित्त उक्त दो मतपत्रों को उस मतदाता के लिए द्वितीय मतदान पदाधिकारी को हस्तगत करायेगा।
- (ii) द्वितीय मतदान पदाधिकारी मतदाता की पहचान, मतदाता सूची की दूसरी चिह्नित प्रति में उसका नाम तथा क्रमांक रेखांकित करेगा एवं महिला मतदाता के मामले में उपर्युक्त रेखांकन करते हुए महिला मतदाता के नाम की बायीं ओर टिक (✓) चिन्ह अंकित करेगा। द्वितीय मतदान पदाधिकारी ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच के निर्वाचन निमित्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों पर मतदाता का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा एवं उनपर उस मतदाता से संबंधित मतदाता सूची का क्रमांक अंकित करेगा। तत्पश्चात् वह मतदाता को मत देने की प्रक्रिया से अवगत करायेगा एवं ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सरपंच के निर्वाचन से संबंधित दो मतपत्रों को मतदाता को देगा एवं ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच के निर्वाचन के निमित्त उक्त अन्य दो मतपत्रों को उस मतदाता के लिए तृतीय मतदान पदाधिकारी को हस्तगत करायेगा। मुखिया एवं सरपंच के निर्वाचन से संबंधित दोनों मतप्रपत्र प्राप्त होते ही मतदाता प्रथम मतदान कोष्ठ में जाकर क्रमशः ग्राम पंचायत के मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच के लिए मतपत्र पर, इस प्रयोजन के लिए रखे गये रबर स्टाम्प को किसी अभ्यर्थी के मुद्रित नाम के सामने अथवा उसके चुनाव चिह्न पर लगाकर अपना मत व्यक्त करेगा। मतदाता मतपत्रों को मोड़ेगा और मतदान कोष्ठ से बाहर आकर सीलबन्द मतपेटी में डालेगा।यह मतपेटी द्वितीय मतदान पदाधिकारी के समक्ष रहेगी।
- (iii) तृतीय मतदान पदाधिकारी मतदाता की पहचान, मतदाता सूची की चिह्नित तीसरी प्रति में उसका नाम तथा क्रमांक रंखांकित करेगा एवं महिला मतदाता के मामले में उपर्युक्त रेखांकन करते हुए महिला मतदाता के नाम की बायीं ओर टिक  $(\checkmark)$  चिन्ह अंकित करेगा। तृतीय मतदान पदाधिकारी पंचायत समिति के सदस्य तथा

जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन निमित्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों पर मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा एवं उन पर उस मतदाता से संबंधित मतदाता सूची का क्रमांक अंकित करेगा। तत्पश्चात् वह मतदाता को मत देने की प्रक्रिया से अवगत करायेगा एवं ग्राम पंचायत के सदस्य एवं पंच के निर्वाचन से संबंधित दो उक्त अन्य दो मतपत्रों को चतुर्थ मतदान पदाधिकारी को हस्तगत करायेगा। ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच के निर्वाचन से संबंधित दोनो मतपत्र प्राप्त होते ही मतदाता द्वितीय मतदान कोष्ठ में जाकर क्रमशः ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच के लिए मतपत्र पर, इस प्रयोजन के लिए रखे गए रबर स्टाम्प को किसी अभ्यर्थी के मुद्रित नाम के सामने अथवा उसके चुनाव चिह्न पर लगाकर अपना मत व्यक्त करेगा। मतदाता मतपत्रों को मोड़ेगा और मतदान कोष्ठ से बाहर आकर सीलबन्द मतपेटी में डालेगा। यह मतपेटी तृतीय मतदान पदाधिकारी के समक्ष रहेगी।

- (iv) चतुर्थ मतदान पदाधिकारी मतदाता को मत देने की प्रक्रिया से अवगत करायेगा एवं पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों को मतदाता को देगा। उक्त दोनो मतपत्र प्राप्त होते ही मतदाता तृतीय मतदान कोष्ठ में जाकर क्रमशः पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद् के सदस्य के लिए मतपत्र पर, इस प्रयोजन के लिए रखे गए रबर स्टाम्प को किसी अभ्यर्थी के मुद्रित नाम के सामने अथवा उसके चुनाव चिह्न पर लगाकर अपना मत व्यक्त करेगा। मतदाता मतपत्रों को मोड़ेगा और मतदान कोष्ठ से बाहर आकर सीलबन्द मतपेटी में डालेगा। यह मतपेटी चतुर्थ मतदान पदाधिकारी के समक्ष रहेगी। मतदाता मत डालने के बाद अविलंब मतदान केन्द्र से बाहर चला जायेगा। यदि वह सभी मत डाले बिना मतदान केन्द्र से बाहर चला जाता है तो उसे पुनः मतदान करने की अनुमित नहीं दी जायेगी।
- (v) नियम 62 के उप-नियम (3) (i)(ii)(iii) एवं (iv) में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त को यह विश्वास हो जाता है कि उप-नियम (3)(i)(ii)(iii) एवं (iv) में प्रावधानों के अनुसार मतदान का संचालन करने में किसी प्रकार की व्यवहारिक एवं प्रशासनिक कितनाईयां आ सकती है, जिनके कारण मतदान प्रक्रिया में बाधा पहुंचे की संभावना बनी रहेगी तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जैसा वह उचित समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं को मतपत्र देना तथा उस पर अपना मत व्यक्त करना, मतपत्र मतपिटिका में डालना, मतदान केन्द्र में उपयोग में आनेवाली मतपिटिकाओं की संख्या तथा किस स्थान पर मतपिटिकाओं को रखा जाय, प्रत्येक मतदान केन्द्र में पदस्थापित मतदान पदाधिकारियों के बीच निर्वाचन से संबंधित कार्यों का बंटवारा आदि के बारे में आवश्यक दिशानिर्देश दे सकेंगे तथा इस प्रकार का दिशा निर्देश सर्वमान्य एवं अन्तिम समझा जाएगा।
- (4) यदि निर्वाचन कुछ ही पदों के लिये कराया जाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान पदाधिकारियों की संख्या में यथा आवश्यक कमी की जा सकेगी।
- (5) (*i*)प्रत्येक मतदाता, जिसकी पहचान के बारे में यथास्थिति, पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी का समाधान हो गया हो, पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी को अपनी बायीं तर्जनी देखने और उस पर अमिट स्याही से चिह्न लगाने देगा।
- (ii) यदि कोई मतदाता उप-नियम (5) के खंड (i) के अनुसार अपनी बायीं तर्जनी दिखाने या चिह्न लगाने देने से इन्कार करे अथवा उसकी बायीं तर्जनी पर पहले से वैसा ही चिह्न लगा हो अथवा यह स्पष्ट हो जाये कि उसने ऐसे चिह्न को मिटाने का प्रयास किया है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जायेगा और उसे मतदान करने की

#### अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (iii) इस नियम में मतदाता की बायीं तर्जनी के प्रति जो निर्देश दिया गया है वह उसे बायें हाथ की किसी दूसरी अंगुली के प्रति निर्देश समझा जायेगा, यदि उसकी बायीं तर्जनी न हो; यदि उसके बाये हाथ में कोई अंगूली न हो तो यह निर्देश दाहिने हाथ की तर्जनी या दूसरी अंगूली के प्रति निर्देश समझा जायेगा तथा यदि दोनो हाथों की सभी अंगूलियां गायब हों तो उसकी दाहिनी या बायीं भुजा का जो भी छोर हो, उसके प्रति निर्देश समझा जायेगा।
- 63. दृष्टिहीन/ निःशक्त मतदाता द्वारा दिये गये मतों का अभिलेख यदि दृष्टिहीनता / निःशक्तता के कारण कोई मतदाता मतपत्र में प्रतीक को पढ़ने में असमर्थ हो या अपना मतपत्र मतपेटी में डालने के लिये शारीरीक रूप से असमर्थ हो तो उसका सहायक, जो अठारह वर्ष की आयु से अन्यून होगा, ऐसे मतदाता के साथ मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा; ऐसे मतदाता की इच्छानुसार मतपत्र पर चिह्न लगायेगा तथा उसे मतपेटी में डालेगा परन्तु ऐसा व्यक्ति ऐसे एक मतदाता का ही सहायक बनेगा। पीठासीन पदाधिकारी ऐसे प्रत्येक मामला का अभिलेख प्रपत्र 15 में रखेगा।
- 64. खराब हुये और लौटाये गये मतपत्र तथा मतपेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र (1) उस मतदाता को, जिसकी भूल के चलते मतपत्र खराब हो गया हो एवं उपयोग के लायक नहीं रह गया हो, पीठासीन पदाधिकारी को उसे लौटा दिये जाने पर उस मतपत्र की पीठ पर पीठासीन पदाधिकारी "खराब, रद्द किया गया " अंकित करेगा।
- (2) यदि मतदाता कोई मतपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में नहीं लाने का विनिश्चय करता है तब उसे वह पीठसीन पदाधिकारी को लौटा देगा और उसे लौटाये गये मतपत्र पर पीठासीन पदाधिकारी "लौटाया गया" अंकित करेगा।
- (3) विभिन्न पदों के निर्वाचन से संबंधित ऐसे मतपत्र, जो उप-नियम (1) या उप-नियम(2) के अधीन रह किये गये हों, पृथक् पैकेट में रखे जायेंगे।
- (4) यदि कोई मतदाता दिये गये मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाले और मतपत्र मतदान केन्द्र या निकट किसी स्थान पर पाया जाये तो मतपत्र उप-नियम (2) के अधीन पीठासीन पदाधिकारी को लौटा दिया गया समझा जायेगा और उसके संबंध में उपनियम (2) में इंगित कर्रावाई की जायेगी।
- 65. **निविदत्त मत** (1) यदि कोई व्यक्ति दावा करे कि वह मतदाता सूची में नामित मतदाता है किन्तु ऐसे मतदाता के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले ही मत दे दिया गया है तब पीठासीन पदाधिकारी का ऐसा समाधान हो जाने पर वह व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का अधिकारी होगा और उसे दिया गया ऐसा मतपत्र निविदत्त मतपत्र के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा।
- (2) निविदत्त मतपत्र मतपेटी में नहीं डाला जायेगा बल्कि इस पर संबंधित मतदाता द्वारा अपना मत चिह्नित कर इसे पीठासीन पदाधिकारी को सौंप दिया जायेगा जो इसे अलग पैकेट में रखेगा। मतदान की समाप्ति पर ऐसे समस्त निविदत्त मतपत्रों की यह पैकेट सीलबन्द कर दी जायेगी।

- (3) निविदत्त मतों की सूची प्रपत्र 16 में तैयार की जायेगी तथा मतपत्र निविदत्त करनेवाला मतदाता उस सूची में अपने निविदत्त मतपत्र के संबंध में की गई प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।
- 66. **मतदान के पश्चात् मतपेटियों का सीलबन्द किया जाना** (1) मतदान के बन्द होने के पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं के समक्ष मतपेटी की छेद को बन्द कर देगा और मतपेटी को सीलबन्द करेगा। साथ ही , उस पर किसी भी उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता को, यदि वह चाहे, अपनी सील लगाने देगा।
- (2) जहां एक मतपेटी के भर जाने के कारण दूसरी मतपेटी का उपयोग में लाना आवश्यक हो जाये तब पहली मतपेटी को उप-नियम (1) में इंगित रीति से तत्काल सीलबन्द कर दिया जायेगा।
- 67. **मतपत्र एवं पेपरसील का लेखा** मतदान के बन्द होने पर पीठासीन पदाधिकारी प्रपत्र 17 में मतपत्र लेखा एवं प्रपत्र 18 में पेपरसील लेखा तैयार करेगा और उन्हें पृथक् लिफाफों में रखेगा और उनके ऊपर "मतपत्र लेखा" / "पेपरसील लेखा" लिखेगा।
  - 68. **अन्य पैकेटों का सीलबन्द किया जाना** —(1) पीठासीन पदाधिकारी —
  - (क) मतदाता सूची की चिह्नित प्रतियां,
  - (ख) उपयोग में नहीं लाये गये मतपत्र,
  - (ग) रद्द किये गये मतपत्र,
  - (घ) निविदत्त मतपत्रों का लिफाफा और सूची,
  - (ङ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची और
  - (च) अन्य ऐसे कागजात जिनके संबंध में निर्वाची पदाधिकारी ने यह निदेश दिया हो कि वे सीलबन्द पैकेट में रखे जायें ,के पृथक् - पृथक् पैकेट तैयार करेगा और उन्हे सीलबन्द करेगा।
- (2) पीठासीन पदाधिकारी ऐसी प्रत्येक पैकेट पर उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता को, यदि वह चाहे, अपनी सील लगाने देगा।
- 69. **संबंधित मतपेटियों, पैकेटों आदि का निर्वाची पदाधिकारी को प्रेषण** (1) पीठासीन पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी को
  - (क) मतपेटियां
  - (ख) मतपत्र-लेखा एवं पेपर सील लेखा,
  - (ग) नियम 68 में निर्दिष्ट सीलबन्द पैकेट और
  - (घ) मतदान में उपयोग में लाये गये सभी अन्य कागजात, निर्दिष्ट किये गये स्थान में जमा करेगा।
- (2) निर्वाची पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी उप-नियम (1) में अंकित वस्तुओं की , मतों की गणना प्रारंभ होने तथा मतगणना की समाप्ति तक अभिरक्षा की व्यवस्था करेगा। मतगणना की समाप्ति के पश्चात् नियम 84 के अधीन निर्वाचन संबंधी अभिलेखों की अभिरक्षा की जायेगी।
  - 70. मतदान अविध के दौरान मतदान का स्थगन यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान कोई

असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाय तब पीठासीन पदाधिकारी मतदान स्थिगत कर सकेगा तथा स्थिति सामान्य हो जाने पर पुनः मतदान करा सकेगा। पीठासीन पदाधिकारी ऐसे मतदान स्थगन का विवरण अपनी डायरी में अंकित करेगा।

- 71. **आपात स्थिति में मतदान का स्थगन** (1) यदि मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान बलबा, हिंसा, प्राकृतिक विपदा, मतदान सामग्री के विनष्ट किये जाने या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराया जाना संभव नहीं हो तब पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान स्थिगत किया जा सकेगा और वह तत्क्षण कारण सहित इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी को देगा ।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन मतदान स्थगित होने पर इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से आयोग को अविलम्ब देगा।
  - (3) आयोग जिला निर्वाचन पदाधिकारी को —
  - (क) उस मतदान केन्द्र में पुनः आगे मतदान कराने का आदेश देगा और इस निमित्त तारीख एवं समय नियत करेगा ; अथवा
  - (ख) उस मतदान को रद्द घोषित करेगा एवं उस मतदान केन्द्र में नये मतदान के लिए तारीख और समय नियत करेगा तथा ऐसा मतदान कराने का आदेश देगा।

#### अध्याय - 10

#### मतों की गणना

- 72. **मतों की गणना हेतु स्थान का चयन** मतों की गणना हेतु स्थान का चयन आयोग के निदेशानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जायगा।
  - 73. मतों की गणना का पर्यवेक्षण- मतों की गणना आयोग के निदेशन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में की जायेगी।
- 74. **मतगणना के लिये नियत किये गये स्थान में प्रवेश**-(1) निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, मतगणना के लिये नियत स्थान से
  - (क) ऐसे व्यक्ति को जिसे वह मतगणना में सहायता करने के लिये नियुक्त करे,
  - (ख) आयोग या जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,
  - (ग) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक और
  - (घ) अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता और गणन अभिकर्ता को छोड़कर, अन्य व्यक्ति को हटा देगा।
- (2) मतगणना टेबुल पर मतपेटी खोले जाने के पूर्व वहां उपस्थित गणन अभिकर्ताओं को मतपेटी की पेपर सील की अक्षुण्णता के सत्यापन निमित्त मतपेटी का निरीक्षण करने दिया जायगा।
- (3) यदि निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का समाधान हो जाता है कि मतपेटी में गड़बड़ी की गई है तब उस मतपेटी की बाबत निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी
  - (क) उस मतपेटी में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं की जायेगी,
  - (ख) उपर्युक्त खण्ड(क) के संबंध में सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से आयोग को अविलम्ब दी जायेगी।
- (4) उप-नियम 3 (ख) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर आयोग तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यथोचित निदेश देगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी आयोग के निदेशानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।
- 75. **मतपत्रों की संवीक्षा और उन्हें प्रतिक्षेपित किया जाना** (1) मतपेटी में अन्तर्विष्ट किसी मतपत्र को उस दशा में प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा, यदि
  - (क) उस पर ऐसा कोई चिह्न या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है , या
  - (ख) वह बनावटी मतपत्र है, या
  - (ग) वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है, या
  - (घ) उस पर प्रभेदक चिह्न या पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, या
  - (ङ) मतपत्र चिह्नित नहीं किया गया है, या
  - (च) एक से अधिक अभ्यर्थी के कालम में चिह्न लगाया गया है, या
  - (छ) उस पर विहित उपकरण से भिन्न उपकरण से चिह्न लगाया गया है।
  - (ज) मतपत्र प्रपत्र 9 में अंकित किसी अभ्यर्थी का नाम या अभ्यर्थियों के नाम क्रम / या किसी

### अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक के अनुरूप नहीं मुद्रित हो।

#### (झ) ऐसा कोई अन्य आधार जो आयोग द्वारा सामान्य या विशिष्ट निदेश से विहित किया गया हो :

परन्तु यह कि निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का समाधान हो जाने पर कि खण्ड (घ) में वर्णित त्रुटि संबंधित पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी की भूल के कारण हुई है, यह निदेश दे सकेगा कि खण्ड (घ) की त्रुटि के आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा ;

परन्तु यह और कि यदि मतदाता द्वारा अंकित किये गये चिह्न का विस्तार मतपत्र के दो कॉलमों में हो गया हो तो उस मत की गणना उस अभ्यर्थी के पक्ष में की जाएगी जिसके कालम में चिह्न का अधिक भाग पड़ता हो।

- (2) निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी किसी मतपत्र को उप-नियम (1) के अधीन प्रतिक्षेपित करने से पूर्व प्रत्येक ऐसे गणन अभिकर्त्ता को, जो उपस्थित हो, मतपत्र निरीक्षण के लिये युक्तियुक्त अवसर देगा किन्तु उसे किसी मतपत्र को हाथ नहीं लगाने देगा।
- (3) निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, प्रतिक्षेपित मतपत्र पर शब्द "प्रतिक्षेपित" अंकित कर प्रतिक्षेपण के आधार को हाथ से या रबर स्टाम्प से अभिलिखित करेगा।
  - (4) प्रतिक्षेपित मतपत्रों को एक बंडल में बांधा जाएगा।
- 76. **मतों की गणना** (1) प्रतिक्षेपित मतपत्रों को छोड़ कर मतपेटिका में पाये गये प्रत्येक मतपत्र की गणना की जायेगी ।
- (2) मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी ग्राम पंचायत के सदस्य/ग्राम कचहरी के पंच के लिए प्रपत्र 19 में तथा मुखिया / सरपंच तथा पंचायत समिति/ जिला परिषद् के सदस्य के लिए प्रपत्र 20 में मतगणना का परिणाम अभ्यर्थीवार अंकित करेगा।
- (3) तत्पश्चात् विधिमान्य मतपत्रों को बंडल में बांधा जाएगा और प्रतिक्षेपित मतपत्रों के बंडल के साथ पृथक पैकेट में सीलबन्द किया जाएगा जिसपर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी, यथा—
  - (क) ग्राम पंचायत के सदस्य / ग्राम कचहरी के पंच के निर्वाचन के मामले में ग्राम पंचायत का नाम एवं संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, मुखिया / सरपंच के निर्वाचन के मामले में ग्राम पंचायत का नाम एवं संख्या तथा पंचायत समिति / जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन के मामले में, यथास्थिति, पंचायत समिति, जिला परिषद् का नाम एवं संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या;
  - (ख) उस मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रमांक जिसके मतपत्र हों; और
  - (ग) मतगणना की तारीख।
- 77. **मतगणना** मतगणना यथासाध्य लगातार की जायगी। यदि मतगणना निलंबित करनी पड़े, तब मतपत्र और अन्य कागजात सीलबंद कर सुरक्षित रखे जायेंगे। उपस्थित अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता इच्छानुसार उनपर अपनी सील लगा सकेंगे।
- 78. प्रत्यादिष्ट / स्थिगत निर्वाचन के निमित्त मतदान के लिए मतगणना। (1) नियम 50 के अधीन प्रत्यादिष्ट एवं नियम 71 के अधीन स्थिगत हुए मतदान के संबंध में निर्वाचन के पश्चात् जिला निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना हेतु तिथि, समय और स्थान नियत करेगा तथा इसकी सूचना अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को

देगा।

- (2) ऐसी मतगणना का परिणाम नियम 76 के उप-नियम (2) के अधीन यथास्थिति निर्धारित प्रपत्र में अंकित किया जायगा।
- 79. **मतों की पुनर्गणना** (1) अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता या उसका गणन अभिकर्त्ता मतपत्रों की पुनर्गणना के लिए उसके आधार सहित निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित आवेदन कर सकेगा।
- (2) ऐसे आवेदन को निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अभिलिखित कारण सहित पूर्णतः या अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेगा।
- (3) यदि निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी आवेदन को उप-नियम (2) के अधीन पूर्णतः या अंशतः स्वीकृत करता है, तो वह मतपत्रों की पुनर्गणना करायेगा तथा नियम 76 के उप-नियम (2) में निर्धारित प्रपत्र में मतगणना के परिणाम को यथास्थिति संशोधित करेगा और उस परिणाम की घोषणा करेगा।
  - (4) उसके पश्चात् पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन पुनः नही लिया जायेगा।
- 80. मत बराबर होना यदि मतों की गणना पूरी होने के पश्चात् दो या अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत आए हों जो अधिकतम हों तब निर्वाची पदाधिकारी उन अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी निकालेगा और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉटरी निकलेगी उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ माना जायगा तथा निर्वाची पदाधिकारी तदनुसार मतगणना का परिणाम घोषित करेगा।
- 81. **परिणामों की घोषणा** (1) निर्वाची पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी प्रपत्र 21 में निर्वाचन परिणाम की विवरणी अंकित कर यथास्थिति ग्राम पंचायत के सदस्य/ग्राम कचहरी के पंच, मुखिया/सरपंच तथा पंचायत समिति/ जिला परिषद् के सदस्य के लिए उस अभ्यर्थी को, जिसे अधिकतम विधिमान्य मत मिले हैं, निर्वाचित घोषित करेगा और उसी प्रपत्र में इसे प्रमाणित करेगा।
- (2) प्रपत्र 21 की हस्ताक्षरित प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी को तथा उसके माध्यम से एक-एक प्रति आयोग को और निदेशक , पंचायत राज को भेजी जायेगी।
- 82. **निर्वाचन प्रमाण-पत्र** निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को , जो निर्वाचित हुआ है, प्रपत्र 22 में निर्वाचन प्रमाण पत्र देगा।
- 83. **निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन** जिला निर्वाचन पदाधिकारी विधिवत निर्वाचित व्यक्तियों की सूची प्रपत्र 23 में जिला गजट में प्रकाशित करायेगा तथा उसकी एक-एक प्रति आयोग एवं निदेशक, पंचायत राज को भेजेगा।

### अध्याय 11 निर्वाचन संबंधी अभिलेख

- 84. **निर्वाचन संबंधी अभिलेखों की अभिरक्षा** जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियम 67, 68 एवं 76 (3) में निर्दिष्ट पैकेटों को आयोग द्वारा यथाविहित रीति से अभिरक्षा में रखेगा।
- 85. **निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का उपस्थापन तथा निरीक्षण** अभिरक्षण में रखे हुए निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का उपस्थापन एवं निरीक्षण अध्यादेश में विहित न्यायालय/ प्राधिकारी के आदेश से ही किया जा सकेगा।
- 86. **निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का विनष्टीकरण** नियम 84 में निर्दिष्ट निर्वाचन अभिलेख एक वर्ष की कालाविध तक या किसी विधिक कार्यवाही के लंबित रहने की कालाविध तक अभिरक्षा में रखे जायेंगे और तत्पश्चात् आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अध्यधीन उन्हें नष्ट कर दिया जायेगा।

#### अध्याय 12

## उप-मुखिया, उप-सरपंच, उप-प्रमुख, प्रमुख, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष का निर्वाचन

87. निर्वाचन के लिए बैठक — (1)राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में अधिनियम की धारा 15, 93,40 एवं 67 के अधीन क्रमशः उप-मुखिया एवं उप-सरपंच, प्रमुख एवं उप-प्रमुख तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के निमित्त ग्राम पंचायत तथा ग्राम कचहरी / पंचायत समिति/ जिला परिषद् की बैठक की तिथि, समय और स्थान यथास्थिति प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी तथा जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा जिसकी सूचना सभी संबंधित सदस्यों को प्रपत्र 24 में दी जायेगी।

परन्तु यह कि अगर किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत से अधिक स्थान रिक्त हों, तो उन रिक्त पदों को भरने हेतु अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन करा लेने के पश्चात ही उक्त पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के प्रमुख / उप प्रमुख अथवा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु बैठक निर्धारित किया जायेगा।

- (2) उपनियम (1) के अधीन विहित तिथि को बुलायी गयी बैठक में सर्वप्रथम यथास्थिति ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों को नियम 126 में विहित प्रक्रिया अनुसार शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञा करायी जाएगी।
- 88. **बैठक की अध्यक्षता** अनुमंडल दंडाधिकारी पंचायत समिति एवं जिला दंडाधिकारी जिला परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा। ग्राम पंचायत / ग्राम कचहरी की बैठक की अध्यक्षता प्रखण्ड विकास पदाधिकारी करेगा।
- 89. **नाम निर्देशन-पत्र दाखिल किया जाना** प्रत्येक अभ्यर्थी प्रपत्र 25 में नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करेगा। किसी अभ्यर्थी का प्रस्तावक एवं समर्थक, यथास्थिति, ग्राम पंचायत / ग्राम कचहरी/ पंचायत समिति/ जिला परिषद् का कोई सदस्य होगा। एक सदस्य एक ही अभ्यर्थी का प्रस्तावक या समर्थक होगा।
  - 90. नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा —(1) अध्यक्ष नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा करेगा।
  - (2) अध्यक्ष —
  - (क) उस अभ्यर्थी का नाम जिसका नाम निर्देशन पत्र अविधिमान्य पाया गया है, उसके आधार सहित; तथा
  - (ख) उस अभ्यर्थी का नाम जिसका नाम निर्देशन-पत्र विधिमान्य पाया गया है, पढकर सुनायेगा।
- 91. विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना अध्यक्ष देवनागरी लिपि में वर्ण क्रमानुसार विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची बनायेगा तथा उसकी घोषणा करेगा।
- 92. **निर्विरोध निर्वाचन** यदि पद के लिए एक ही विधिमान्य अभ्यर्थी हो तो अध्यक्ष उसे सम्यक रूपेण निर्वाचित घोषित करेगा।

- 93. **सविरोध निर्वाचन** —यदि विधिमान्य अभ्यर्थी एक से अधिक हों तब अध्यक्ष बैठक में उपस्थित सदस्यों का गुप्त मतदान करायेगा और तत्संबंधी प्रक्रिया निर्धारित करेगा।
  - 94. **मतपत्र** अध्यक्ष प्रपत्र 26 में मतपत्र तैयार करायेगा। मतपत्र अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
- 95. **मतदान की प्रक्रिया** (1) प्रत्येक सदस्य को एक मतपत्र दिया जायगा, जिसमें वह निर्धारित गुप्त रीति से किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने (x) का चिह्न लगाकर अपना मत व्यक्त करेगा।
  - (2) अध्यक्ष द्वारा निर्धारित गोपनीय प्रक्रिया का अनुसरण कर ऐसे मतपत्रों को एकत्र किया जायगा।
  - 96. **अविधिमान्य मतपत्र** कोई मतपत्र अविधिमान्य होगा यदि —
  - (क) उस पर सदस्य का हस्ताक्षर हो या कोई ऐसा शब्द दृष्टिगत हो जिससे मतदाता पहचाना जा सके या
  - (ख) उस पर एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने चिह्न लगाया गया हो , या
  - (ग) उस पर चिह्न इस प्रकार लगाया गया हो कि यह निश्चित नहीं हो सके कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है , या
  - (घ) उस पर क्रॉस का चिह्न नहीं लगाया गया हो , या,
  - (ङ) उस पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर नहीं हो।
  - 97. मतगणना (1) अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में मतपत्रों की गणना करेगा।
- (2) विधिमान्य मतपत्रों की गणना हो जाने पर अध्यक्ष उसका परिणाम प्रपत्र 27 में अभिलिखित करेगा तथा उस अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करेगा जिसे अधिकतम मत प्राप्त हुए हैं।
- 98. मत बराबर होना यदि मतों की गणना पूरी होने के पश्चात् दो या अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत आये हों, जो अधिकतम हों, तब अध्यक्ष उन अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी निकालेगा और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉटरी निकलेगी उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ माना जायेगा तथा अध्यक्ष तदनुसार मतगणना का परिणाम घोषित करेगा।
  - 99. प्रमाण-पत्र दिया जाना अध्यक्ष निर्वाचित अभ्यर्थी को प्रपत्र 22 में प्रमाण पत्र देगा।
- 100. **बैठक की कार्यवाही का अभिलेख तैयार किया जाना** —अध्यक्ष बैठक की कार्यवाही का अभिलेख तैयार करेगा तथा उस पर उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर लेते हुए अपना हस्ताक्षर करेगा।
- 101. निर्वाचित व्यक्तियों की सूची का प्रकाशन— अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्तियों की हस्ताक्षरित सूची, यथास्थिति, ग्राम पंचायत कार्यालय / प्रखंड कार्यालय/ जिला परिषद् कार्यालय में प्रकाशित करेगा।
- 102. **विधिमान्य-अविधिमान्य मतपत्रों का पैकेट बनाया जाना** अध्यक्ष विधिमान्य मतपत्रों तथा अविधिमान्य मतपत्रों के अलग-अलग पैकेट बनायेगा, प्रत्येक पैकेट को सीलबंद करेगा और उस पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का विवरण, संबंधित निर्वाचन तथा उसकी तारीख अंकित करेगा।
- 103. **निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का उपस्थापन तथा निरीक्षण** अभिरक्षा में रखे हुए निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का उपस्थापन एवं निरीक्षण अधिनियम में विहित न्यायालय / प्राधिकारी के आदेश से ही किया जा सकेगा।

- 104. **निर्वाचन संबंधी अभिलेखों की अभिरक्षा एवं विनष्टीकरण।** (1) जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियम 103 में निर्दिष्ट पैकटों को अभिरक्षा में रखेगा।
- (2) निर्वाचन अभिलेख एक वर्ष की कालाविध तक या किसी विधिक कार्यवाही के लंबित रहने की कालाविध तक अभिरक्षा में रखे जायेंगे और तत्पश्चात् आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निदेश के अध्यधीन रहने के पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जायगा।

#### अध्याय 13 प्रकीर्ण

105. **निर्वाचन की अधिसूचना** — राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, पंचायतों एवं ग्राम कचहरी को गठित करने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन के लिये तारीख या तारीखों को नियत कर राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करेंगे तथा इसके द्वारा अपेक्षा की जायेगी कि अध्यादेश तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के उपबंधों के अनुसार मतदातागण पंचायत/ग्राम कचहरी के पदधारकों को निर्वाचित करें:

परन्तु यह कि ऐसी कोई अधिसूचना निर्वाचन की नियत तिथि से पूर्व के छः माह से पहले नहीं निकाली जा सकेगी।

- 106. **चुनाव याचिका** (1) अध्यादेश की धारा 137 में विहित न्यायालय के समक्ष किसी निर्वाचित अभ्यर्थी के विरूद्ध चुनाव याचिका निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तीस (30) दिनों के भीतर दायर की जा सकेगी।
  - (2) वादी द्वारा अपनी याचिका में निम्नांकित को प्रतिपक्ष बनाया जा सकेगा:-
- (क) जब वादी द्वारा किसी अभ्यर्थी अथवा सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन को अवैध घोषित करने का दावा करने के अतिरिक्त स्वयं अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी के विधिवत निर्वाचन होने का दावा किया गया हो तो उस मामले में वादी को छोड़कर अन्य सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिपक्षकार बनाया जाएगा एवं जहां ऐसा कोई अतिरिक्त दावा नहीं किया गया हो वैसे मामले में सभी अभ्यर्थियों को ; एवं
  - (ख) अन्य कोई अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध याचिका में भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया हो।
- 107. **कोर्ट शुल्क** (1) ग्राम पंचायत /ग्राम कचहरी के किसी पद के प्रसंग में चुनाव याचिका के लिये **दो** हजार पॉच सौ रूपये कोर्ट शुल्क देय होगा।
- (2) पंचायत समिति/जिला परिषद् के किसी पद के प्रसंग में चुनाव याचिका के लिये **पाँच हजार** रूपये कोर्ट शुल्क देय होगा।
- 108. **चुनाव याचिका के तथ्यों का सत्यापन** चुनाव याचिका में उन तथ्यों का विवरण रहेगा जिस पर वादी निर्भर करता हो । वादी चुनाव चाचिका पर अपना हस्ताक्षर करेगा और व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 में विहित रीति से अपने अभिवचनों का सत्यापन करेगा।
- 109. **चुनाव याचिका की सुनवाई** सक्षम न्यायालय व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 में विहित रीति से चुनाव याचिका की सुनवाई करेगा।
- 110. **चुनाव याचिका की वापसी** चुनाव याचिका न्यायालय के आदेश के बिना वापस नहीं ली जा सकेगी : परन्तु यह कि यदि चुनाव याचिका में एक से अधिक वादी हों तो सर्वसम्मित के बिना चुनाव याचिका वापस नहीं ला जा सकेगी ।
- 111. **चुनाव याचिका की सुनवाई में भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान लागू होना** चुनाव याचिका की सुनवाई में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 लागू होगा।
  - 112. **चुनाव याचिका पर आदेश** (1) न्यायालय। विहित प्राधिकारी सुनवाई के पश्चात् यदि विनिश्चय

करता है कि निर्वाचित व्यक्ति अध्यादेश की धारा 139 अथवा 141 के प्रावधानों के अन्तर्गत कदाचार का दोषी है तो निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर सकेगा एवं पुनर्निर्वाचन का आदेश दे सकेगा।

- (2) अधिनियम की धारा 140 के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायालय / विहित प्राधिकारी अन्य अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित कर सकेगा।
- 113. **चुनाव याचिका पर आदेश की प्रति प्राप्त किया जाना** न्यायालय / विहित प्राधिकारी द्वारा चुनाव याचिका पर पारित आदेश की प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा आयोग को प्राप्त कराई जायेगी।
- 114. **निर्वाचन हेतु यान / परिसर का अधिग्रहण और वापसी** (1) जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन के प्रयोजनार्थ किसी यान या परिसर का लिखित आदेश से अधिग्रहण कर सकेगा ;

परन्तु यह कि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता को अनुमान्य वाहनों, जिसकी संख्या आयोग द्वारा विनिश्चित की गई हो, का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा।

- (2) यदि उप-नियम (1) के अधीन अधिग्रहित कोई परिसर/यान अधिग्रहण से निर्मुक्त किया जाना हो तब उसका कब्जा उस व्यक्ति को, जिससे परिसर/यान अधिग्रहित किया गया था, या उस व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त किया जायेगा।
- 115. **क्षतिपूर्ति भुगतान** जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नियम 116 के अधीन अधिग्रहित परिसर या यान की क्षतिपूर्ति का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जायेगा।
- 116. **आयोग द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत करने की शक्ति** आयोग इस नियमावली के प्रावधानों के अध्यधीन आवश्यक अनुदेश निर्गत कर सकेगा।
- 117. अयोग्यता का निर्णय बिहार पंचायत राज अध्यादेश, 2006 की धारा 136 की उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी अयोग्यता के प्रश्न के निर्णयार्थ अध्यादेश की धारा 136 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन सभी स्तर के पंचायतों के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग सक्षम प्राधिकारी होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति की अयोग्यता का मामला आवेदन, परिवाद पत्र या सूचना के माध्यम से किसी व्यक्ति अथवा पदाधिकारी द्वारा लाया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं भी ऐसे मामले का संज्ञान ले सकेगा। अयोग्यता का मामला दृष्टि में आने पर राज्य निर्वाचन आयोग संबंधित पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त मौका देते हुए ऐसे मामलों पर यथाशीघ्र निर्णय लेगा।
- 118. निर्वाचन खर्च का लेखा एवं उसकी अधिसीमा (1) पंचायत निकाय / ग्राम कचहरी निर्वाचन का प्रत्येक अभ्यर्थी नाम निर्देशन की तिथि एवं निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि की अवधि (दोनों तिथि सहित) में या तो स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन से संबंधित किये गये खर्चीं अथवा उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा अधिकृत किये गये खर्चीं का एक लेखा अलग से सही-सही संधारित करेगा।
- (2) कोई भी उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा पंचायत निकाय/ग्राम कचहरी के पदों, यथा जिला परिषद् सदस्य; ग्राम पंचायत मुखिया तथा सरपंच; पंचायत समिति सदस्य तथा ग्राम पंचायत सदस्य/पंच के निर्वाचन के संचालन एवं प्रबंधन मद में क्रमशः रूपये 50,000(पंचास हजार), 25,000(पंचीस हजार), 20,000(बीस हजार), 10,000 (दस हजार) से अधिक कोई व्यय न किया जायेगा और न प्राधिकृत किया जायेगा।

- 119. निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी (1) नियम 120 के अधीन जिला गजट में निर्वाचन परिणाम के प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी प्रपत्र-29 में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल की जायेगी जिसके साथ संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्र -30 में एक शपथ/ घोषणा दाखिल किया जायेगा।
- (2) जिस समय जब कोई निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ दाखिल की जायेगी तब वह उस पर दाखिल की तारीख अंकित करेगा और यह भी प्रमाणित करेगा कि उसकी राय में विवरणी नियम द्वारा अपेक्षित रीति से समय के अन्दर दाखिल की गई है।
- 120. **निर्वाचन व्यय विवरणी की सूचना -** निर्वाचन व्यय विवरणी के प्राप्ति के 7(सात) दिनों के अन्दर निर्वाची पदाधिकारी एक सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें विवरणी की प्राप्ति की तिथि और स्थान एवं समय जहाँ उसका निरीक्षण किया जा सकेगा, उल्लिखित रहेगा। यह सूचना शासकीय / जिला गजट में प्रकाशित की जायेगी और 10 (दस) रूपये शुल्क भुगतान पर विवरणी निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

ऐसी सूचना निर्वाची पदाधिकारी सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

- 121. **पंचायत में आकस्मिक रिक्ति** यदि पंचायत के किसी पदधारक का स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है तब जिला निर्वाचन पदाधिकारी आयोग को सूचित करेगा। आयोग रिक्त स्थान को भरने निमित्त अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबंधों के अध्यधीन कार्रवाई करेगा।
- 122. **शपथ-ग्रहण** (1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के अधीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) शपथ-ग्रहण /प्रतिज्ञा करने निमित्त कार्यक्रम निर्धारित करेगा।
- (2) ग्राम पंचायत के सदस्य तथा मुखिया एवं ग्राम कचहरी के पंच तथा सरपंच को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी ग्राम पंचायत /ग्राम कचहरी की प्रथम बैठक के पूर्व शपथ-ग्रहण / प्रतिज्ञा करायेगा।
- (3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रथम बैठक में मुखिया तथा सरपंच, क्रमशः उप-मुखिया एवं उप-सरपंच को शपथ-ग्रहण/प्रतिज्ञा करायेगा।

परन्तु मुखिया/ सरपंच की अनुपस्थिति में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी शपथग्रहण/ प्रतिज्ञा करायेगा।

- (4) जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जो अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से अन्यून हो, पंचायत समिति के सदस्य, प्रमुख एवं उप-प्रमुख को तथा जिला दंडाधिकारी जिला परिषद् के सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यंक्ष को शपथ -ग्रहण / प्रतिज्ञा करायेगा।
  - (5) शपथ-ग्रहण/प्रतिज्ञा प्रपत्र 28 में कराया जायेगा।
- (6) शपथग्रहण / प्रतिज्ञा करने वाले पदधारकों की सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित की जायेगी ।

#### प्रपत्र - 1

### नियम 8 (1), 8(4) देखिए निर्वाचन क्षेत्रों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

जिला – प्रमंद –

	399 <sup>—</sup>
*ग्राम पंचायत —	*निर्वाचन क्षेत्र
*पंचायत समिति —	(*मुखिया/ *सरपंच/ *प्रमुख/ *अध्यक्ष
*जिला परिषद् —	*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
	(सदस्य)

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक	जनसंख्या	* निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन
	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/नाम		क्षेत्र का विस्तार
1	2	3	4

स्थान तारीख

जिला दंडाधिकारी का हस्ताक्षर

\* जो लागू नहीं हों उसे काट दें ।

#### टिप्पणी : स्तमभ 4 में :

- (1) ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार के लिए क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद का नाम भरा जायेगा।
- (2) ग्राम पंचायत / ग्राम कचहरी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार के लिए टोला का नाम/ किसी निर्देश सूचक चिह्न (प्राकृतिक, कृत्रिम या अन्य वस्तुओं को दिखाते हुए ) भरा जायेगा।
- (3) पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार के लिए ग्राम पंचायत का नाम या यदि ग्राम पंचायत को विभक्त कर पंचायत समिति का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र गठित किया गया है तो विभक्त ग्राम पंचायत के लिए निर्देश सूचक चिह्न (प्राकृतिक, कृत्रिम या अन्य वस्तुओं को दिखाते हुए ) भरा जायेगा।
- (4) जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पंचायत का नाम या यदि पंचायत समिति को विभक्त कर जिला परिषद् का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र गठित किया गया है तो विभक्त पंचायत समिति के लिए निर्देश सूचक चिह्न (प्राकृतिक, कृत्रिम या अन्य वस्तुओं को दिखाते हुए) भरा जायेगा।

पंचायत निर्वाचन

#### प्रपत्र - 2

(नियम 15 देखिये)

## आरक्षण कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र आवंटन पंजी

जिला परिषद			पंचाय	त समिति .			ग्राम पंचायत		
	भाग-एक								
			कोटिवार	र जनसंख्य	ग एवं कोवि	टेवार अनुमान्य पद			
*राज्य					*जिला पी	रेषद के अध्यक्ष/ सद	स्य		
*जिला परिषद				*पंचायत समिति के प्रमुख/ सदस्य					
*पंचायत समिति	की ग्रामीण जनसंख्या			*ग्राम पंचायत के मुखिया/ ग्राम कचहरी के सरपंच				के लिए	
*ग्राम पंचायत					*ग्राम पंचायत के सदस्य/ ग्राम कचहरी के पंच				
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल	कुल पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति के	पिछड़ा वर्ग के	अन्य के लिए
						के लिए कुल पद	लिए कुल पद	लिए कुल पद	कुल पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## भाग-दो निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या

क्रमांक	*निर्वाचन क्षेत्र/*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम	*निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जनसंख्या				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

भाग-तीन निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या : अवरोही क्रम में

*निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	IV	6
ऽ अवरोही क्रम में अन्य की जनसंख्या		8
ड़े *निर्वाचन क्षेत्र/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	I	2
ह अवरोही क्रम में पिछ <mark></mark> ड़े वर्ग की जनसंख्या	$\Pi$	9
*निर्वाचन क्षेत्र/*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या		5
अवरोही क्रम में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	I	4
'निर्वाचन क्षेत्र/*प्रादेशिक् निर्वाचन क्षेत्र संख्या		8
क अवरोही कम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	I	2
क्रमांक		-

भाग-चार आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी

	अन्य	10
अन्य	महिला	6
। वर्ग	अन्य	80
पिछडा	महिला	7
जनजाति	अन्य	9
अनुसूचित व	महिला	5
त जाति	अन्य	4
अनुसूचित	महिला	က
	*निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ *प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	2
	क्रमांक	-

\* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

#### प्रपत्र - 3 (नियम 16, 17 देखिये)

## आरक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

जिला	जला*ग्राम पंचायत			*निर्वाचन क्षेत्र		
	*पंचायत समिति		(*मुखिया/*	सरपंच/ *प्रमुख/ *अध्यक्ष)		
प्रखंड	*जिला परिषद्		*प्रादेशिक र्र	नेर्वाचन क्षेत्र		
				(सदस्य)		
क्रमांक	*निर्वाचन क्षेत्र/*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम	कोटि जिसके लिये ३ अनारक्षित है।	गरिक्षत/	महिला के लिए आरक्षित/ अन्य।		
1	2	3		4		
'	2	3		7		
* जो लागू	नहीं हो उसे काट दें।					
			जिला दंडा			
		आ		का हस्ताक्षर कृत पदाधिकारी		

- टिप्पणी (1) यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारिक्षत कोटि के अन्तर्गत आता है तब ``अनारिक्षत'' का उल्लेख किया जाये।
  - (2) यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित है तब स्तम्भ 4 में ``महिला'' शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं हैं तब ``अन्य'' शब्द का उल्लेख किया जाये।

					वर्ष		
			प्रपत्र - 4				
			(नियम 21 देखि	ये)			
			•	,			
	<u>मतदाता सूची</u>						
जिला		प्रख	iड	ग्राम पंचार	यत		
	ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या						
क्रमांक	विधान-सभा निर्वाचक	गृह संख्या	मतदाता का नाम	पिता/माता/पति	पुरूष/ महिला	आयु	निर्वाचक
	नामावली का क्रमांक			का नाम			पहचान
							पत्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

## प्रपत्र - 5 (नियम 36 देखिये) कार्यालय जिला निर्वाचन पदाधिकारी .....

## निर्वाचन की सूचना

	बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
मैं	जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिला
इससे	संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट *ग्राम पंचायत के सदस्यों/*ग्राम कचहरी के पंचों/*ग्राम पंचायत वे
मुखिय	/*ग्राम कचहरी के सरपंच/*पंचायत समिति/*जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा निम्नलिखित
सूचना	देता हूँ कि :-
*ग्राम	अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (7) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारी *ग्राम पंचायत/ कचहरी/*पंचायत समिति/*जिला परिषद्के लिए *पंचो/*सदस्यों/*मुखिया/ च के निर्वाचन का संचालन करने हेतु निर्वाची पदाधिकारी होगा।
(ख)	निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (8) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने का स्थान, अवधि और समय होगा।
(ग)	निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (9) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय होगा।
(ঘ)	निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (10) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र वापस लेने का स्थान, तारीख और समय होगा।
(ङ)	निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (11) में विनिर्दिष्ट तारीख और समय मतदान की तारीख और समय होगा।
(च)	निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट तारीख और समय मतों की गणना करने की तारीख और समय होगा।
(छ)	निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट स्थान मतों की गणना का स्थान होगा।
स्थान	
तारीर	ı जिला निर्वाचन पदाधिकारी

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

टिप्पणी – यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्तम्भ (12) में अंकित तारीख और समय एवं स्तम्भ (13) में अंकित स्थान पर मतगणना नहीं हो सकी तो मतगणना का संशोधित कार्यक्रम अलग से निर्धारित किया जा सकेगा।

#### अनुसूची

अनुक्रमांक	*ग्राम पंचायत	पद	निर्वाचन क्षेत्र की	आरक्षित/	महिला के लिए	निर्वाची पदाधिकारी
	*ग्राम कचहरी		संख्या एवं नाम	अनारक्षित	आरक्षित/ अन्य	का नाम तथा पदनाम
	*पंचायत समिति					
	*जिला परिषद् का नाम।					
1	2	3	4	5	6	7

नाम निर्देशन-पत्र	नाम निर्देशन-पत्र	नाम निर्देशन-पत्र	वह तारीख तथा	मतों की गणना	मतों की
दाखिल करने का	संवीक्षा करने का	वापस लेने का	वह समय जिसके	करने की	गणना का
स्थान, अवधि	स्थान, तारीख	स्थान, तारीख	दौरान मतदान	तारीख और	स्थान
(तारीख) और समय	और समय।	और समय।	होगा ।	समय।	
8	9	10	11	12	13

स्थान	जिला निर्वाचन पदाधिकारी
V91 1	1-1011 1 1-11-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
नारीग्व	िन्ना
वाराख	।ଏଏ।

- टिप्पणी 1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नामका उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब ''अनारक्षित'' का उल्लेख किया जाये।
  - 2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में ``महिला'' शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं है तब ``अन्य'' शब्द का उल्लेख किया जाये।
  - 3. स्तम्भ 8 में ``अविध (तारीख)'' नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजिनक अवकाश का दिन न हो, यथा ``मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक''।

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(नियम 38 (2), 39 (1) देखिये)

## नाम निर्देशन-पत्र

जिला	प्रखंड	
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम पंचायत के सदस्य
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम कचहरी के पंच
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम पंचायत के मुखिया
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम कचहरी के सरपंच
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	पंचायत समिति के सदस्य
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	जिला परिषद् के सदस्य
के लिए निर्वाचन।		
मैं उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के करती हूँ।	उपर्युक्त पद के लिये निम्नि	निखत को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/
अभ्यर्थी का नाम –		
पिता/माता/पति का नाम –		
डाक पता –	प्रखंड –	जिला –
जो ग्राम पंचायत	के प्रादेशिक ि	नेर्वाचन क्षेत्र संख्या की मतदाता
सूची में क्रमांक पर प्र	विष्ट है।	
मेरा नाम	है जो रि	जेला
प्रखंड	ग्राम पंचायत	के प्रादेशिक निर्वाचन
क्षेत्र संख्या	की मतदाता सूची में क्रमां	क पर प्रविष्ट है।
स्थान		
तारीख		प्रस्तावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
* ->4: ->>:		

मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी, इस नाम निर्देशन के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ और एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैंने ..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
- (ख) मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/पित का नाम ऊपर देवनागरी लिपि में हिन्दी में सही लिखा गया है।
- (ग) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अर्हित हूँ और अन्यथा अनर्हित भी नहीं हूँ।

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(घ) मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का हूँ। सक्ष पत्र इसके साथ संलग्न है।	म पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-
स्थान	
तारीख	अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)	
नाम निर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक	
यह नाम निर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में तारीख	. को(बजे) अभ्यर्थी
द्वारा स्वयं परिदत्त किया गया।	
तारीख	निर्वाची पदाधिकारी
नाम निर्देशन-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले निर्वाची पदाधिकारी का वि	निश्चय।
मैंने इस नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-	2006 के नियम 41 के अनुसार कर
स्थान	
तारीख	निर्वाची पदाधिकारी
नाम निर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की	सूचना
(नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को दी जाने के लिये)	
नाम निर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक	
श्री/सुश्री/श्रीमती का, जो*	
के निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी है, नाम निर्देशन-पत्र मुझे तारीख	को (बजे)
अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त किया गया। सभी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा तारीख	को (बजे)
स्थान में की जायेगी।	
स्थान	
तारीख	निर्वाची पदाधिकारी

<sup>\*</sup>इस स्थान पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम तथा संबंधित पद लिखें जैसा इस प्रपत्र के शीर्ष भाग पर प्रस्तावक द्वारा अंकित किया गया है।

## प्रपत्र - 7 (नियम 41 (6) देखिये)

# विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची

जिला		प्रखंड	
*प्रादेशिक ।	नेर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम पंचायत के सदस्य
*प्रादेशिक ।	निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम कचहरी के पंच
*निर्वाचन क्ष	ोत्र संख्या	से	ग्राम पंचायत के मुखिया
*निर्वाचन क्ष	नेत्र संख्या	से	ग्राम कचहरी के सरपंच
*प्रादेशिक ि	नेर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	पंचायत समिति के सदस्य
*प्रादेशिक वि	नेर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	जिला परिषद् के सदस्य
के लिए निव	चिन।		
क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/पित का नाम	
1	2	3	4

स्थान	
तारीख	निर्वाची पदाधिकारी

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

#### प्रपत्र - 8 (नियम 42 देखिये)

## अभ्यर्थिता वापस ली जाने की सूचना

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	गाम पंचायत के सदस्य
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	गाम कचहरी के पंच
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम पंचायत के मुखिया
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम कचहरी के सरपंच
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	पंचायत समिति के सदस्य
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	जिला परिषद् के सदस्य
के लिए निर्वाचन ।		
—————————————————————————————————————		
群	पुत्र/पुत्री/पति	, जो उपर्युक्त निर्वाचन
के लिये विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्य	ार्थी हूँ, एतद् द्वारा सूचना देता <b>/</b> देती हूँ ।	कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता/लेती
हूँ		
स्थान		विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी
WWG		का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में	(तारीख) को	बजे अभ्यर्थी/अभ्यर्थी के
प्रस्तावक/अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्त्ता ह		
तारीख		निर्वाची पदाधिकारी
* जो लागू न हो उसे काट दें।		
(सूचन	वापसी की सूचना के लिये रसीद ।। देने वाले व्यक्ति को दिये जाने के लि	नये)
श्री/सुश्री/श्रीमती	जो**	के लिये
निर्वाचन हेतु विधिमान्य रूप से नाम निर्दि		
प्रस्तावक/अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्त्ता ह	द्वारा मेरे कार्यालय में	(बजे) (तारीख) को
दी गई।		
तारीख		निर्वाची पदाधिकारी

46

<sup>\*\*</sup> इस स्थान पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम तथा संबंधित पद लिखें जैसा इस प्रपत्र के शीर्ष भाग पर प्रस्तावक द्वारा अंकित किया गया है।

## प्रपत्र - 9 (नियम 43 (1) देखिये)

# निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

जिला		प्रखंड	
		से	
*प्रादेशिक नि	र्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम कचहरी के पंच
*निर्वाचन क्षेत्र	त्र संख्या	से	ग्राम पंचायत के मुखिया
*निर्वाचन क्षेत्र	त्र संख्या	से	ग्राम कचहरी के सरपंच
*प्रादेशिक नि	र्वाचन क्षेत्र संख्या	से	पंचायत समिति के सदस्य
*प्रादेशिक नि	ार्वाचन क्षेत्र संख्या	से	जिला परिषद् के सदस्य
के लिए निर्वाच			
		अभ्यर्थी का पता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4

स्थान .....

तारीख ..... निर्वाची पदाधिकारी

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

## प्रपत्र - 10 (नियम 45 (1) देखिये)

# निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	सेग्राम पंचायत के सदस्य
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	. सेग्राम कचहरी के पंच
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से ग्राम पंचायत के मुखिया
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से ग्राम कचहरी के सरपंच
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	सेपंचायत समिति के सदस्य
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	सेजिला परिषद् के सदस्य
के लिए निर्वाचन ।	
मैं (अभ्यर्थी का नाम)	उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी
हूँ तथा श्री	(अभिकर्त्ता का नाम एवं पता) को आज की
तारीख से एतद् द्वारा अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्त कर	ता/करती हूँ।
स्थान	
तारीख 	अभ्यर्थी का हस्ताक्षर <b>/</b> अंगूठे का निशान ————————————————————————————————————
मैं उपर्युक्त नियुक्ति स्वीकार करता/करती हूँ।	
स्थान	
तारीख	निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
अनुमं	ोदित
स्थान	
तारीख	निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

<sup>\*</sup> जो लागू न हो उसे काट दें।

## प्रपत्र - 11 (नियम 46 (1) देखिये)

## मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति

*पारेषिक निर्वाचन थेन गंग्या	सेग्राम पंचायत के स	ਟ ਹ ਹ ਹ
	सेग्राम कचहरी के	
	से ग्राम पंचायत के मुि	
	से ग्राम कचहरी के स	
	सेपंचायत समिति के सन	
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	सेजिला परिषद् के सन	दस्य
के लिए निर्वाचन ।		
*मैं, (अभ्यर्थी का नाम)	जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी	— हूँ/
मैं, (निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम)	, जो श्री/सुश्री/श्रीमती	
जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ का निर्वाचन अि	भकर्त्ता हूँ, एतद् द्वारा श्री/सुश्री/श्रीमती	
पता	को मतदान केन्द्र संख्या	
स्थान पर मतदान अि	भेकर्त्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ।	
स्थान		
स्थानतारीख	अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निः	शान
तारीख	अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निः न पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।)	शान
तारीख (मतदान अभिकर्त्ता द्वारा घोषणा जिसपर पीठासी		
तारीख (मतदान अभिकर्त्ता द्वारा घोषणा जिसपर पीठासी	न पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।)	
तारीख(मतदान अभिकर्त्ता द्वारा घोषणा जिसपर पीठासी मैं, एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि	न पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।)	
तारीख(मतदान अभिकर्त्ता द्वारा घोषणा जिसपर पीठासी मैं, एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि	न पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।)	
तारीख (मतदान अभिकर्त्ता द्वारा घोषणा जिसपर पीठासी मैं, एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि व द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा/करूँगी।	न पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।)	यमों
तारीख (मतदान अभिकर्त्ता द्वारा घोषणा जिसपर पीठासी मैं, एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि व द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा/करूँगी।	न पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।) मैं उपर्युक्त निर्वाचन में अध्यादेश एवं उसके अधीन बनाये गए नि	यमों

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

<sup>\*</sup>जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

## प्रपत्र - 12 (नियम 48 (1) देखिये)

## गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	सेग्राम पंचायत के सदस्य
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	सेगाम कचहरी के पंच
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या	. से ग्राम पंचायत के मुखिया
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या	. से ग्राम कचहरी के सरपंच
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	सेपंचायत समिति के सदस्य
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	सेजिला परिषद् के सदस्य
के लिए निर्वाचन ।	
* मैं, (अभ्यर्थी का नाम)	, जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ/
* मैं, (निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम)	जो
श्री/ सुश्री/ श्रीमती	जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं, का निर्वाचन
अभिकर्त्ता हूँ,	
एतद् द्वारा श्री/सुश्री/श्रीमती	पता
को मतगणना के दौरानस्थान प	र गणन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ।
स्थान	
तारीख	अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
मैं गणन अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए स	हमत हूँ।
स्थान	
तारीख	गणन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(गणन अभिकर्त्ता की घोषणा जिसपर निर्वाची पदा	धिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।)
मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन में भी कार्य नहीं करूँगा/करूँगी।	अध्यादेश एवं उसके अधीन बनाये गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई
स्थान	
तारीख	गणन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
	मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

## **प्रपत्र - 13** (नियम 51 (1) देखिये)

## निर्विरोध निर्वाचन

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम पंचायत के सदस्य
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम कचहरी के पंच
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम पंचायत के मुखिया
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम कचहरी के सरपंच
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	पंचायत समिति के सदस्य
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	जिला परिषद् के सदस्य
के लिए निर्वाचन ।		
बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 200	06 के नियम 51 के अध्यधी	ान मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-
श्री/सुश्री/श्रीमती		
पता		
जो उपर्युक्त पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी थे	/थी, सम्यक् रूप से निर्वाचि	ात हो गए/गई हैं।
स्थान		
तारीख		निर्वाची पदाधिकारी

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

## प्रपत्र - 14 (नियम 61 (2) (ग) देखिये)

# अभ्याक्षेपित मतों की सूची

*प्रादेशि	क निर्वाचन क्षेत्र	संख्या		से		ग्राम पंच	गयत के सदस्य
*प्रादेशि	ाक निर्वाचन क्षेत्र	संख्या		से		ग्राम	कचहरी के पंच
*निर्वाच	ान क्षेत्र संख्या			से		ग्राम पंचा	ायत के मुखिया
*निर्वाच	ान क्षेत्र संख्या			से		ग्राम कच	गहरी के सरपंच
*प्रादेशि	क निर्वाचन क्षेत्र र	संख्या		से		पंचायत स	मिति के सदस्य
*प्रादेशि	क निर्वाचन क्षेत्र	संख्या		से		जिला पा	रेषद् के सदस्य
के लिए	निर्वाचन ।						
मतदान	केन्द्र संख्या						
स्थान .							
क्रमांक	मतदाता का नाम		मतदाता सूची में क्रमांक	उस प्रादेशिक निर्वाचन ह की संख्या जिसकी मतदा सूची है।		जिस व्यक्ति के खिल किया गया है उर हस्ताक्षर या अंगूठे	त व्यक्ति का
1	2		3	4		5	
अभ्य	यक्ति के खिलाफ ाक्षेप किया गया है व्यक्ति का पता		गेई पहचानने वाला तो उसका नाम	अभ्याक्षेपकर्त्ता का नाम		शे जमा करने पर पकर्त्ता का हस्ताक्षर	पीठासीन पदाधिकारी का आदेश
	6		7	8		9	10
स्थान					•		
तारीख						पीठासीन पदाधिकारी	का हस्ताक्षर

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(नियम 63 देखिये)

# दृष्टिहीन/निःशक्त मतदाताओं की सूची

*प्रादेशि	क निर्वाचन क्षेत्र सं	ख्या	से	ग्राम पंच	ग्रायत के सदस्य
*प्रादेशि	क निर्वाचन क्षेत्र सं	ांख्या	से	ग्राम	कचहरी के पंच
*निर्वाच	न क्षेत्र संख्या		से	ग्राम पंच	ायत के मुखिया
*निर्वाच	न क्षेत्र संख्या		से	ग्राम कः	वहरी के सरपंच
*प्रादेशि	क निर्वाचन क्षेत्र सं	ख्या	से	पंचायत स	ामिति के सदस्य
*प्रादेशि	क निर्वाचन क्षेत्र सं	ख्या	से	जिला प	रिषद् के सदस्य
के लिए	निर्वाचन ।				
मतदान	केन्द्र संख्या				
स्थान .					
क्रमांक	मतदाता सूची का	मतदाता का पूरा नाम	सहायक का पूरा नाम	सहायक का पूरा पता	सहायक का
	क्रमांक				हस्ताक्षर/ अंगूठे
					का निशान।
1	2	3	4	5	6

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(नियम 65 (3) देखिये)

## निविदत्त मतों की सूची

			<del></del>		
*प्रादेशि	ाक निर्वाचन क्षेत्र संख्य	π	से	ग्राम पंच	ग्रायत के सदस्य
*प्रादेशि	*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या				
*निर्वाच	ान क्षेत्र संख्या		से	ग्राम पंच	ायत के मुखिया
*निर्वाच	ान क्षेत्र संख्या		से	ग्राम क	वहरी के सरपंच
*प्रादेशि	क निर्वाचन क्षेत्र संख्या	ſ	से	पंचायत स	ामिति के सदस्य
*प्रादेशि	ाक निर्वाचन क्षेत्र संख्य	Т	से	जिला प	रिषद् के सदस्य
के लिए	निर्वाचन ।				
मतदान	केन्द्र संख्या				
स्थान					
V -11 1					
क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची का	उस प्रादेशिक निर्वाचन	निविदत्त मतपत्र का	मतदाता का
		क्रमांक	क्षेत्र की संख्या जिसकी	क्रमांक	हस्ताक्षर या अंगूठे
1	2	3	मतदाता सूची है 4	5	का निशान। 6
		-			
स्थान					
<u>चानी</u> रह					
पाराध					

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(नियम 67 देखिये)

## मतपत्र लेखा

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	गाम	। पंचायत के सदस्य
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से		प्राम कचहरी के पंच
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम	पंचायत के मुखिया
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम	कचहरी के सरपंच
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	पंचाय	त समिति के सदस्य
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	जिल	गा परिषद् के सदस्य
के लिए निर्वाचन ।			
मतदान केन्द्र संख्या			
स्थान			
		अनुक्रमांक	कुल संख्या
1. मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा !	गप्त मतपत्रों की संख्या	से	
2. उपयोग में नहीं लाये गये मतपत्रों की संख्या		से	
3. उपयोग में लाये गये मतपत्रों की संख्या (1 - 2 = 3)			
4. उपयोग में लाये गये किन्तु मतपेटी में नहीं ड (क) रद्द किये गये मतपत्रों का संख्या - (ख) निविदत्त मतपत्रों की संख्या - (ग) मुद्रण/लेखन की त्रुटि के कारण रद्द वि की संख्या योग - (क + ख + ग)			
<ol> <li>मतपेटी में डाले गये मतपत्रों की संख्या</li> <li>(3 - 4 = 5)</li> </ol>			
स्थान		पीठासीन पदाधिकारी	का हस्ताक्षर

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

## (नियम 67 देखिये)

# पेपर सील लेखा

*प्रादेशिव	क निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से		ग्राम पंचायत के सदस्य
*प्रादेशिव	क निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से		ग्राम कचहरी के पंच
*निर्वाचन	१ क्षेत्र संख्या	से	<u>,</u>	गाम पंचायत के मुखिया
*निर्वाचन	ा क्षेत्र संख्या	से	3	ग्राम कचहरी के सरपंच
*प्रादेशिव	ह निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	पंच	गयत समिति के सदस्य
*प्रादेशिव	n निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	f	जेला परिषद् के सदस्य
के लिए नि	नेर्वाचन ।			
मतदान व	केन्द्र संख्या			
ત્લાન				
		भाग (एक)		
क्रमांक	व्यवहृत मतपेटी की संख्या	व्यवहृत पेपर सील व	न अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3		4
		( <del>)</del>		
		भाग (दो)		
1. प्राप्त <sup>े</sup>	पेपरसील की संख्या		अनुक्रमांक से	कुल संख्या
2. व्यवह	त पेपर सील की संख्या		से	
3. बर्बाद	पेपर सील, यदि हो, की संख्या		से	
को वा	वहृत पेपर सील, जिसे निर्वाची पदाधिकारी  पस किया गया (2 + 3)]		से	
मतदान आ	भेकर्त्ता/ अभिकर्त्ताओं का हस्ताक्षर			
1				
2				
3				
4				
5				
स्थान				
तारीख			पीठासीन पव	राधिकारी का हस्ताक्षर

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(नियम 76 (2) देखिये)

## निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम-पत्र

(\*सदस्य/\*पंच)

जिला	प्रखंड					
प्रादेशिक	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम					
ग्राम पंच	ायत					
मतदान	मतदान केन्द्र संख्या स्थान					
क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य				
		मतों की संख्या।				
	योग –					
(क) विधि	ं धेमान्य मतों की कुल संख्या –					
	ाक्षेपित मतों की कुल संख्या –					
(ग) दाले	। गये मतों की कुल संख्या –					
	क + ख)					
मतगणना	ा का स्थान					
तारीख						
		निर्वाची पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी				
		द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर				

57

\* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(नियम 76 (2) देखिये)

भाग (एक)

## निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम-पत्र

जिला		प्रखंड	ग्राम पंचायत
*निर्वाचन	क्षेत्र संख्या	से	ग्राम पंचायत के मुखिया
*निर्वाचन	क्षेत्र संख्या	से	ग्राम कचहरी के सरपंच
*प्रादेशिक	निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	पंचायत समिति के सदस्य
*प्रादेशिक	निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	जिला परिषद् के सदस्य
के लिए निव	र्गाचन ।		
टेबुल संख	या		चक्र संख्या
क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम		अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या।
		योग –	
(ख) प्रतिक्षे (ग) डाले ग	गन्य मतों की कुल संख्या – पित मतों की कुल संख्या – 1ये मतों की कुल संख्या – + ख)		
मतगणना व	का स्थान		
तारीख			
			निर्वाची प्रसाधिकारी टाग पाधिकत

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(नियम 76 (2) देखिये)

भाग (दो)

## निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम-पत्र

जिला	प्रखड				ग्राम	पचायत	Γ		
*निर्वाचन	। क्षेत्र संख्या	से				ग्राग	म पंचा	यत के र	मुखिया
*निर्वाचन	। क्षेत्र संख्या	से				ग्रा	म कच	हरी के	सरपंच
*प्रादेशिव	p निर्वाचन क्षेत्र संख्या	. से				पंचार	यत सन्	मेति के	सदस्य
*प्रादेशिव	p निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से				जि	ला पि	रेषद् के	सदस्य
के लिए नि	नेर्वाचन ।								
क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम		अभ्यर्थी व	के पक्ष में	दिये गये	विधिमा	न्य मतों	की संख	या
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम्	सप्तम	कुल
		चक्र	चक्र	चक्र	चक्र	चक्र	चक्र	चक्र	योग
(क) विधिमान्य मतों की संख्या –									
(ख) प्रतिक्षेपित मतों की संख्या –									
(ग) डाले	। गये मतों की संख्या –								
(क + ख)									

निर्वाची पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(नियम 81 (1) देखिये)

# निर्वाचन परिणाम की विवरणी

जिला		. प्रखंड	ग्राम पंचायत
*प्रादेशिक	निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम पंचायत के सदस्य
*प्रादेशिक	निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	ग्राम कचहरी के पंच
*निर्वाचन	क्षेत्र संख्या	से	्रगाम पंचायत के मुखिया
*निर्वाचन	क्षेत्र संख्या	से	ग्राम कचहरी के सरपंच
*प्रादेशिक	निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	पंचायत समिति के सदस्य
*प्रादेशिक	निर्वाचन क्षेत्र संख्या	से	जिला परिषद् के सदस्य
के लिए निव	र्गाचन ।		
क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम		अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या।
1	2		3
		योग –	
		યાગ –	
` '	न्य मतों की कुल संख्या –		
. ,	नेत मतों की कुल संख्या –		
` '	ो मतों की कुल संख्या – + ख)		
`	ं करता/करती हूँ कि –		
नाम –	6		
पता –			
c	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
उपर्युक्त पद स्थान –	के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं।		
तारीख –			
			निर्वाची पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी

द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

## प्रपत्र - 22 (नियम 82, 99 देखिये)

## निर्वाचन प्रमाण-पत्र

<b>节</b>	निर्वाची पदाधिकारी/अध्यक्ष	इसके द्वारा प्रमाणित करता
हूँ कि मैंने दिनांक	. माह	वर्षको
श्री/सुश्री/श्रीमती	जो श्री/श्रीमती	
के/की पुत्र/पुत्री/पत्नी हैं और जो	ग्राम	प्रखंड
जिला के/की निवासी हैं	, को <b>(पद लिखें)</b>	के रूप में
(निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम लिखें)	से, जो (आरक्ष	ण कोटि लिखें)
के लिए आरक्षित/अनारक्षित है, सम्यक् रूपेण निर्वाचित	न घोषित किया है तथा प्रमाण स	वरूप मैंने उन्हें यह निंवीचन
प्रमाण-पत्र दिया है।		
स्थान		
तारीख	निर्वाची पदाधि	वकारी / अध्यक्ष का हस्ताक्षर
	(पदन	ाम की मुहर)

(नियम 83 देखिये)

#### निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 83 के अनुसरण में मैं एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम कचहरी/ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है :-

#### अनुसूची

 व्यक्ति का नाम		पद का विवरण	ग्राम कचहरी/ ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति/ जिला परिषद		
	पद	आरक्षित/ अनारक्षित	महिला/ अन्य	जिससे पद संबंधित है (निर्वाचन	
				क्षेत्र की संख्या एवं नाम सहित)	
1	2	3	4	5	
		l	I		

स्थान	
तारीख	जिला निर्वाचन पदाधिकारी

- टिप्पणी (1) यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब ''अनारक्षित'' का उल्लेख किया जाये।
  - (2) यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरिक्षत है तब स्तम्भ 4 में ''महिला'' शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरिक्षत नहीं है तब ''अन्य'' शब्द का उल्लेख किया जाये।

(नियम 87 देखिये)

## उप मुखिया/ उप-सरपंच/ प्रमुख/ उप-प्रमुख/ अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बैठक की सूचना

सेवा में,									
					(नाम से)				
* ग्राम पंच	ायत के मुरि	<u>ज</u> या							
ग्राम कचा	ऱरी के *सर	पंच/ *पंच							
*ग्राम पंचायत									
* पंचायत समिति	<u> </u>			के	सदस्य				
* जिला परिषद्									
महोदय,									
बिहार पंच	ायत निर्वाचन	न नियमावर	ली, 2006 वे	के नियम १	37 के उप-र्1	नेयम (1	) के अध्य	ाधीन एतद	द्वारा सूचित
किया जाता है कि	अध्यादेश व	की धारा *	15/*93/*	*40 <b>/</b> *6	7 के अधीन	*उप-मु	खिया/*	उप-सरपं	व/*प्रमुख/
*उप-प्रमुख/*३	ाध्यक्ष/*उप	ाध्यक्ष का	निर्वाचन कर	रने के लिए	र *ग्राम कच	हरी/*ग्र	ाम पंचाय	त/*पंचाय	गत समिति/
*जिला परि	षद की	बैठक	तारीख			व	जे		. (बजे)
			(स्	थान) पर	की जायेगी	। उक्त व	बैठक में १	भाग लेने व	क्री कृपा की
जाय।									
स्थान	,								
तारीख								ल दंडाधिव का हस्ताक्ष	हारी/प्रखंड र

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

## प्रपत्र - 25 (नियम 89 देखिये)

## नाम निर्देशन पत्र

	पंचायत समिति के *प्रमुख/ *उप-प्रमुख	
	जिला परिषद् के *अध्यक्ष/ *उपाध्यक्ष	
के निर्वाचन के लिए।		
अभ्यर्थी का पूरा नाम _		
उसका पता		
प्रस्तावक का पूरा नाम		
उसका पता		
	प्रस्तावक का हस्त	गक्षर
समर्थक का पूरा नाम _		
उसका पता		
	समर्थक का हरू	ताक्षर
	(अभ्यर्थी की घोषणा)	
मैं एतद्द्वारा यह	घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अपने नाम निर्देशन से सहमत	ा हूँ।
स्थान		
तारीख	अभ्यर्थी का हर	ताक्षर

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

## **प्रपत्र - 26** (नियम 94 देखिये)

मतपत्र

* पंचायत स	मिति	के *प्रमुख/ *उप-प्रमुख
* जिला परि	षद्	के *अध्यक्ष/ *उपाध्यक्ष
के निर्वाचन	के लिए।	
क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	क्रौस चिह्न (X) के लिए स्थान

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

टिप्पणी- \* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

किसी अभ्यर्थी को मत देने के लिए उसके नाम के सामने क्रौस चिह्न (X) अंकित कीजिये।

(नियम 97 (2) देखिये)

## निर्वाचन-परिणाम की विवरणी एवं घोषणा

* पंचायत समिति		के प्रमुख/उप-प्रमुख			
* जिला प	रिषद्	के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष			
का निर्वाच	न ।				
क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मतों की संख्या			
(क) विधिम	गान्य मतों की कुल संख्या –				
(ख) अविधि	धेमान्य मतों की कुल संख्या –				
	ाये मतों की कुल संख्या – + ख)				
मैं यह घोषि नाम –	त करता/करती हूँ कि –				
पता –					
उपर्युक्त पव स्थान –	द के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं।				
तारीख –		अध्यान का कावाना			
		अध्यक्ष का हस्ताक्षर			

<sup>\*</sup> जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(नियम 122 (5) देखिये)

## शपथ/प्रतिज्ञा पत्र

मैं	ईश्वर की शपथ लेता/ लेती हूँ/
	- निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता <b>/</b> करती हूँ
कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची १	श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा/ रखूँगी, अध्यादेश की व्यवस्थाओं
के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए जो न्याय होगा वही	करूँगा/करूँगी और किसी भय या पक्षपात, स्नेह या
दुर्भावना से रहित, अपने कर्त्तव्य का, जिस पर आरूढ़ हो	ने वाला/वाली हूँ, श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा/ करूँगी। मैं
कर्त्तव्य-पालन में अपेक्षानुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से	ा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कोई बात जो मेरे
विचाराधीन होगी या मुझे मालूम होगी, प्रकट नहीं करूँगा	/ करूँगी।
स्थान	
तारीख	शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञा कर्त्ता का हस्ताक्षर

विहित पदाधिकारी का हस्ताक्षर पदनाम की मुहर

#### प्रपत्र-29 निर्वाचन व्यय लेखा का प्रपत्र [देखें नियम - 119]

क्रमांक	व्यय का मद	मात्रा/ संख्या	किस व्यक्ति/ संस्था द्वारा व्यय वहन किया गया	व्यय की गई राशि	भुगतान की तिथि	भुगतान का तरीक (चेक/नगद)	ा भुगतान का प्रमाण (प्राप्ति रसीद/चेक का विवरण)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1. जमानत की राशि
- 2. मतदाता सूची का क्रय
- होर्डिंग, बैनर, झंडा, पर्णिका, पोस्टर सार्वजनिक घोषणा-पत्र का मुद्रण/ लगाने/वितरण पर हुए व्यय
- 4. विज्ञापन का प्रकाशन
- 5. आम सभा के प्रचार तथा सभा स्थल, पंडाल, ध्वनि विस्तारक यंत्र, फोटोग्राफर इत्यादि के किराये पर हुए व्यय
- 6. ऑडियो कैसेट के निर्माण एवं प्रसारण पर हुए व्यय
- अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्त्ता / मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता द्वारा प्रयोग में लाये गये वाहनों का किराया/ इंधन में हुए व्यय
- 8. निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता/समर्थकों के पारिश्रमिक/ अल्पाहार/आहार पर हुए व्यय
- 9. उपर्युक्त से भिन्न विविध व्यय

दिनांक -

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

(क) व्यय प्रतिवेदन दाखिल किये जाने की अपेक्षित तिथि	
(ख) व्यय प्रतिवेदन दाखिल किये जाने की तिथि	
दिनांक –	निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
मेरे द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन की जाँच की गई है तथा मेरी राय में यह अपेक्षित तरीके से दाखिल/ दाखिल नहीं किया गया है।	
69	
दिनांक –	निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नोट :- 1. उन मदों जिनके लिए रसीद प्राप्त नहीं की जा सके, यथा, रेल यात्रा या डाक टिकट, को छोड़कर शेष सर्भ	ो वस्तु/मद (Item) जो बीस रूपये या उससे अधिक

2. भुगतान की गई वैसी सभी राशि, जिनके लिए प्राप्ति रसीद संलग्न नहीं की गयी हो, का विस्तृत विवरण, भुगतान की तिथि के साथ, अंकित किया जाना है।

राशि की हो, का भाउचर संलग्न किया जाना है।

3. अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रपत्र -30 में शपथपत्र के साथ निर्वाचन व्यय प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

[देखें नियम - 119]

## शपथ-पत्र

मैं,
पिता/पति उम्र वर्ष
जोजिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
के सदस्य पद/ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी के मुखिया/सरपंच/पंच पद का अभ्यर्थी रहा हूँ,
एतद् द्वारा निष्ठा एवं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा समर्पित निर्वाचन व्यय का लेखा मेरी जानकारी एवं
विश्वास में सही एवं सत्य है।
दिनांक - अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

(2पं**/** वि.6-01**/** 2006) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुधीर कुमार राकेश सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक**/** पार्षद योजना तथा कोशी क्रान्ति योजना का कार्य)



# The Bihar Gazette EXTRA ORDIANARY PUBLISHED BY AUTHORITY

12 PAUSH 1930 (S) (NO. PATNA 1) PATNA, FRIDAY, 2ND JANUARY 2009

#### PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

The 31st October 2008

No. 2P/V6-170/2007/P.R./5558—In exercise of powers conferred by section 146 of the Bihar Panchayat Raj Ordinance, 2006 (Bihar Ordinance 01, 2006) the Governor of Bihar makes the following Rules:-

#### The Bihar Panchayat Election Rules, 2006 CHAPTER 1

- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Bihar Panchayat Election Rules, 2006
  - (2) It shall come into force immediately.
  - 2. Definition.— Unless there is anything repugnant in the subject or context :—
    - (a) "Ordinance" means Bihar Panchayat Raj Ordinance, 2006;
    - (b) "Section" means section of the Ordinance;
    - (c) "Election" means direct or indirect election of the office bearers of Gram Panchayat; Gram Katchahry, Panchayat Samiti and Zila Parishad subject to the Ordinance:
    - (d) "Bye-election" means election to be held for filling casual vacancies;
    - (e) "Commission" means State Election Commission constituted under Section 123 of the Ordinance;
    - (f) "District Election Officer (Panchayat)" (hereinafter referred as District Election Officer) means the officer designated or nominated by the Commission to conduct direct election of the Panchayats;
    - (g) "District Deputy Election Officer (Panchayat)" (herein after referred as District Deputy Election Officer ) means the Officer designated or nominated as such under these Rules;

- (h) 'Returning Officer(Panchayat)' (herein after referred as Returning Officer) means the officer appointed as such under these Rules;
- (i) "Assistant Returning Officer (Panchayat)" (herein after referred as Assistant Returning Officer) means the officer appointed as such under these Rules;
- (j) "District Panchayat Raj Officer" means an officer appointed or designated as such by the Government;
- (k) "Presiding Officer (Panchayat)" (herein after referred as Presiding Officer) means the officer appointed as such under these Rules;
- (l) "Elector" or "Voter" means the person whose name is enrolled in the electoral roll meant for the purpose of elections to be held for Gram Katchahry, Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad;
- (m) "Electoral Roll" means the electoral roll prepared under section 126 of the Ordinance;
- (*n*) "Marked copy of Electoral roll" means that copy of the electoral roll which is kept separately in an election for the purpose of marking the names of the voters while issuing ballot-paper to them;
- (o) "Counterfoil" means the counterfoil attached to a printed ballot paper;
- (p) "Constituency" means a constituency of Gram Panchayat, Gram Katchahry, Panchayat Samiti and Zila Parishad which includes their territorial constituencies also;
- (q) "Territorial Constituency" means the constituency of the members of Gram Panchayat, Gram Katchahry, Panchayat Samiti and Zila Parishad;
- (r) "Polling Station" means the place fixed for the purpose of polling for the election of a Panchayat;
- (s) "Ballot box" means any box, bag or other receptacle used for the purpose of casting votes by the voters in an election;
- (t) "Premises" means any land, building or any portion of a building and includes any cottage or other structure or any portion of the same;
- (u) "Vehicle" means vehicle worthy of being used for the purpose of election whether drived mechanically or otherwise;
- (v) "Corrupt practice" means the practice described in Section 141 of the Ordinance;
- (w) "Schedule" means the Schedule annexed to these Rules;
- (x) "Form" means forms annexed to these Rules; provided that in specific circumstances and to remove the practical difficulties, the Commission may make necessary modifications in any of the such forms.

The terms and expressions used in these Rules but not defined will have the same meaning as have been assigned to them in the Ordinance.

#### **CHAPTER 2**

#### Constitution and assignment of number to the Constituencies

- 3. Points to be considered in the constitution of territorial constituencies:—
  - (1) For the purpose of holding election of Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad and Gram Katchahry the areas falling within their jurisdiction shall be divided into territorial constituencies by the District Magistrate under sections 12, 37,64 and 90 of the Ordinance respectively under the direction, control and supervision of the State Election Commission.
  - (2) Each territorial constituency will consist of contiguous localaties and it will be so constituted in such a manner that each territorial constituency may consist of a population, as far as practicable, identical with the other and the boundaries of each territorial constituency to be clearly defined separating it with the other by natural or artificial elements; provided that—
    - (a) The population of each territorial constituency of a Gram Panchayat will be 500 or close to that, as may be practicable;

- (b) The population of each territorial constituency of a Panchayat Samiti will be 5000 or close to that, as may be practicable;
- (c) The population of each territorial constituency of Zila Parishad will be 50,000 or close to that, as may be practicable;

Provided further that, if any difficulty arises in the demarcation of territorial constituencies according to the yardstick mentioned above or in other exceptional circumstances, the District Magistrate shall, decide the matter in accordance with the guidelines obtained from the State Election Commission.

- 4. Constitution of the territorial constituencies of a Gram Panchayat .—The territorial constituencies of Gram Panchayats shall be constituted in such a manner that all the territorial constituencies of the Gram Panchayat are covered under the Gram Panchayat concerned.
- 5. Constitution of the territorial constituencies of a Panchayat Samiti.— The territorial constituencies of a Panchayat Samiti shall be constitued in such a manner that:-
  - (i) All the territorial constituencies of the Panchayat Samiti are covered under the area of the Panchayat Samiti concerned;
  - (ii) Each of the territorial constituencies of the Panchayat Samiti is covered under the specified Gram Panchayat area; and
  - (iii) In any circumstances the territorial constituency of the Gram Panchayat must not be spilitted due to the constitution of the territorial constituencies of the Panchayat Samiti.
- 6. Constitution of the territorial constituencies of a Zila Parishad.— The territorial constituencies of a Zila Parishad shall be constitued in such a manner that:-
  - (i) All the territorial constituencies of the Zila Parishad are covered under the area of Zila Parishad concerned;
  - (ii) Each of the territorial constituencies of the Zila Parishad is covered under the area of the specified Panchayat Samiti; and
  - (iii) In any circumstances the territorial constituency of the Panchayat Samiti must not be spilitted due to the constitution of territorial constituencies of the Zila Parishad.
- 7. Procedure for assignment of number to the constituencies.—The constituencies shall be numbered in the following manner, viz.:-
  - (1) Starting from the north-west of the Panchayat Samiti to the south-east, each Gram Panchayat will be serially numbered. Firstly, the name of the district, then stroke, then the number assigned to the Gram Panchayat and lastly the name of the Gram Panchayat will be entered, viz., Patna/1- Magarpal Gram Panchayat electoral constituency;
  - (2) Starting from the noth-west of the Gram Panchayat to its south-east, each territorial constituency of that Gram Panchayat will be serially numbered. Firstly, the name of the district, then storke, then the number assigned to the Gram Panchayat and name of the Gram Panchayat, then stroke and thereafter the number assigned to the territorial constituency will be entered, viz; Patna /1-Magarpal Gram Panchayat/territorial electoral constituency-1.
  - (3) Starting from the north-west of the district to its south-east, each Panchayat Samiti will be serially numbered. Firstly, the name of the district, then stroke, thereafter the number assigned to the Panchayat Samiti and the name of the Panchayat Samiti will be entered, viz; Patna/1 Maner Panchayat Samiti electoral constituency.
  - (4) Starting from the north-west of the Panchayat Samiti to its south-east, each territorial constituency of that Panchayat Samiti will be serially numbered. Firstly, the name of the district, then stroke, then the number assigned to the Panchayat Samiti and its name thereafter stroke and then the number assigned to the territorial electoral constituency will be entered, viz; Patna/1- Maner Panchayat Samiti/territorial electoral constituency -1;

- (5) Starting from the north-west of the Zila Parishad to its south-east, each territorial constituency of the Zila Parishad will be serially numbered. Firstly the name of the Zila Parishad, then stroke and thereafter the number assigned to the territorial constituency will be entered, viz. Patna Zila Parishad/territorial electoral constituency-1.
- 8. Publication of the list of territorial electoral constituencies:-
  - (1) The list of the territorial electoral constituencies prepared by the District Magistrate under this rule shall, in the cases of Gram Panchayat and Panchayat Samiti, be published in the offices of the Gram Panchayat and the Block concerned, and in the case of Zila Parishad in the offices of the Block, the Subdivisional Magistrate and the District Magistrate concerned in **Form-1**.
  - (2) Any objection with regard to anything contained in the list published under subrule (1) shall be submitted in writing to the District Magistrate or an officer authorised by him within fourteen days from the date of publication of the list.
  - (3) On receipt of an objection under sub-rule(2) the District Magistrate or the officer authorised by him shall, after necessary verification, record his decision which shall be final.
  - (4) The list of territorial constituencies prepared in **FORM -1** shall be published by the District Magistrate in the offices of the Gram Panchayat and the Block concerned in case of Gram Panchayat and Panchayat Samiti and in the offices of the Block, the Sub-divisional Magistrate and the District Magistrate concerned in the case of Zila Parishad and also in the District gazette and a copy of the same to be furnished to the State Election Commission and the Director, Panchayat Raj.

#### **CHAPTER 3**

#### Reservation/allotment of constituencies

- 9. Determination of seats for reservation in the constituencies:-
  - (1) Separate electoral constituencies shall be reserved for and alloted to the members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women of these categories subject to the sections 13, 15, 38, 40, 65, 91 and 93 of the Ordinance respectively for election of Member of Gram Panchayat, Mukhiya, Member of Panchayat Samiti, Pramukh, Member of Zila Parishad, Panch and Sarpanch of Gram Katchahry by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Election Commission.
  - (2) For election of the Chairman (Adhayksh) of Zila Parishad, separate electoral constituencies shall be reserved for and alloted to the members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women of these categories, subject to section 67 of the Ordinance, by the State Election Commission.
  - (3) After reservation and allotment of seats to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes under sub-rule (1) the number of seats out of the remaining seats to be reserved for the persons of the Backward Classes and women of these classes shall be as nearly as possible but not exceeding twenty percent of the total seats, subject to the overall limit of fifty percent reservation for all categories and allotment of those to be made in descending order of the total population of the remaining constituencies by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Eleciton Commission.
    - Similarly, separate constituencies shall be reserved and allotted by the State Election Commission; to the Backward Classes and Women of this category (in descending order of the total population of the remaining constituencies) under section 67 of the Ordinance for election to the post of Adhyaksha of Zila Parishad

Provided that in case of population of more than one electoral constituencies being equal the constituency coming first in the order of serial number shall be reserved for that category.

- 10. Procedure of calculation of the number of posts for the purpose of reservation.— The calculation of the number of posts of Panchayat for the purpose of reservation shall be made in accordance with to the procedure prescribed by the State Election Commission.
- 11. Allotment of the Constituencies for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Clasess and other categories in Panchayats:-
  - (1) As far as possible, only such constituencies shall be allotted to different categories in admissible number and in rotation whose population, on the basis of calculation in the descending order by the District Magistrate, is found comparatively higher than other categories; provided that, as far as possible, those constituencies out of the remaining constituencies as prescribed in sub-rule (3) of Rule 9, shall be alloted to the Backward Clasess category in addmissible number and on rotational basis whose population comes first in descending order of their (of the remaining constituencies) total population.

Provided that, in the first election for the purpose of allotment of constituencies admissible to different categories, allotment of constituency shall be made in the order of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others and for the allotment of the remaining constituencies the same order will be repeated;

Provided further that, in the second election for the purpose of allotment of constituencies admissible to different categories, allotment of constituency shall be made in the order of Scheduled Tribes, Backward Classes, others and Scheduled Castes and for the allotment of the remaining constituencies the same order will be repeated;

Provided further that, in the third election for the purpose of allotment of constituencies admissible to different categories, allotment of constituency shall be made in the order of Backward Classes, others, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and for the allotment of the remaining constituencies the same order will be repeated;

The same rotation shall be followed for the allotment of constituencies in subsequent elections.

- (2) Allotment of constituencies in Gram Katchahry.—The system of rotational allotment prescribed in sub-rule (1) shall be applicable to Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad only. In case of Gram Katchahry the election conducted under this Act shall be deemed to be the first election. In the first election of Gram Katchahry, the order of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and others shall be followed for allotment of electoral constituencies in admissible numbers to different categories whereas in the second election the order shall be Scheduled Tribes, Backward Classes, Others and Scheduled Castes and in the third election Backward Classes, Others, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and this order shall be repeated for allotment of the rest of the electoral constituencies.
- (3) A reserved constituency shall not be reserved for the same category in the next election.

Provided that, if any constituency was reserved for women of any particular category, in the next election that constituency may be reserved for women of a different category.

Provided further that, if any constituency was reserved for women in other (unreserved) category, in the subsequent election it shall not be reserved for women in other (unreserved) category.

But if there is no alternative, the allotted constituency of any particular category in the previous election may be re-alloted to the same category in the subsequent election.

- 12. Fifty percent reservation for post of women.—In all seats of reserved and unreserved categories as nearly as fifty percent but not more than that, seats shall be reserved for women of that category and the calculation of number of seats so reserved shall be done in accordance with the procedure prescribed by the State Election Commission.
- 13. Reservation for women in the first election.— If there is only one post available for a particular category, that post shall be reserved for women of that category in the first election. If

in the subsequent election also only one constituency is reserved for that category, that constituency shall not be reserved for women.

- 14. Allotment of constituencies for women.— In the constituencies reserved for each category; the constituencies coming first in the descending order of population shall be alloted to women of that category in admissible number.
- 15. Maintenance of Registers relating to constituency wise reservation.— Registers related to population with regard to reservation of constituencies shall be got prepared constituency wise/territorial constituency wise in **FORM-2** by the Commission at the following level, viz.-

(a) Gram Panchayat Member/Panch -

Territorial constituency wise At Block level through
b) Panchayat Samiti Member - the District Magistrate
Territorial Constituencywise

(c) Mukhiya/Sarpanch - Electoral Constituency wise

(d)Zila Parishad Member -<br/>Territorial ConstituencywiseAt District level through<br/>the District Magistrate

(e) Panchayat Samiti Pramukh -Territorial Constituency wise

(f) Adhyakash, Zila Parishad - At the State level through the Territorial constituency wise State Election Commission:

Provided that, a copy of each of the registers prepared at Block and District level shall be furnished to the Commission by the District Magistrate and one copy of each register shall be preserved in the Block and District offices.

- 16. Publication of the list of reserved constituencies by the District Magistrate.— The list of the constituencies reserved/unreserved by the District Magistrate shall be published in **Form-3** in the offices of Gram Panchayat, Block, Sub-Divisional Magistrate and District Magistrate, and one copy of each shall be preserved in the Block and District offices.
- 17. Publication of the list of constituencies reserved by the Commission.— The list of constituencies reserved /unreserved at the level of Commission shall be published in **Form-3** in the offices of the Commission and the District Magistrates.
- 18. Publication of the list of reserved constituencies in the Gazattes.— The list of reserved/unreserved constituencies published under rules 16 and 17 shall be published in the District Gazette /Bihar Gazette, as the case may be.

# **CHAPTER 4 Electoral Roll**

- 19. Preparation of Electoral Roll.— Subject to the provisions of the Ordinance and these Rules, constituencywise electoral roll shall be prepared by the District Election Officer under the direction, control and supervision of the State Election Commission.
- 20. Assistance of the officers and staff to be sought by District Election Officer.— For the purpose of preparation of electoral roll, the District Election Officer may take assistance of such officers and staff posted in the State Government Offices, Public Undertakings of the State and Institutions getting financial aid from the State Government posted in the district and other places and whose services are made available to him.

The District Election Officer may also take the assistance of the officers and staff of the Central Government Offices or Central Public Undertakings or institutions getting financial aid from the Central Government with consent of the competent authority of such offices/public undertakings/institutions.

21. Draft of the Electoral Roll.— The territorial constituencywise electoral roll of Gram Panchayat shall be prepared in **Form-IV** under section 126 of the Ordinance. The electoral roll of different constituencies shall take shape by clubbing together all such electoral rolls of territorial constituencies, prepared as such.

22. Publication of Electoral Roll.— The electoral roll of the territorial constituencies and the constituency and constituencies so prepared shall be published according to the schedule prescribed by the State Election Commission, for fourteen days at the following places, viz.:-

Territorial Constituency of Gram Panchayat— In offices of the Gram Panchayat and the

Block concerned.

Constituency of Gram Panchayat — In

In offices of the Gram Panchayat and the

Blockconcerned.

Territorial Constituency of Panchayat Samiti Territorial Constituency of Zila Parishad In the office of the Block concerned.

In offices of the Block and the District

Magistrate concerned.

- 23. Amendment in the Electoral Roll.— Under the direction, control and supervision of the State Election Commission, the District Election Officer may, on a written application made within the time limit specified in rule 22 or suo motu, remove any defect in the electoral roll prepared under rule 21 and published under rule 22 and the electoral roll shall be amended accordingly.
- 24. Obtaining a copy of the Electoral Roll.— Any person, after depositing the fee prescribed by the Commission, may obtain a certified copy of the electoral roll from the offices of the District Magistrate or the Block Development Officer.
- 25. *Preservation of the Electoral Roll.* A copy of the electoral roll shall be preserved in the record room by the District Election Officer.

# **CHAPTER 5 Polling Station**

- 26. Selection of Polling station.— The District Election Officer Shall, with the approval of the State Election Commission, select polling stations for each constituency.
- 27. Publication of the list of Polling Stations.— The District Election Officer shall publish the list of polling stations in the manner prescribed under sub-rule (1) of Rule 8;

Provided that, before the final publication of the list, the approval of the State Election Commission shall be obtained;

Provided further that, if found necessary on reasonable grounds, the State Election Commission may give orders for alternation in the list of polling stations even after its final publication. In any circumstances the District Election Officer, cannot make any alternation in the list approved by the Commission without its permission or in anticipation of the approval of the Commission.

#### **CHAPTER 6**

#### **Administrative Machinery for the conduct of election**

- 28. Making available the services of officers and staff.— The State Government, whenever such requisition is made, shall make available to the Commission the services of the staff and officers necessary for the conduct of election of Panchayats.
- 29. District Election Officer and District Deputy Election Officer to be designated or nominated.— For the purpose of conduct of elections to Panchayats, the Commission shall designate or nominate the District Magistrate as District Election Officer (Panchayat) for each district and shall designate or nominate one or more District Deputy Election Officer for assistance of the District Election Officer (Panchayat), who should be District Panchayat Raj Officer or a Deputy Collector in the equivalent rank:

Provided that, subject to the direction, control and supervision of the State Election Commission the District Election Officer shall co-ordinate and supervise all the works relating to the conduct of election in the area under his jurisdiction.

30. Appointment of Returning Officer.— The State Election Commission or on being authorised by it, the District Election Officer shall appoint a Returning Officer for the conduct of elections to Panchayats who shall not be below the rank of Block Development Officer/Circle Officer/ Deputy Collector.

- 31. Appointment of Assistant Returning Officer.— The State Election Commission or on being authorised by it, the District Election Officer, shall appoint, one or more Assistant Returning Officers, to assist the Returning Officer in the discharge of his functions, who shall be an officer of the State Government.
- 32. Appointment of Presiding Officer and Polling Officer.— For each polling station, the District Election Officer shall, appoint a Presiding Officer and such number of polling officer or officers to assist the Presiding Officer as he may deem necessary;

Provided that, any person who is a Government servant or a servant of a Government Company or a servant of Government aided institution, may be appointed as Presiding Officer/Polling Officer:

Provided further that, in the case a polling officer being absent from the polling station, the presiding officer may, under the proviso above, appoint any person present at the polling station other than the persons appointed by the candidate or on his behalf or has been doing other work for him as polling officer and inform the District Election Officer accordingly:

Provided further that, the polling officer, on being authorised by the presiding officer subject to the direction of the State Election Commission, shall perform all or any of the functions of the presiding officer under the Ordinance or the rules framed thereunder.

- 33. Discharge of the functions of the Presiding Officer due to unavoidable reason.— If the presiding officer owing to illness or on any other unavoidable reason is compelled to be absent from the polling station, his functions shall be performed by such polling officer who has been so authorised previously by the Returning Officer to perform such functions during such absence.
- 34. *Duty of Presiding Officer.* It shall be the general duty of a presiding officer to maintain order at the polling station and see that the poll is properly going on.
- 35. *Duty of Polling Officer.* It shall be the duty of a Polling Officer to assist the Presiding Officer of such polling station in the discharge of his functions.

# **CHAPTER 7 Conduct of Election**

- 36. Fixation of different stages of election.— In accordance with the election programme prescribed by the Commission, the District Election Officer shall through a notice in **Form 5** specify:-
  - (a) the last date, time and place for filing nomination, such date being the seventh day from the next day of the publication of such notice, or if that day being a public holiday, the next successive day not to be a public holiday;
  - (b) the date, time and place for scrutiny of nomination papers which shall not be a date later than three days after the last day fixed for filing of nomination paper, provided that one or more successive dates may be appointed for the scrutiny of nominations, and if the last day of scrutiny being a public holiday, the next successive day not to be a public holiday;
  - (c) the last date for withdrawal of candidature, which shall be a date not later than two days after the date of scrutiny of nomination, or if that day being a public holiday, the next day which not to be a public holiday;
  - (d) the date and time on which poll, if necessary, to be held; and
  - (e) the date, time and place for counting of votes.
- 37. Mode of publication of notice under rule 36.— The publication of the notice under rule 36 shall be made at least twenty days before the date appointed for the poll and a copy of such notice shall also be published in offices of Zila Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat concerned.
- 38. Filing of nomination paper by Candidates.— (1) Any person may file a nomination paper as a candidate to fill up any seat provided he is qualified to be elected for that seat under the provisions of the Ordinance and not disqualified under section 136 of the Ordinance.
  - (2) Each nomination paper under sub-rule (1) shall be filed in Form 6

39. Presentation of nomination paper.— (1) On or before the date appointed under clause (a) of rule 36, each candidate shall in person, within the time and the place appointed in the notice under rule 36, deliver to the Returning Officer or the Assistant Returning Officer authorised for this purpose by the Returning Officer, a nomination paper duly filled in **Form-6** and subscribed by the candidate and a voter of the concerned constituency as his proposer;

Provided that a person, who is subject to any disqualification as a voter under the Act shall not be eligible to subscribe to any nomination paper as a proposer,

- (a) Any person, who is enrolled in the voter list of the concerned territorial constituency and who not being disqualified under sub section (1) of section 136 of the Ordinance, may be a proposer of nomination;
- (b) A person can not be a proposer for more than one candidate;
- (c) Any person, who is himself a candidate for a particular constituency, can not be a proposer for any other candidate of the same constituency;
- (d) The proposer for a candidate of a particular constituency can not be a candidate himself for election from the same constituency;
- (e) A proposer once having subscribed to a nomination paper shall not be allowed to withdraw the same;
- (f) No nomination paper shall be received by a Returning officer unless it is accompanied by the following papers:-
  - (i) A declaration in prescribed form regarding enrollment of the candidate and proposer as an elector,
  - (ii) A declaration in prescribed form regarding conviction by competent court or pending criminal cases in any court.
  - (iii) Original Caste Certificate as a proof of belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes issued by the District Magistrate /Sub-divisional Magistrate/Block Development officer in case of nomination being filed by a candidate who wants to avail the benefits of the reservation of seats and nomination fee available to the members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes.
  - (iv) Challan of nomination fee deposited in a Government treasury or Nazir Receipt,
  - (v) Necessary informations regarding the candidate as required by the Commission in prescribed form.
- (g) No nomination paper shall be accepted unless it is submitted within the appointed hour on the last date as specified in column 8 of **Form-5** and a nomination paper received by mistake after the fixed hour to be rejected;
- (h) On the presentation of nomination paper, the Returning officer shall satisfy himself that the names and electoral roll numbers of the candidate and his proposer as entered in the nomination paper are the same as entered in the electoral roll;

Provided that the Returning Officer may -

- (i) Permit to rectify any clerical error in the nomination paper with regard to the said names or numbers to bring them into conformity with the corresponding entries in the electoral rolls, and
- (ii) Where necessary, direct that any clerical and printing error in the said entries to be overlooked.
- (i) On receiving a nomination paper under sub-rule (1) the Returning Officer shall inform the concerned candidate or his proposer the date, hour and place appointed for scrutiny of nomination in prescribed format and shall enter in the nomination paper its serial number and shall sign thereon a certificate stating the date on which and the hour at which the nomination paper has been delivered to him; and every day after the scheduled hour for receiving nomination shall publish the information on the notice board of his office regarding the nomination containing descriptions both of the candidate and his proposer.

- (2) No candidate shall file more than two nomination papers for one seat.
- (3) The list of nomination papers shall be sent to the District Election Officer on the last date fixed for filing the nomination and a copy of this shall be published in the office of the Returning Officer.
- 40. Nomination Fee.— (1) A nomination paper by any candidate for election shall not be treated as duly filed if
  - (a) for the post of Member of Gram Panchayat/Panch of Gram Katchahry a sum of Rupees Two Hundred and Fifty and in the case of women/ Scheduled Castes /Scheduled Tribes/Backward Classes candidate a sum of rupees one hundred and twenty five.
  - (b) for the post of Mukhiya of a Gram Panchayat/Sarpanch of the Gram Katchahry/Member of Panchayat Samiti, a sum of rupees one thousand and in the case of women /Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes candidate a sum of rupees five hundred.
  - (c) for the post of Member of Zila Parishad, a sum of rupees two thousand, and in the case of women /Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes candidate a sum of rupees one thousand has not been deposited with the Returning Officer as nomination fee;

provided that, where a candidate files more than one nomination paper for election to the same post, it is not required to deposit more than one nomination fee.

- (2) The nomination fee shall not be refunded in any case.
- 41. *Scrutiny of Nomination Paper*.—(1) The candidate, his election agent or the proposer may remain present on the date, time and place appointed for the scrutiny of nomination papers.
  - (2) The Returning Officer shall examine the nomination papers and may reject them on the following grounds:—
    - (a) If the candidate is disqualified for being elected to any post by or under the Ordinance;
    - (b) If the proposer is not qualified for subscribing to the nomination paper;
    - (c) If the provisions of Rules 38, 39 or 40 have not been complied with;
    - (d) If the nomination paper does not bear the signature of the candidate or his proposer or the signatures are not genuine;
    - (e) The nomination paper has been filed by the candidate for a post which is reserved for women/Scheduled Castes/Scheduled Tribes / Backward Classes and the candidate does not belong to such category.
    - (f) If the papers mentioned in rule 39 (1) (f) have not been enclosed with the nomination paper.
  - (3) No nomination paper shall be rejected on the ground of a clerical or printing error or any discrepancy which is not material.
  - (4) The Returning Officer shall endorse on each nomination paper his decision as accepting or rejecting the same and if the nomination paper is rejected, record in wrinting a brief statement of the reasons for such rejection.
  - (5) The production of the certified copy of an entry in the relevant electoral roll shall be the conclusive evidence for the right of any elector to stand for election, unless it is proved that the candidate is disqualified.
  - (6) After the scrutiny of the nomination papers the Returning Officer shall prepare the list of the candidates in **Form-7**, where nomination papers have been accepted and publish the same in his office and also send a copy to the District Election Officer.
- 42. Withdrawal of candidature.— Any candidate may withdraw his candidature by a notice in writing in **Form-8** to the Returning Officer within the appointed date and time under clause (c) of rule 36.

- 43. Prepration of List of contesting candidates:-
  - (1) Immediately after the expiration of the period for withdrawal of candidature under rule 36, the Returning Officer, shall prepare a list of contesting candidates in **Form-9** and publish a copy of the list in his office and also send a copy to the District Election Officer.
  - (2) The said list shall contain the names of the contesting candidates with their addresses in alphabetical order as per the first alphabet of the name in Devnagri script in Hindi, provided that if two or more candidates' first names are the same, their alphabetical order shall be decided according to the serial number of receiving of nomination papers and for the purpose of identification, no. (1), (2), (3) etc. will be mentioned in bracket against their names and the concerned candidate shall be informed accordingly in a manner prescribed by the Commission.
- 44. *Election Symbol.* Where polling is necessary, the Returning Officer shall allot in the prescribed manner a symbol to each candidate out of the symbols prescribed by the State Election Commission and inform them in a manner prescribed by the Commission and shall give a replica of the alloted symbol to the concerned candidate.

#### **CHAPTER 8**

#### The Candidate and his/ her Agent

- 45. Appointment of Election Agent and revocation of such appointment or death of the election agent:-
  - (1) If a candidate wants to appoint his election agent, he may do so subject to the at any time before the poll be provisions of sub-rules (2) and (3) in **Form-10.**
  - (2) The appointment of Election Agent may be revoked by the candidate at any time after producing a written declaration duly signed by him/her and on such revocation or in the case of death of the Election Agent before the election, the candidate may appoint a new Election Agent.
  - (3) Any person who is disqualified for the time being under the Ordinance to cast his vote in any election of the Panchayats or being elected, shall not be appointed as Election Agent so long his disqualification continues.
  - 46. Appointment of Polling Agent :-
    - (1) At the time of any election in which polling is to be held the contesting candidate or his Election Agent may appoint maximum two agents for each polling station to act as the Polling Agent of such candidate and this appointment will be made in **Form-11**, in duplicate.
    - (2) The candidate or his Election Agent will hand over the second copy of the appointment letter to the polling Agent who will produce the same to the Presiding Officer on the date fixed for the poll and will sign on the declaration contained in that appointment letter before him. The Presiding Officer will keep the second copy in his custody.
    - (3) During the poll only one agent can remain present at the polling station at a time.
  - 47. Revocation of the appointment of the Polling Agent or death of the polling agent:—
    - (1) The appointment of Polling Agent may, at any time prior to the commnecement of the poll, be revoked through a written declaration duly signed by the candidate or his Election Agent.
    - (2) Such declaration will be presented to the Presiding Officer.
    - (3) Where the appointment of a Polling Agent has been revoked under sub-rule (1) or where the Polling Agent dies prior to the commencement of the poll, the candidate or his Election Agent may, at any time before the end of the poll, appoint a new Polling Agent under sub-rule (1) of Rule 46.

- 48. Appointment of counting Agent:-
  - (1) Each contesting candidate or his Election Agent may appoint a Counting Agent for the candidate in **FORM-12**.
  - (2) The Candidate or his Election Agent will hand over two copies of the appointment letter (Form 12) to the counting Agent, one of which to be kept by himself and produce the second copy before the Returning Officer or the officer authorised by him and will sign before him on the declaration contained therein and the officer will keep the second copy under his custody.
- 49. Revocation of the appointment of the Counting Agent or death of the Counting Agent:-
  - (1) The appointment of the Counting Agent may, at any time prior to the commencement of the counting, be revoked through a written declaration duly signed by the candidate or his Election Agent and such delcaration will be presented to the Returning Officer or any other Officer authorised by him.
  - (2) If the Counting Agent of the candidate dies before the completion of the counting, the candidate or his Election Agent may appoint a new Counting Agent under sub-rule (1) of Rule 48.
- 50. Countermanding of the Poll.— If any candidate out of the list of the candidates contesting the election under Rule 43 dies and information of his/her death is received by the Returning Officer before the commencement of the poll and on being satisfied by the fact of the death of the candidate, the Returning Officer shall countermand the poll and report the fact to the Commission through the District Election Officer. Proceedings with reference to the election shall be commenced a fresh after receiving the direction from the Commission.
  - 51. Uncontested Election:-
    - (1) If after the expiry of the date and time fixed for withdrawal of candidature for any post, only one candidate is left to contest and his/her nomination paper is found to be valid, the Returning Officer shall declare him duly elected in **Form** 13 and shall report this to the District Election Officer.
    - (2) If for any post no nomination paper has been filed or no nomination paper of any candidate has duly been accepted, the Returning Officer will report the fact to the Commission through the District Election Officer and the Commission will take further action to hold election for that post under the provisions of the Act and the Rules.
- 52. Contested Election.— Except the cases falling under Rule 51, polling shall be held in all other cases.

# **CHAPTER 9 Poll for Election**

- 53. *Mode of Poll in election.* In each election, the vote shall be casted through ballot paper in the manner prescribed herein after.
- 54. *Ballot Box*.— Subject to the order of the State Election Commission, each ballot box will be of such design in which ballot paper may be dropped but cannot be taken out without tempering the paper seal used and without opening the box.
  - 55. Ballot Paper:-
    - (1) Each ballot paper will be of such design as may be prescribed by the Commission.
    - (2) On the back side of the ballot-paper and its counterfoil a distinguishing mark shall be stamped which will bear the name of the district/block and number of the polling station. In addition to that the Presiding Officer shall put his full signature on the back side of the ballot-paper.
- 56. Arrangement at the polling station.— At the polling station one or more separate voting compartments shall be set up in which the voter may cast his/her vote separately one by one and no voter will be allowed to enter the voting compartment so long another voter is there for the purpose of recording his vote.

- 57. *Information at the polling station.* The following information shall be exhibited at the outside of each polling station:-
  - (a) Name and number of polling station;
  - (b) Electoral roll pertaining to that polling station;
  - (c) Name of each candidate in devnagari script and the election symbol allotted to him/her which will remain in the same order as indicated in Rule 43.
- 58. Entry in polling station.— The Presiding Officer shall regulate the number of voters who may enter in the polling station at a time, and shall remove all other persons from there except:-
  - (a) Polling Officers,
  - (b) Public Servants on duty in connection with the election;
  - (c) Persons authorised by the Commission, District Election Officer or the Returning Officer:
  - (d) Candidates, their Election Agents and subject to the provision of these Rules, one Polling Agent of each candidate;
  - (e) Child in the lap of the voter;
  - (f) Person accompanying the blind or infirm voter who cannot move without assistance;
  - (g) Such other persons as the Returning Officer or the Presiding Officer may employ for the purpose of identification of the voters.
- 59. Closing and Sealing of the Ballot boxes prior to commencement of the poll.— (1) Just before the commencement of the poll, the Presiding Officer shall allow the candidates, their Election Agents and Polling Agents present at the polling station to inspect the Ballot Box to be used for poll and show them that the box was empty.
  - (2) After that the following labels will be pasted on the inner and outer portion of the box:-
    - (a) Name of the Gram Panchayat;
    - (b) Name and Number of the Polling Station;
    - (c) Election of Mukhiya /Sarpanch or Member/Panch of the Gram Panchayat or Member of the Panchayat Samiti/Zila Parishad (as the case may be);
    - (d) Serial number of the Ballot Box which will be noted on the label of the outside portion after the closure of poll; and
    - (e) Date of Poll.
  - (3) The Presiding Officer shall fix on the ballot box the paper seal signed by him on which the candidate, Election Agent, Polling Agent present there may also put their signature, if they so desire. Thus he/she will prepare the ballot box and bring it into balloting position.
  - 60. Identification of Voters:-
    - (1) The presiding officer shall establish the identity of a voter on the basis of such records, papers/certificates as the Commission may prescribe.
    - (2) The Presiding Officer may employ any person, whom he may consider fit, to help in the identification of voters or his own help at the polling station.
    - (3) As soon as the voter enters the polling station the Presiding Officer or the Polling Officer authorised by him will compare the name of the voter and other particulars with the relevant entries in the electoral roll and read out the serial number, name and other particulars of the voters.
    - (4) In deciding the right of voter to receive the ballot paper the Presiding Officer or the Officer authorised will ignore any printing error in the relevant entry in the electoral roll if he is satisfied that the entry is related to that voter.
  - 61. Challenge to the identity of voters:-
    - (1) Any candidate or Election Agent or Polling Agent may challenge the identity of a voter after depositing rupees 10/- in cash with the Presiding Officer.

- (2) The above amount having been deposited, the Presiding Officer:-
  - (a) shall warn the challenged person of punishment in case charge of impersonation is proved against him;
  - (b) read out the relevant entry of the electoral roll and ask him if he is the person referred to in the entry; and
  - (c) shall enter the name and address of the person in the list of challenged votes in **Form-14** and obtain his signature on it.
- (3) Thereafter, the Presiding Officer will allow the person challenged and the challenger to place their points and after of such other relevant verification as which he/she may deem necessary, shall decide whether the challenge has been proved or not. After that he may allow the challenged person to cast his/her vote or debar him from voting.
- (4) If the challenge is not proved, the amount deposited under sub-rule(1) will stand forfeited.

#### 62. Ballot Paper to be issued:-

- (1) No ballot paper shall be issued to a voter before the time scheduled for commencement of the poll.
- (2) No ballot paper shall be issued to a voter after the expiry of the time fixed for closure of the poll;

Provided that the voters present at the polling station up to the time fixed for the closure of the poll shall be entitled to receive ballot paper even after the expiry of the scheduled time and may cast his/her vote.

- (3)(i) The first polling officer shall underline the identity and the name and serial number of the voter in the marked copy of electoral roll and in case of a woman voter, having underlined as above, shall put a tick (ii) mark on the left side of the name of the woman voter. The first Polling Officer shall obtain the signature/ thumb impression of the voter on the counterfoil of the ballot paper meant for the election of Mukhiya and Sarpanch and shall note the serial number of the electoral roll relating to the voter concerned on it. Thereafter he/she shall apply indelible ink on the left forefinger of the voter. Thereafter, he/she shall pass on the two ballot papers meant for election of the Mukhiya of Gram Panchayat and the Sarpanch of Gram Katchahry to the second Polling Officer for that voter;
  - The second polling officer shall underline the identity and his/her name and (ii) serial number in the second marked copy of the electoral roll and in the case of a women voter having underlined as above shall put a tick (ü) mark on the left side of the name of the woman voter. The second Polling Officer shall obtain the signature/thumb impression of the voter on the conuterfoil of the ballot paper meant for election of the Member of Gram Panchayat and the Panch of Gram Katchahry and shall note the serial number of the electoral roll relating to the voter concerned on it. Thereafter he shall acquaint the voter with the procedure of casting his/her vote and hand over the two ballot papers relating to the election of Mukhiya of Gram Panchayat and Sarpanch of Gram Katchahry to the voter and pass on the two ballot papers for the purpose of election of Member of Gram Panchayat and Panch of Gram Katchahry to the third Polling Officer for that voter. The voter, after receiving the two ballot papers relating to Mukhiya and Sarpanch shall enter the first voting compartment and record his/her vote by affixing rubber stamp kept for this purpose against the printed name of the candidate or on his/her symbol. The voter shall fold the ballot papers and coming out of the voting compartment, insert them in the sealed ballot box. This ballot box shall be kept before the second Polling Officer;
  - (iii) The third Polling Officer shall underline the identity and his/her name and serial number in the third marked copy of the electoral roll and in the case of

a woman voter having underlined as above shall put a tick (ü) mark on the left side of the name of the woman voter. The third polling Officer shall obtain the signature/thumb impression of the voter on the counterfoil of the ballot paper meant for election of the Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad and shall note the serial number of the electoral roll relating to the voter on it. He/She will then acquaint the voter with the procedure of casting his/her vote and hand over the other two ballot papers relating to the Member of Gram Panchayat and Panch of Gram Katchahry to the fourth Polling Officer. Just after receiving both the ballot papers relating to election of the Member of Gram Panchayat and Panch of Gram Katchahry the voter shall enter into the second voting compartment and record his/her vote by affixing the rubber stamp kept for this purpose against the name or the election symbol of any candidate printed on the ballot-paper. The voter will fold the ballot papers and after coming out of the voting compartment, shall put them in the sealed ballot box. This ballot box shall be kept before the third Polling Officer;

- (iv) The fourth Polling Officer shall acquaint the voter with the procedure of casting his/her vote and hand over the ballot papers relating to the election of Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad to the voter. Just after obtaining those ballot papers the voter shall enter into the third voting compartment and cast his/her vote by affixing the rubber stamp kept for this purpose against the name or on the symbol of any candidate printed on the ballot paper meant for Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad respectively. The voter shall fold the ballot papers and after coming out of the voting compartment put them in the sealed ballot box. This ballot box shall be kept before the fourth Polling Officer. After casting his/her vote, the voter shall go out of the polling station immediately. If he/she goes out of the polling station without casting all his votes, he/she shall not be allowed to cast his/her votes again.
- (v) Notwithstanding anything contained in sub-rule 3(i)(ii)(iii) and (iv) of rule 62, if the State Election Commissioner is satisfied that practical and administrative difficulties may arise in conduct of election in accordance with the provisions of sub-rule (3)(i)(ii)(iii) and (iv), due to which the election process is likely to be affected, the State Election Commissioner may give such directions as he deems proper with respect to issue of ballot paper to the voters at the polling station, casting of votes, putting the ballot papers into the ballot boxes, the number of ballot boxes required at the polling station and the place where they are to be placed, distribution of election related work amongst the polling officers posted at each polling station, etc and such directions shall be binding to all and final.
- (4) If election is held for only a few posts, the number of Polling Officers may be reduced accordingly by the State Election Commission.
- (5)(i) Each voter about whose identity the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be, is satisfied, shall allow the Presiding Officer or the Polling Officer to inspect his/her left forefinger and to mark it with indelible ink
  - (ii) If any voter refuses to allow the inspection of his/her left forefinger or mark it with indelible ink or if the left forefinger is already marked with such ink or if it is evident that he/she has attempted to remove such ink mark, he/she shall not be entitled to be supplied with any ballot paper or to record his vote at the election.
- (iii) The reference in this rule to the left forefinger of a voter shall, in the case where the elector has his left forefinger missing, be deemed to be a reference to any other finger of his/her left hand and, in the case where all the fingers

of his/her left hand are missing, deemed to be a reference to any extremity of his/her left or right arm as he possesses.

63. Recording of votes of Blind/Infirm voters.— If owing to blindness/ other physical infirmity, a voter is unable to recognise the symbols on the ballot paper or is physically incapable to insert the ballot paper in the ballot box, he/she shall be permitted to take with him a companion not below the age of eighteen years to the voting compartment for recording the vote on the ballot paper on his/her behalf and in accordance with his/her wishes and insert it into the ballot box;

Provided that no person shall be permitted to act as the compainion of more than one elector. The Presiding Officer shall keep a record of each such case in **Form -15**.

- 64. Spoilt and returned ballot papers and ballot paper found outside the ballot boxes:—
- (1) The presiding officer shall mark "spoilt, cancelled" on the back of a ballot paper which has been inadvertently spoiled or rendered useless by the voter.
- (2) If an elector after obtaining a ballot paper decides not to use it, he/she shall return it to the Presiding Officer and the ballot paper so returned shall be marked "returned, cancelled" by the Presiding Officer.
- (3) Such ballot papers, relating to the elections of different posts, cancelled under subrule (1) or sub rule (2) shall be kept in a separate packets.
- (4) If a voter does not put the ballot paper issued to him in the ballot box, and the ballot paper is found at the polling station or a place near by, the ballot paper shall be deemd to be returned to the presiding officer under sub-section (2) and action with regard to this shall be taken as indicated in sub-rule (2).

#### 65. Tendered Vote:-

- (1) If any person claims that he/she is the voter named in the electoral roll but somebody else has already cast the vote as such voter and the Presiding Officer being satisfied that person will be entitled to obtain a ballot paper and the ballot paper so given to him will be referred to as tendered ballot paper.
- (2) The tendered ballot paper will not be dropped in the ballot box but will be handed over to the Presiding Officer after being marked by the voter concerned who will place it in a separate packet. On the close of the poll the packet of all such tendered ballots will be sealed.
- (3) The list of tendered ballot papers will be prepared in **Form -16** and voter tendering the ballot paper will put his signature or thumb impression against the entry relating to his/her tendered ballot paper in the list.
- 66. Sealing of ballot boxes, etc., after the close of the poll:-
  - (1) After the close of the poll the Presiding Officer will close the slit of the ballot box and seal the box in the presence of candidates or their Election Agent or Polling Agents who may be available there. He/She will also allow any candidate, election Agent or Polling Agent present there to put his/her seal on the box if he/she so desires.
  - (2) If one ballot box gets full and necessiates the use of second ballot box, the first box will be sealed forthwith in the manner indicated in sub-rule (1)
- 67. Account of Ballot Papers and Paper Seals.— After the close of the poll the Presiding Officer will prepare the ballot paper account in **FORM-17** and the paper seal account in **FORM-18** and place them in separate envelopes and supersubscribe on the envelop, "Ballot Paper Account/Paper Seal Account."
- 68. Other Packets to be sealed.— (1) The Presiding Officer will prepare the following packets seperately and seal them:-
  - (a) The marked copies of electoral roll;
  - (b) Unused ballot papers;
  - (c) Cancelled ballot papers;
  - (d) The cover and list of tendered votes;
  - (e) List of challenged votes; and

- (f) Other such papers for which the Returning Officer has directed to place them in sealed packet.
- (2) The Presiding Officer will allow the candidate, Election Agent or Polling Agent present there to put his/her seal on each such packet if he/she so likes.
- 69. *Ballot -boxes, packets etc. to be sent to the Returning Officer* .— (1) The Presiding Officer will send to the Returning Officer
  - (a) Ballot-boxes
  - (b) Ballot-paper and paper seal account;
  - (c) Sealed packets specified in Rule 68; and
  - (d) All other papers used in poll, and deposit them at the specified place.
  - (2) The Returning Officer or the officer authorised will arrange for the custody of things noted in sub-rule(1) from the time of the commencement of the counting of votes to the end of it. After counting of votes, the election related documents shall be kept in safe custody under the provisions of rule-84.
- 70. Adjournment of Poll during the period of poll.— Any polling station if at an election, some abnormal situation arises, the Presiding Officer may adjourn the poll and may recommence the polling when the situation returns to normal. The Presiding Officer shall note the details of such adjournment of poll in his diary.
  - 71. Adjournment of Poll in Emergencies:-
    - (1) If at an election the proceedings at any polling station for the poll are interrupted or obstructed by any riot or open violence, or if at an election it is not possible to take the poll at any polling station on account of an natural calamity or destruction of election material or any other sufficient cause, the Presiding Officer for such polling station, shall announce an adjournment of the poll and where the poll is so adjourned, he/she shall forthwith report to the Returning Officer, stating the reason.
    - (2) Whenever a poll is adjourned under sub-rule (1) the Returning Officer shall immediatelly report the circumstances to the Commission through the District Election Officer.
    - (3) The Commission shall order the District Eleciton Officer:-
      - (a) Appoint a day and time on which the poll shall recommence.
      - (b) Cancel the previous poll and fix a date and time for a fresh poll on that polling station and issue directions for such poll.

# **CHAPTER 10 Counting of Votes**

- 72. Selection of place for Counting of Votes .— The selection of place for counting of votes shall be made by the District Election Officer under the directions of the Commission.
- 73. Supervision of Counting of votes .— The counting of votes shall be done under the direction, supervision and control of the Commission.
  - 74. Entry into the place fixed for Counting:-
    - (1) The Returning Officer or the Officer authorised by him shall remove from the place of counting all other persons except:-
      - (a) Such persons to whom he/she appoints to assist the counting;
      - (b) Persons authorised by the Commission or District Election Officer;
      - (c) Public servants on duty in connection with the election; and
      - (d) The candidate, Election Agent and Counting Agent.
    - (2) Before opening the ballot box on the table of counting, the Counting Agents present there shall be allowed to inspect the ballot boxes and their seals for satisfying themselves that they are not tempered.
    - (3) If the Returning Officer or the Officer authorised by him/her is satisfied that a ballot box has been tampered with, he/she shall adopt the following procedure with regard to that ballot box:-
      - (a) The ballot papers contained in that ballot box shall not be counted;

- (b) A report in connection with the clause (a) above shall be sent to the Commission immediately through the District Election Officer.
- (4) On receiving information under sub-rule 3(b) and taking into consideration the material circumstances the Commission shall give necessary direction to the District Election Officer. The District Election Officer shall take further action according to the direction of the Commission.
- 75. Scrutiny of the ballot papers and their rejection:-
  - (1) At any ballot paper contained in the ballot box shall be rejected on the following grounds, if:-
    - (a) It bears any mark or writing by which the elector can be identified; or
    - (b) The ballot paper is fictitious; or
    - (c) It has been so dammaged or mutilated that its identity cannot be established; or
    - (d) It does not bear the distinguishing mark or the signature of the Presiding Officer; or
    - (e) No vote is recorded on the ballot paper; or
    - (f) Voting marks have been put in the column of more than one candidate; or
    - (g) The mark on the ballot paper has been made by an instrument other than the prescribed one; or
    - (h) The ballot papers are not printed in accordance with the name of the candidate or candidates, serial number & symbol alloted to a candidate as recorded in Form 9; or
    - (i) Other grounds prescribed by a general or special direction of the Commission;

Provided that, where the Returning Officer or the Officer authorised by him/her is satisfied that any such defect mentioned in clause (d) has been caused by any mistake or failure on the part of a Presiding Officer or the Polling Officer, he may direct that the ballot papers shall not be rejected merely on the ground of such defect under clause (d):

Provided further that, if the mark made by the voter extends to two columns of the ballot paper, the same will be counted in favour of the candidate in whose column the major part of such mark falls.

- (2) The Returning Officer or the Officer authorised by him shall, before rejecting the ballot-paper under sub-rule (1), give reasonable opportunity to each Counting Agent present to inspect the ballot paper there, but shall not allow him to handle any ballot paper.
- (3) The Returning Officer or the Officer authorised by him/her shall endorse the word "rejected" on the ballot paper so rejected and record the grounds of rejection either by hand or by a rubber stamp.
- (4) The rejected ballot papers shall be bundled together.

#### 76. Counting of votes:-

- (1) Except the 'rejected' votes, each ballot-paper shall be counted.
- (2) On completion of the counting of votes the Returning Officer or the Officer authorised by him shall record the result of counting candidatewise in **Form-19** in case of Member of Gram Panchayat / Panch of Gram Katchahry and in **Form-20** in the case of Mukhiya /Sarpanch/Member of Panchayat Samiti/Member of Zila Parishad.
- (3) Thereafter, the valid votes will be sealed in a separate packet be bundled together along with the rejected votes and the following particulars to be recorded on that, viz:-
  - (a) The name of the Gram Panchayat and the number of the territorial constituency concerned in case of the election of Member of the Gram Panchayat/ Panch of Gram Katchahry; the name and number of the Gram Panchayat in case of the election of Mukhiya/Sarpanch and the name of the Panchayat Samiti/Zila Parishad and number of the concerned territorial

- constituency in case of the election of Member of Panchayat Samiti/Zila Parishad:
- (b) The name and serial number of the polling station to which the ballot-papers belong; and
- (c) The date of counting.
- 77. Counting of votes.— As far as possible, the counting of votes will be continuous. If counting has to be suspended, the ballot-papers and other papers will be kept in safety and duly sealed. The candidate or the Election Agent or the Counting Agent present may affix his/her seal, if he/she so desires.
  - 78. Counting of votes of the poll of the conuntermanded /adjourned election:-
    - (1) With regard to the poll countermanded under rule 50 and adjourned under rule 71, the District Eleciton Officer shall, after the election shall appoint a date, time and place for the counting of votes and intimate the same to the candidate and his/her Election Agent.
    - (2) The result of such counting shall be recorded in the form as prescribed in subrule (2) of Rule 76.
- 79. *Recounting of votes.* The candidate or in his/her absence his/her election agent or counting agent may make a written application to the Returning Officer or the Officer authorised by him/her for recounting of votes stating therein the grounds for the same.
  - (2) The Returning Officer or the Officer authorised by him/her may, fully or partially, accept or reject the application stating the reasons for the same.
  - (3) If the Returning Officer or the Officer authorised by him/her accepts fully or partially the application under sub-rule(2), he/she shall get the ballot-papers recounted and amend the result of the counting in the form prescribed in sub-rule(2) of Rule 76 and delcare the result.
  - (4) After that, any application for further re-counting shall not be entertained.
- 80. Equality of votes.— If after the completion of the counting of votes two or more candidates secure equal number of votes which may be the maximum, the Returning Officer shall draw a lot among such candidates and the candidate in whose favour the lot is drawn, shall deemed to be that he/she has secured an additional vote and the Returning Officer will declare the result of the counting of votes accordingly.
  - 81. Declaration of results:-
    - (1) After recording the particulars of the election result in Form-21,the Returning Officer or the Officer authorised shall declare that candidate elected as Member of Gram Panchayat/ Panch of Gram Katchahry /Mukhiya /Sarpanch/Member of Panchayat Samiti/Member of Zila Parishad, as the case may be, who has secured the largest number of valid votes and shall certify it in the same Form.
    - (2) One copy each duly signed of **Form 21** shall be sent to the District Election Officer and through him/her to the Commission and the Director of Panchayat Raj.
- 82. *Election Certificate.* After the declaration of the election result, the Returning Officer shall grant a Election Certificate in **Form -22** to the candidate so elected.
- 83. *Publication of the election result.* The District Election Officer shall cause to be published in the District Gazette the list of duly elected candidates in **Form-23** and send a copy of the same to the Commission and Director of Panchayat Raj.

#### CHAPTER 11 Records of Election

- 84. Custody of the records relating to election.— The District Election Officer shall keep the packets specified in Rules 67, 68 and 76 (3) in his safe custody as prescribed by the Commission.
- 85. Submission and inspection of the records relating to election.— The submission and inspection of the records relating to the election kept in safe custody shall be allowed only by the order of the Court / Authority prescribed in the Ordinance.

86. Destruction of the records relating to election.— The election records specified in Rule 84 shall be kept in safe custody for a period of one year or till the pendency of any legal proceeding and to be destroyed thereafter subject to any contrary direction issued by the Commission or a competent Court or Authority.

#### CHAPTER 12

# Election of Up-Mukhiya, Up-Sarpanch Up-Pramukh, Pramukh, Upadhyaksha and Adhyaksha

- 87. Meeting for the election:-
  - (1) Subject to the supervision, direction and control of the State Election Commission, the date, time and place for the meeting of Gram Panchayat and Gram Katchahry/ Panchayat Samiti/Zila Parishad for the election of Up-Mukhiya and Up-Sarpanch, Pramukh, Up-Pramukh, Adhyaksha and Upadhyaksha under sections 15, 93, 40 and 67 of the Act respectively shall be fixed by the Block Development Officer, Sub-divisional Magistrate and the District Magistrate, as the case may be and notice of the meeting shall be given to all the members concerned in **Form-24**;

Provided that, if more than twenty five percent seats of total number of territorial constituencies constituted in Panchayat Samiti or Zila Parishad are vacant, the meeting for election of Pramukh/Up-Pramukh or Adhyaksha/Up-Adhayaksha of the Panchayat Samiti or Zila Parishad shall be fixed only after the completion of election for the vacant posts under the provisions of the Ordinance.

- (2) In the meeting called under sub-rule (1), first of all, the elected members of Gram Katchahry, Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad shall be administered the oath / affirmation in the manner prescribed in rule, 126.
- 88. *To preside the Meeting.* The meeting of Panchayat Samiti shall be presided over by the Sub-divisional Magistrate and that of Zila Parishad by the District Magistrate. The Block Development Officer shall preside over the meeting of Gram Panchayat/ Gram Katchahry.
- 89. Filing of Nomination Paper.— Each candidate shall file his/her nomination paper in **Form-25**. As the case may be, the proposer and seconder of a candidate should be a member of the Gram Panchayat/Gram Katchahry/Panchayat Samiti/Zila Parishad. One member shall be a proposer or seconder of only one candidate.
  - 90. Scrutiny of the nomination paper:-\
    - (1) The Presiding Officer shall scrutinise the nomination paper.
    - (2) The Presiding Officer shall read out
      - (a) The name of the candidate whose nomination paper has been found to be invalid stating the grounds thereof; and
      - (b) The name of the candidate whose nomination paper has been found to be valid.
- 91. Preparation of the list of valid candidates.— The Presiding Officer shall prepare the list of validly nominated candidates in alphabetical order of Devanagari script and announce the same.
- 92. *Uncontested election.* If there be only one validly nominated candidate against the post, the Presiding Officer shall declare such candidate as duly elected.
- 93. *Contested election.* If more than one candidate is validly nominated, the Presiding Officer shall call on the members present in the meeting to vote by secret ballot and shall determine the procedure with respect to the same.
- 94. *Ballot-paper.* The ballot paper shall be in **Form-26.** The ballot paper shall be signed by the Presiding Officer.
  - 95. Procedure of Poll:-
    - (1) Each member shall be given a ballot paper separetely on which he/she shall mark his/her vote by putting secretly a cross (x) mark against the name of a candidate.
    - (2) All such ballot-papers shall be collected in accordance with the secret procedure prescribed by the Presiding Officer.

- 96. Invalid Votes.— A ballot paper shall be treated as invalid if:—
  - (a) It bears the signature of a member or there is any such visible word which may lead to the identification of the voter; or
  - (b) The cross (x) mark has been made against the name of more than one candidate or
  - (c) The mark has been made in such a manner that it can not be ascertained as to which candidate the vote has been cast; or
  - (d) No cross mark has been made on it; or
  - (e) It does not bear the signature of the Presiding Officer.
- 97. Counting of votes:-
  - (1) The Presiding Officer shall count the ballot papers in presence of the members present at the meeting.
  - (2) After completion of counting of valid votes, the result shall be prepared by the Presiding Officer in **Form-27**, and the candidate getting maximun number of votes shall be declared as elected.
- 98. Equality of votes.— If after completion of counting of votes two or more candidates are found to have secured equal number of votes, which are highest, the Presiding Officer shall draw a lot between such candidates, and the candidate in whose favour the lot is drawn shall deemed to be having secured an additional vote and the Presiding Officer shall declare the result accordingly.
- 99. Issuance of Certificate .—The Presiding Officer shall grant a certificate in **FORM 22** to the candidate elected.
- 100. Preparation of the record of the proceedings of the meeting.— The Presiding Officer shall prepare a record of the proceedings of the meeting and obtaining the signatures of the members present therein, sign the same.
- 101. *Publication of the list of elected persons.* The Presiding Officer shall publish the duly signed list of the elected candidates in the offices of Gram Panchayat/ Block/Zila Parishad, as the case may be.
- 102. Packets of valid/invalid votes.— The Presiding Officer shall make separate packets of valid and invalid votes, seal each packet and put a note on it stating the particulars of the content of the packet, the election concerned and date of such election.
- 103. Submission and inspection of the election related records.— The submission and inspection of election records kept in safe custody shall be made only by the order of a Court/Authority prescribed in the Ordinance.
  - 104. Custody and destruction of election records:-
    - (1) The District Election Officer shall keep the packets referred to in Rule 103 in his/her safe custody.
    - (2) The election records shall be kept in custody for a period of one year or till the pendency of any legal proceeding and thereafter to be destroyed, subject to any contrary direction of the Commission or any competent Court or Authority.

#### CHAPTER 13 Miscellaneous

105. *Notification of Election.*—For the purpose of constituting the Panchayats and the Gram Katchahry, the Governor, on the recommendation of the State Election Commission, shall fix date or dates through notification published in the State Gazette and it shall be expected that the electors may elect the office-bearers of the Panchayats and the Gram Katchahry in accordance with the provisions of the Ordinance and the Rules made thereunder:

Provided that no such notification shall be issued beyond six months prior to the date fixed for election.

106. Election petition:-

(1) An election petition against any elected candidate may be filed under section 137 of the Ordinance before the prescribed Court of Law within thirty days from the date of declaration of the election results.

- (2) The following may be joined as respondents by the petitioner to his/her election petition
  - (a) Where the petitioner, claims to declare the election of all or any of the returned candidate as void in addition to his/her claim for any other candidate to be legally elected, in such a case all the contesting candidates other than the petitioner; and where no such additional claim has been made, all the candidates, and,
  - (b) Any other candidate against whom allegation of any corrupt practices is made in the petition.

#### 107. Court fee:-

- (1) The Court fee payable with election petition with regard to a post of Gram Panchayat/Gram Katchahry shall be Rupees two thousand five hundred.
- (2) The Court fee payable with election petition with regard to a post of Panchayat Samiti/Zila Parishad shall be Rupees five thousand.
- 108. Verification of contents of election petition.— An election petition shall contain a such statement of the material facts and details on which the petitioner relies. It shall be signed by the petitioner and verified in the manner prescribed under order, 6 of the Civil Procedure Code, 1908 for the verification of pleadings.
- 109. *Hearing of election petition.*—The competent Court of Law shall hear the election petition in the manner prescribed by the Civil Procedure Code, 1908.
- 110. Withdrawal of election petition.— The election petition cannot be withdrawn without the order of the Court;

Provided that, if there are more than one plaintiff in the election petition, then the election petition can not be withdrawn without unanimous consent.

- 111. Application of the provisions of the Indian Evidence Act in the hearing of an election petition.— In the hearing of an election petition, the Indian Evidence Act, 1872 shall apply.
  - 112. Order on election petition:-
    - (1) If, after hearing the Court of Law/the prescribed Authority decides that the elected person is guilty of misconduct under the provisions of section 139 or 141 of the Ordinance, it may declare the election of such elected candidate as void and order for re-election.
    - (2) The Court of Law/prescribed Authority under the provisions of section 140 of the Act may declare another candidate as elected.
- 113. Copy of the order on election petition to be made available.—The copy of the order passed on the election petition by the Court/Prescribed Authority will be made available to the District Election Officer and the Commission.
  - 114. Acquisition and release of vehicle /premise for election:-
    - (1) The District Election Officer may, for the purpose of election, acquire any vehicle or premise by a written order.

Provided that the vehicles admissible to the candidate or his agent, the number of which has been decided by the Commission, shall not be acquired.

- (2) If any premise/vehicle acquired under sub-rule (1) is exempted from acquisition, its possession shall be made over to the person from whom the premise/vehicle had been acquired or to the person authorised by him.
- 115. Payment of compensation.— A compensation for the premise or vehicle acquired under rule 116 by the District Election Officer shall be made at a rate prescribed by the Government.
- 116. Power of the Commission to issue necessary instruction.— The Commission may, subject to the provisions of the Rules, issue necessary instructions.
- 117. Decision of disqualification.—The State Election Commission shall be the competent authority to decide any question of disqualification mentioned in sub-section (1) of section 136 of the Ordinance. The matter of disqualification of a person shall be brought before the Commission by any person or officer in a form of an application, complain or notice. The State Election Commission itself may take such cognizance suo-moto. After giving reasonable opportunity of

hearing to the parties concerned, the State Eleciton Commission shall make a decision at the earliest.

- 118. Accounts of election expenditure and its limit:-
  - (1) Every candidate of Panchayat/Gram Katchahry, shall, either by himself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditures in connection with the election incurred or authorised by him/her or his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of results, both dates inclusive.
  - (2) No expense shall be incurred or authorised by the candidate or his election agent on account of or in respect of the conduct and management of an election in any Panchayat/Gram Katchahry in excess of the following amount Rupees ten thousand in case of Member of Gram Panchayat/Panch, Rupees twenty thousand in case of Membr of Panchayat Samiti, rupees twenty five thousand in case of Gram Panchayat Mukhiya and Sarpanch and Rupees fifty thousand in case of Member of Zila Parishad.
- 119. Return of election expenses.— (1) The return of election expenses shall be lodged in **Form-29** with the Returning Officer within fifteen days from the date of publication of the result of election in the district Gazette under rule 120. It shall be acompained by a declaration/affidavit by the candidate in **Form-30**.
  - (2) On receipt of details of election expenditure, the Returning Officer shall mention the date of receipt there upon and also certify that in his opinion the details have been submitted within the time limit in the manner prescribed by the Rules.
- 120. Publication of the details of election expenses.— Within a period of seven days from receipt of the details of election expenses, the Returning Officer shall publish a notice specifing the date of receipt of such details and the place and time where inspection of such details may be made. This notice shall be published in the state/district Gazette and to be available for inspection on a payment of a fee of rupees ten.

Such information shall also be displayed at the notice board of the Returning Officer.

121. Casual vacancy in the Panchayats.— If a post of an office bearer of the Panchayat falls vacant or is declared vacant, the District Election Officer shall intimate the Commission. The Commission shall take steps to fill up the vacancy under the provisions of the Ordinance and the Rules.

#### 122. Administration of oath:—

- (1) The District Election Officer (Panchayat) shall fix a programme for administration of oath/ affirmation under the supervision, direction and control of the Commission.
- (2) The oath/affirmation to a Member of Gram Panchayat, Panch of Gram Katchahry, Mukhiya and Sarpanch shall be administered by an officer authorised by the District Election Officer (Panchayat) before the first meeting of the Gram Panchayat/Gram Katchahry.
- (3) The oath/affirmation to Up-mukhiya and Up-Sarpanch shall be administered by the Mukhiya and Sarpanch respectively in the first meeting specified in sub-rule(2).

Provided that, in the absence of Mukhia/Sarpanch, such oath/affirmation shall be administered by the Block Development Officer or by an officer authorised by the District Election Officer.

- (4) The oath/affirmation to a Member of Panchayat Samiti, Pramukh and Uppramukh shall be adminstered by an officer not below the rank of Sub-divisional Officer, authorised by the District Election Officer, and to a Member of Zila Parishad, Adhyaksha and Upadhyaksha by the District Magistrate.
- (5) The oath/affirmation shall be administered in Form-28.
- (6) The list of office bearers administered oath/affirmation shall be maintained in the office of the District Election Officer.

## Form - 1 See Rule 8 (1), 8 (4) List of constituencies/territorial constituency

District

Block

\*Gram Panchayat— \*Constituency

\*Panchayat Samiti -

(\*Mukhiya/\*Sarpanch/\*Pramukh/\*Adhayaksh)

(Member)

Sl.No.	No. and name of Constituency	Population	*Extent of		
5111 (61	/Territorial Constituency	r op william	constituency /		
	,		Territorial		
			Constituency		
1	2	3	4		
Place :		~			
Date:	Signature of District Magistrate				

\* Strike off whichever is not applicable.

**Note:** In column 4:-

- (1) Name of Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad will be filled for extent of Gram Panchayat/ Gram Katchahry, Panchayt Samiti and Zila Parishad constituency respectively.
- (2) Name of the tola/any distinct mark (showing natural, artificial or other objects) will be filled for the extent of territorial constituency of Gram Panchayat/Gram Katchahry.
- (3) Name of the Gram Panchayat for the extent of territorial constituency of the Panchayat Samiti or if the territorial constituency of the Panchayat Samiti has been constituted by dividing the Gram Panchayat, the distinct mark (showing natural, artificial or other objects) shall be filled for the divided Gram Panchayat.
- (4) Name of the Panchayat Samiti for territorial constituency of Zila Parishad or if territorial electoral constituency of Zila Parishad has been constituted by dividing the Panchayat Samiti, the distinct mark (showing natural, artificial or other objects) will be filled for the divided Panchayat Samiti.

# Form - 2 (See rule-15) Reservation category wise population and constituency allotment register

# Part-one category wise population and category wise admissible post

\*State \*Adhyaksha/Member of Zila Parishad

Rural population of \*Zila Parishad \*Pramukh/Member of Panchayat Samiti

\*Panchayat Samiti For \*Mukhia of Gram Panchayat/ Sarpanch

of Gram Katchahry

\*Gram Panchayat \*Member of Gram Panchayat/Panch of

Gram Katchahry

Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Backward Classes	Others	Total	Total Post	Total Post for Scheduled Castes	Total Post for Scheduled Tribes	Total Post for Backward Classes	Total Post for Others
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Part - Two
Categorywise population of constituency

	Population of	f *Constituen	cy /*Territoria	al Constitue	ncy	
SI. No.	No. of *Constituency/ *Territorial Constituency / Name	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Backward Classes	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7

<sup>\*</sup>Strike of whichever is not applicable.

Part - Three Categorywise population of constituency: In descending order

Part - Four Details of reserved / unreserved electoral constituency

	No. Of *Constituency Territorial electoral Constituency	Scheduled Caste Woman		Scheduled Tribes	Other	Scheduled Classes	Woman		Others
SI.No.	No. Of *Constituency electoral Constituency	Woman	Other	Woman	Other	Woman	Other	Woman	Other
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<sup>\*</sup>Strike of whichever is not applicable.

# FORM - 3 (See Rule 16, 17)

<u>List of reserved constituencies/Territorial Constituencies</u>						
District	*Gram Panchayat	*Constituency				
*Panch	nayat Samiti(*Mukhiya/*Sarpanch/*P	ramukh/*Adhayaksh)				
Block	*Zila Parishad*Territorial Con	nstituency(*Member)				

Sl. No.	No./name of constituency / Territorial Constituency	Category for which reserved/unreserevd	For women reserved/unreserved
1	2	3	4

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

District Magistrate
...... Signature
Officer authorised by Commission.

- Note -- (1) If constituency comes under reserved category, mention the name of reserved category in cloumn 3, viz; Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes. If constituency comes under unreserved category, mention "unreserved"
  - (2) If constituency is reserved for women, mention the word "Women" in column 4. If constituency is not reserved for women, mention the word "others"

Year	•••••
------	-------

# FORM - 4 (See Rule 21)

# **VOTER LIST**

District	D11-	GramPancha	4
District	BIOCK	trampancha	vai
2 15 11 10 11111111111111111111111111111			,

# **Gram Panchayat Territorial Constituency No.**

SI. No.	Sl. No. of Assembly Electoral Roll	House No	Name of voter	Name of Father/ Mother/ Husband	Male/ Female	Age	Voter Identity Card No.
1	2	3	4	5	6	7	8

# FORM - 5 (See Rule 36)

#### Office of the District Election Officer .....

#### **Notice of Election**

In pursuance of the powers conferred under rule 36 of the Bihar Panchayat
Election Rules 2006, I District Election Officer,
district hereby give the following information regarding
election of Members of Gram Panchayat/Panches of Gram Katchahry/Mukhiya of Gram
Panchayat/Sarpanch of Gram Katchahry/Member of Panchayat Samiti/Zila Parishad as
specified in column (2) of the annexed schedule –

- (b) The place, date and time specified in column (8) against the constituency will be the place, duration and time of filing nomination.
- (c) The place, date and time specified in column (9) against the constituency will be the place date and time of scrutiny of nomination paper.
- (d) The place, date and time specified in column (10) against the contituency will be the place, date and time of the withdrawal of nomination paper.
- (e) The date and time specified in column (11) against the constituency will be the date and time of poll.
- (f) The date and time specified in column (12) against the constituency will be the date and time of counting.
- (g) The place specified in column (13) against the constituency will be place of the counting of votes.

Place :	
Date :	District Election Officer

Note – If due to any unavoidable reasons counting could not be possible on the date and time mentioned in coulmn (12) and place mentioned in column (13), then revised programme of counting will be fixed separately.

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

#### Schedule

1	SI. No.
2	*Name of Gram Panchayat *Gram Katchahry *Panchayat Samiti *Zila Parishad
3	Post
4	No. & Name of the constituency
5	Reserved/ Un-reserved
6	Reserved for women/others
7	Name & designation of the Returning Officer

Place	District Election Officer
Date	District

- Note --(1) If the constituency comes under reserved category, then mention the name of reserved category in cloumn 5, viz; Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes. If the constituency comes under unreserved category, then mention "unreserved"
  - (2) If the constituency is reserved for women, then mention the word "Women" in column 6. If constituency is not reserved for women, then mention the word 'others"
  - (3) Duration (date) in column 8 will be from the first day of filing nomination to that last day which will be the seventh day from the next day of publication of notice of election which will not be a public holiday, viz, Tuesday (date) to Tuesday (date)

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

## Form - 6 See Rule 38 (2), 39 (1)

## **NOMINATION PAPER**

District	Block	
Election for –		
* Member of Gram Panchayat	from territorial constitu	uency no
* Panch of Gram Katchahry	from territorial constitu	iency no
* Mukhiya of Gram Panchayat	tfrom constituency no	)
* Sarpanch of Gram Katchahry	yfrom constit	uency no
* Member of Panchayat Samit	ifrom territoria	l constituency no
* Member of Zila Parishad	from territorial co	onstituency no
I nominate the followonstituency.	wing as a candidate of the al	bove post in the above
Name of Candidate –		
Name of Father/Mother/Husba	and –	
Postal Address –	Block –	District –
	of voter list Gram F	
	o of t	
Place:		
Date:	Signature/Thumb in	npression of the Proposer
* Strike off which ever is not a  I, above nominated can	ndidate assent to this nomination a	and hereby declare that -

- (a) I have completed the age of ...... years.
- (b) My name and name of my father/Mother/Husband are written correctly in Hindi in Devnagari Script.
- (c) To my best of knowledge and belief I am qualified for the above election and otherwise not disqualified.

. ,	Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes. The
Caste certificate issued Place:	by a competent officer is annexed with it.
Date:	Signature/Thumb impression of Candidate
(To be fille	ed by Returning officer)
Sl. No. of nomination paper	
The candidate himself handed date at	over this nomination paper to me in my office on (time)
Date	Returning Officer
C	o accepts or rejects the nomination paper.  on paper in accordance with rule 41 of the Bihar
Place	cede as following
Date	Returning Officer
Receipt for nomina	tion paper and notice of scrutiny
(To be given to the candidate presenting	ng nomination paper)
candidate for at	
Place Date	Returning Officer

<sup>\*</sup> Write the number, name and post of the concerned constituency as mentioned by the proposer on upper portion of this form.

**Returning Officer** 

## Form - 7 See Rule 41 (6)

# **List of validly nominated candidates**

District		Block	
Election for –			
* Member of Gram I	Panchayatf	rom territorial constitue	ncy no
* Panch of Gram Ka	tchahryfrc	om territorial constituend	ey no
* Mukhiya of Gram	Panchayat	from constituency no.	
* Sarpanch of Gram	Katchahry	from constituency no	
_	-	from territorial constitu	
		n territorial constituency	•
		·	
Sl. No.	Name of candidate	Name of	Address of
		Father/Mother/	Candidate
		Husband	
1	2	3	4

Place .....

Date .....

<sup>\*</sup> Strike off which ever is not applicable.

## Form - 8 (See Rule 42)

# **Notice of withdrawal of nomination**

*W 1 CC D 1	
* Member of Gram Panchayatfrom territor	orial constituency no
* Panch of Gram Katchahryfrom to	erritorial constituency no
* Mukhiya of Gram Panchayatfrom	constituency no.
* Sarpanch of Gram Katchahryfrom	constituency no.
* Member of Panchayat Samitifrom territorial constituency no	
* Member of Zila Parishadfrom to	erritorial constituency no
Returning Officer, I son/da	ughter/wife of,
a validly nominated candidate of above electionomination.	
Place Date	Signature/Thumb impression of valid nominated candidate
This information was given to me in r (time) by the candidate/proposer of candidate.	
Date	Returning Officer
* Strike of whichever is not applicable.	Returning Officer
	withdrawal
* Strike of whichever is not applicable.  Receipt for notice of variable.	withdrawal who gives notice)
* Strike of whichever is not applicable.  Receipt for notice of volume (To be given to the person volume)	withdrawal who gives notice)

proposer on upper portion of this form.

Returning Officer

## Form - 9 See Rule 43 (1)

# **List of contesting candidates**

District	1	Block	
Election fo	or –		
* Member	of Gram Panchayat	from territorial consti	tuency no
* Panch of	f Gram Katchahryfro	om territorial constitue	ncy no
* Mukhiya	of Gram Panchayat	from constituency no.	
* Sarpancl	n of Gram Katchahrfr	om constituency no	
* Member	of Panchayat Samiti	from territorial constit	uency no
* Member	of Zila Parishad	from territorial constitu	iency no
Sl. No.	Name of candidate	Address of Candidate	Allotted Symbol
1	2	3	4
Place.			

Date .....

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

# Form - 10 See Rule 45 (1)

Appo District	intment of Election AgentBlock
Election for –	DIOCK
	from territorial constituency no
•	from territorial constituency no
•	from constituency no
	·
•	from constituency no.
·	from territorial constituency no
* Member of Zila Parishad	from territorial constituency no
I (name of the candidate)	am a candidate in the
above election and hereby app	point Sri
(name and address of the agent) a	s my election agent from today.
Place:	
Date:	Signature/Thumb impression of Candidate
I accept the above appoints	ment.
Place:	
Date:	Signature/Thumb impression of election agen
	APPROVED
Place	
Date	Returning Officer

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

## Form - 11 See Rule 46 (1)

# **Appointment of Polling Agent**

Election for –	
* Member of Gram Panchayat	from territorial constituency no
* Panch of Gram Katchahry	from territorial constituency no
* Mukhiya of Gram Panchayat	from constituency no
* Sarpanch of Gram Katchahry	from constituency no.
* Member of Panchayat Samiti	from territorial constituency no
* Member of Zila Parishad	from territorial constituency no
I (name of the candidate)	am a candidate in
the above election/ I (name of the	election agent)
am an election agent of Mr/Miss/N	Mrs.
who is a candidate in the	e above election, hereby appoint Mr/Miss/Mrs.
	Address
as an pollin	ng agent at polling station no place
Place:	
Date:	Signature/Thumb impression of Candidate /Election Agent
(Declaration of the polling agen	at on which he shall sign before the Presiding Officer)
I, hereby, declare that I	shall not do anything in the above election which is
prohibited by the Act and the rules	s made thereunder.
Place:	
Date:	Signature/Thumb impression of
	Polling Agent
	Signed before me.
	Signature of Presiding Officer

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

## Form - 12 See Rule 48 (1) Appointment of Counting Agent

Election for –	
* Member of Gram Panchayat	from territorial constituency no
* Panch of Gram Katchahry	from territorial constituency no
* Mukhiya of Gram Panchayat	from constituency no.
* Sarpanch of Gram Katchahry	from constituency no
* Member of Panchayat Samiti	from territorial constituency no
* Member of Zila Parishad	from territorial constituency no
I (name of the candidate)	am a candidate in
the above election/ I (name of ele	ection agent)
am an election agent of Mr/Miss/	Mrs.
who is a candidate in the abo	ve election, hereby appoint Mr/Miss/Mrs
	Address
as an counting agent during count	ting at the place
Place:	
Date:	Signature/Thumb impression of Candidate /Election Agent
I consent to do the work a	s a counting agent.
Place:	
Date:	Signature/Thumb impression of the Counting Agent
,	ent on which he shall sign before the Presiding Officer) do anything in the above election which is prohibited by under.
Date:	Signature/Thumb impression of the Counting agent
	Signed before me
	Signature of Presiding Officer

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

### Form - 13 See Rule 51 (1)

# **Uncontested Election**

Election for –
* Member of Gram Panchayatfrom territorial constituency no
* Panch of Gram Katchahryfrom territorial constituency no
* Mukhiya of Gram Panchayatfrom constituency no
* Sarpanch of Gram Katchahryfrom constituency no.
* Member of Panchayat Samitifrom territorial constituency no
* Member of Zila Parishadfrom territorial constituency no.
Under rule 51 of the Bihar Panchayat Election Rule, 2006, I declare that –  Mr/Miss/Mrs  Address
Place:
Date: Returning Officer

<sup>\*</sup> Strike off which ever is not applicable.

Signature of Presiding Officer

### Form - 14 See Rule 61 (2) (c)

# **List of Challenged Votes**

Election	on tor –								
* Member of Gram Panchayatfrom territorial constituency no									
* Panc	h of Grar	n Katcha	ahry	fror	n territor	rial const	ituenc	y no	
* Muk	hiya of G	ram Pan	chayat	froi	m constit	tuency no	o		
* Sarp	anch of C	ram Kat	chahry	fror	n consti	tuency n	o		
* Men	nber of Pa	ınchayat	Samiti	fron	n territor	rial const	ituenc	y no	
* Men	nber of Zi	la Parish	ad	from	territoria	ıl constit	uency	no	
Polling	g Station 1	No		•••••					
Place .									
SI. No.	Name of the Voter	Sl. No. in the Voter List	No. of territorial constitueony pertaining to the voter list	Signature or thumb impression of the person against whom challenge is made	Address of the Challenged person	Name of the Identifier if any	Name of the challenger	Signature of the challenger after depositing the amount	Order of the Presiding Officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Place									

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

# Form - 15 (See Rule 63)

# **List of Blind/Infirm voters**

Ele	ection i	for –						
* N	* Member of Gram Panchayatfrom territorial constituency no							
* F	Panch o	of Gram Katchah	ryfr	om territorial co	onstituency no			
* N	Mukhiy	va of Gram Panch	nayatf	rom constituenc	y no			
* 5	Sarpano	ch of Gram Katch	nahryfr	om constituenc	y no			
* N	Membe	r of Panchayat Sa	amiti	from territorial	constituency no	)		
* N	Membe	r of Zila Parishad	dfron	n territorial cons	tituency no			
					·			
Po	lling S	tation No						
	_							
	Place							
						jo		
				ц	nion	ion		
		<b>1</b> 5	٤	anic	npar	ress		
		r Lis	<sup>7</sup> ote1	dwo	cor	imp		
	he co							
	Sl.No. in the Voter List  Full name of the Voter  Full address of the companion  Full address of the companion  the companion  Signature/ Thumb impression of the companion							
		in i	ame	ame	ddre	ture,		
	Sl.No.	I.No	ull n	ull n	ull a	igna ie co		
-	<u>N</u>	2	2	<u>Ĺ</u>	<u>Ļ</u>	<del>C</del>		

Signature of Presiding Officer

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

Signature of Presiding Officer

### Form - 16 See Rule 65 (3)

# **List of Tendered Votes**

El	Election for –							
* ]	* Member of Gram Panchayatfrom territorial constituency no							
* ]	* Panch of Gram Katchahryfrom territorial constituency no							
* ]	Mukhiya	a of Gram Panch	nayat	from constituenc	y no			
* ;	Sarpancl	n of Gram Katch	nahry	from constituenc	y no			
* ]	Member	of Panchayat Sa	amiti	from territorial co	onstituency no.			
* ]	Member	of Zila Parishao	1	.from territorial co	nstituency no			
Po	olling Sta	ation No						
Pl	ace							
				0				
			ist	No. Of territorial constituency pertaining to the voter list	pa	ter		
		ter	Sl.No. in the Voter List	ıl rtain	SI. No. of the tendered ballot paper	Signature/ Thumb impression of the voter		
		Name of the Voter	0 A 0	No. Of territorial constituency pert the voter list	ie tei	Signature/ Thumb impression of the		
		f the	n th	Of territc stituency voter list	Sl. No. of th ballot paper	re/ T		
	SI.No.	ne o	Zo. i	Of stitu vot	No. lot p	natu oress		
	SI.I	Naı	SIL	No. con the	SI. ball	Sig		
-	1	2	3	4	5	6		

Place:.....

Date:.....

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

### Form - 17 See Rule 67

# **Ballot Paper Account**

* Men	nber of Gram Panchayatfrom territo	orial constituency no				
* Panch of Gram Katchahryfrom territorial constituency no						
* Mukhiya of Gram Panchayatfrom constituency no.						
* Sarpanch of Gram Katchahryfrom constituency no						
* Men	nber of Panchayat Samitifrom territo	orial constituency no	)			
* Men	nber of Zila Parishadfrom territo	orial constituency no	)			
Pollin	g Station No					
	5 5 444 511 7 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
Place .						
		Serial No.	Total Number			
1	No. of Ballot Papers received by the Presiding	to				
	Officer of the Polling Station					
2	No. of unused Ballot Papers	to				
3	No. of used Ballot Papers					
	(1 - 2 = 3)					
4	No. of ballot papers used but not inserted into					
	the ballot box-					
	(a) No. of cancelled ballot paper					
	(b) No. of tendered ballot papers					
	(c) No. of ballot papers cancelled due to					
5	No. of ballot papers inserted in the ballot box					
	(3 - 4 = 5)					

Place :	
Date :	Signature of Presiding Officer

Election for -

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

### Form - 18 See Rule 67

# **Paper Seal Account**

Election for –			
* Member of Gram Pa	anchayatfr	om territorial constitue	ncy no
* Panch of Gram Kato	chahryfron	n territorial constituenc	y no
* Mukhiya of Gram P	anchayatfi	rom constituency no	
* Sarpanch of Gram K	Katchahryfr	om constituency no	
* Member of Panchay	at Samiti	from territorial consti	tuency no
* Member of Zila Pari	ishadfro	m territorial constituend	ey no
Polling Station No			
Place			
	Part (	`	
Sl.No.	No. of used ballot	Sl. No. of used	Remarks
1	box 2	paper seal 3	4
1. No. of received pap	Part (	Two) Sl. No to	Total No.
2. No. of used paper s		to	
3. No. of damaged papers		to	
4. No. of unused pape	•	to	
Returning Officer [ 1		to	••••
Signature of Polling a	` , _		
1	genvagents		
2			
3			
4			
5			
J			
Place :			
Date :		Signature	e of Presiding Officer

<sup>\*</sup> Strike off which ever is not applicable.

### Form - 19 [See Rule 76 (2)] **Result Sheet of Counting of Votes at the election**

District	(* <b>Member/*Pa</b> Block	nnch)
No. and Name o	of the Territorial Constituency	
Gram Panchaya	t	
Polling Station	NoPla	ce
Sl. No.	Name of the Candidate	No. of valid votes cast in favour of the Candidate
1	2	3
	Total :-	
	Total :-	
(a) Total no, of	valid votes –	
(b) Total no. of	cancelled votes –	
(c) Total no. of	votes cast –	
(a + b)		
Place of counting	ıg	
Date		Signature of Returning Officer/

Officer authorised by Returning Officer

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

### Form - 20 See Rule 76 (2)

Part (One)

# **Election Result Sheet of Counting of Votes**

District	Block	Panchayat							
Election f	or –								
* Mukhiy	a of Gram Panchayat	from constituency no							
* Sarpanc	* Sarpanch of Gram Katchahry from constituency no								
* Member	* Member of Panchayat Samiti from territorial constituency no								
* Member	* Member of Zila Parishad from territorial constituency no								
Table No		Round No							
Sl. No.	Name of candidate	No. of valid votes in favour of candidate							
S1. NO.	Name of Candidate	No. of valid votes in favour of candidate							
1	2	3							
1	<u> </u>	3							
	Total :-								
(a) No. of	valid votes –								
(b) No. of	cancelled vote –								
(c) No. of	total votes cast –								
(a+b)	)								
Place of c	ounting-								
Date:		Signature of officer authorised by Returning Officer							

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

### Form - 20 See Rule 76 (2)

Part (Two)

# **Election Result Sheet of Counting of Votes**

District	Block	Panchayat	
Election for –		J	
* Mukhiya of Gram Pa	nchayat	from constituency	no
* Sarpanch of Gram Ka	atchahry	from constituenc	y no
* Member of Panchaya	t Samitifrom t	erritorial constituend	cy no
* Member of Zila Paris	shadfrom te	ritorial constituency	y no

S1.	Name of		No. of valid votes cast in favour of candidate						Total
No.	candidate	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	
		Round	Round	Round	Round	Round	Round	Round	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(a) N	o. of valid								
votes	_								
(b)	No. of								
cance	elled								
votes	_								
(c) T	otal no. of								
votes	cast –								
( a	ı + b )								

Signature of Returning Officer/officer authorised by Returning Officer

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

# Form - 21 [See Rule 81 (1)]

	<b>Details of Elect</b>	<u>ion Result</u>	
District	.Block	Pancha	yat
Election for –			
* Member of Gram Panchayat.	from terr	ritorial constituency	no
* Panch of Gram Katchahry	from te	rritorial constituency	y no
* Mukhiya of Gram Panchayat	fron	n constituency no	
* Sarpanch of Gram Katchahry	yfrom	constituency no	
* Member of Panchayat Samit	ifrom	n territorial constitue	ncy no
* Member of Zila Parishad	from ter	ritorial constituency	no

Sl. No.	Name of candidate	No. of valid votes cast in favour of candidate
1	2	2
1	2	3
	Total –	

- (a) No. of valid votes -
- (b) No. of cancelled votes -
- (c) Total no. of votes cast (a + b)

I declare that

Name –

Address -

has been duly elected for the above post.

Place:

Date : Signature of Returning Officer/officer authorised by Returning Officer

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

# Form - 22 (See rule 82, 99 )

# **Election certificate**

I	Returning Officer/Adhyaksha hereby certify
that I have declared Mr./Miss/Mrs	swho is the son/daughter/wife of
Mr/Mrsand re	esident of village Block
District, duly elected	ed on date month year
as (write name o	of the post) from(write no.
and name of electoral constituency)	which is reserved/unreserved for
and in token thereof I have granted to	him/her this certificate of election.
Place	Signature of Returning Officer/Adhyaksha
Date	SEAL

# Form - 23 (See rule 83)

#### **Publication of Election result**

In pursuance of rule 83 of the Bihar Panchayat Election rules 2006. I hereby notify that the person named in column (1) of the following schedule has been duly elected on the post mentioned in column (2) from Gram Katchahry/Gram Panchayat/ Panchayat Samiti/Zila Parishad mentioned in column (5):-

#### Schedule

Name of the	Γ	Details of the post		,
person				ahry at
				tchanaya naya o
	Post	Reserved/ Unreserved	Women/ others	The name of Gram Katchahry/ Gram Panchayat/Panchayat Samiti / Zila Parishad to which the post relates (including number and name of theconstituency)
1	2	3	4	5

Place	
Date	District Election Officer

- Note -(1) If the constituency comes under reserved category, then mention the name of reserved category in cloumn 3, viz; Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes. If the constituency comes under unreserved category, then mention "unreserved"
  - (2) If the constituency is reserved for women, then mention the word "Women" in column 4. If the electoral constituency is not reserved for women, then mention the word 'others"

# Form - 24 (See rule 87)

# $\frac{Notice\ of\ meeting\ for\ election\ to\ post\ of\ Up-Mukhia/Up-Sarpanch/Pramukh/}{Up-Pramukh/Adhyaksha/Up-Adhyaksha}$

Го,	
	(by name)
* Mukhia of Gram Pancyayat	
*Panch/*Sarpanch of Gram Katchahry	
Member of	. * Gram Panchayat
	* Panchayat Samiti
	* Zila Parishad
Sir,	
Under sub-rule (1) of rule 87 of the Biha	r Panchayat Election rules,2006, it is
hereby informed that a meeting of *Gram Kato	chahry/*Gram Panchayat/* Panchayat
Samiti/*Zila Parishad for the election of *Up-N	Mukhia/*Up-Sarpanch/*Pramukh/*Up-
Pramukh/*Adhyaksha/*Up-Adhyaksha under secti	on *15/ *93/*40/*67 of the Act shall
be held on (date) (time)at	(place). Kindly
make it convennient to attend the meeting.	
Place	
Date	Signature of District Magistrate/ Sub divisional Magistrate/Block Development officer

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

# Form - 25 (See rule 89)

# **Nomination paper**

Election to	
*Pramukh/*Up-Pramukh of Panchayat Samiti	
*Adhyaksha/*Up-Adhyaksha of Zila Parishad	
Full name of candidate	
His address	
Full name of proposer	
His address	
	Signature of proposer
Full name of seconder	
His address	
	Signature of seconder
(Declaration by candidate)	
I, hereby, declare that I assent to my nomination for the above ele	ection.
Place	
Time	Signature of candidate

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

Form - 26 (See rule 94)

#### **Ballot Paper**

#### Election to

- \* Pramukh/\*Up-Pramukh of Panchayat Samiti.....
- \*Adhyaksha/\*Up-Adhyaksha of Zila Parishad.....

Sl. No.	Name of Candidate	Space for cross mark(X)
1	2	3

Signature of Adhyaksha

Note- \* Strike off whichever is not applicable.

For giving vote to any candidate, put cross mark(x) against his name

Election to

# **Panchayat Election**

# Form - 27 (See rule 97 (2))

# **Details of Election result and Declaration thereof**

* Pramukh/*Up-Pramukh of	Panchayat Samiti	
* Adhyaksha/*Up-Adhyaksh	a of Zila Parishad	
Sl No.	Name of the candidate	No. of valid votes in favour of candidate
1	2	3
		•
<ul><li>(a) Total no. of valid votes-</li><li>(b) Total no. of invalid votes</li></ul>		
(e) Total no. of votes cast (a+b)		
I declare that Name		
Address- has been duly elected for the	above post.	
Place		
Date		
	Si	gnature of Presiding Officer

<sup>\*</sup> Strike off whichever is not applicable.

### Form - 28 (See rule 122 (5))

<u>Q</u>	Dath/ Affirmation
I,	, do <u>swear in the name of God</u> solemnly affirm that
established, will do justice to all re faithfully discharge the duties which affection or prejudice. I will not de person or persons any matter which	allegiance to the Constitution of India as by law equired by the provisions of the Act, and that I will ch I am about to enter without any fear or favour, lirectly or indirectly communicate or reveal to any h shall be brought under my consideration or shall may be required for the due discharge of my duties.
Place	
Date	Signature of the person taking oath
	Singnature of authorised officer

SEAL

### Form-29 Form of Return of Election expenses [See rule - 119]

Ī	
1	SI. No.
2	Head of Expenditure
3	Quality/ number
4	Expenditure incurred by the person/ institution
5	Amount of Expenditure
6	Date of Payment
7	Mode of Payment (Cheque/ cash)
8	Proof of Payment (details of Cheque)
9	Remarks
l	

- 1. Amount of Security
- 2. Purchase of voter list
- 3. Expenditure on display/ distribution of Hoarding Banner, Flag, poster, printing of public letter of declaration
- 4. Publication of advertisement
- 5. expenditure on advertisement of public meeting and rent of public meeting, pandal, loud speaker, photographer, etc
- 6. Expenditure on preparation and publication of audio cassette.
- 7. Expenditure on rent/fuel of vehicles used by the candi date/ Election agent/polling agent/ counting agent.
- 8. Expenditure on Election agent/polling agent /counting agent allowance of supporters/ refreshment/food etc.
- 9. Miscellaneous expenditure other than obove.

Date	Signature of
Candidate	

(a) (b)	Stipulated date of filing return of expenses
	Signature of Returning Officer
Date	
filed ii	I have verified the above return and in my opinion it has been filed/has not been n required manner.
	Signature of Returning Officer
Date	

- Note: 1. Voucher is to be enclosed for every object/ item of twenty ruppes or above except those items for which receipt is not available, viz,Railway Ticket or postal stamp etc.
  - 2. Details with date of payment should be mentioned for all the payments for which no receipt has been attached
  - 3. The candidate shall submit the return of election expenses with an affidavit in Form-30

# Form - 30 [See rule 119]

#### **Affidavit**

ISon/daughter/wife of
Member of Zila Parishad/Member of Panchayat Samiti/Member of Gram Panchayat from
territorial electoral constituency number/ Mukhia/Sarpanch/Panch
from Gram Panchayat/ Gram Katchahry,
hereby faithfully and solemnly declare on oath that the return of election expenses filed
by me is correct and true to my knowledge and belief.
Date
Signature of candidate

By order of the Governor, Sd/-Iligible, Principal Secretary to the Government

PUBLISHED AND PRINTED BY THE SUPERINTENDENT, BIHAR SECRETARIAT PRESS, PATNA. Bihar Gazette (Extra) 1—571+500—D.T.P.